सत्यमेव जयते

असंशोधित

बिहार विधान–सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

24 जुलाई, 2026

बिहार विधान सभा सचिवालय,
पटना ।

अष्टादश विधान सभा शुक्रवार, तिथि 24 जुलाई, 2026 ई०
तृतीय सत्र 02 श्रावण, 1948 (शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय – 11:00 बजे पूर्वाह्न)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है ।

अब प्रश्नोत्तर काल होगा । अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे ।

(व्यवधान)

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपनी–अपनी सीट पर खड़े हो गए।)

बैठ जाइये । आपके नेता बोल रहे हैं, बैठ जाइये ।

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, बिहार में कई जगहों पर छात्र आंदोलन के क्रम में छात्रों पर गोली चलाने की सूचना है और जगह–जगह पर लाठीचार्ज और छात्रों को प्रताड़ित करने की बातें हुई हैं, अरेस्ट किया गया है।

(व्यवधान)

आप शांत रहिए, छात्र विरोधी शांत रहिये । महोदय, सदन को ऑर्डर में लाया जाये।

(व्यवधान जारी)

महोदय, ये छात्र विरोधी कदम यहां से लेकर दिल्ली तक हर जगह छात्रों के साथ ज्यादती हुई है ।

अध्यक्ष : राजू तिवारी जी, आप बोलिए ।

श्री राजू तिवारी : अध्यक्ष महोदय, मैं आग्रह कर रहा हूं कि सदन से निंदा प्रस्ताव किया जाए, जिस तरह से परसों खुलेआम गुंदागर्दी हुई है पूरे बिहार में, पत्रकारों को दौड़ा–दौड़ा कर पीटा गया है, नेताओं को दौड़ा–दौड़ा कर पीटा गया है । महोदय, ये छात्र आंदोलन नहीं था, ये छात्रों के साथ....

(व्यवधान जारी)

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण वेल में आ गये)

अध्यक्ष : शांति बनाये रखें, सबको बोलने का मौका मिलेगा, आज सदन का अंतिम दिन है, शांति से रहिये ।

श्री राजू तिवारी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि जिस तरह से परसों पूरे बिहार में छात्र आंदोलन के नाम पर जिस तरह से उपद्रवी तत्वों ने पत्रकारों को, नेताओं को दौड़ा–दौड़ा कर, गाड़ी को जिस तरह से उपद्रवी लोगों ने किया है....

श्री आलोक कुमार मेहता : अध्यक्ष महोदय,......

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको भी मौका देंगे, प्लीज ।

श्री राजू तिवारी : जो किया है, मैं चाहता हूं महोदय, सदन से निंदा प्रस्ताव जाए, पूरे सर्वसम्मति से निंदा प्रस्ताव जाए, ये गुंडा, यही लोग थे, इनके विधायक थे पीछे, इनके विधायक थे, ये मिलजुलकर किये हैं, इनलोगों के विधायक लोगों ने किया, मेरे पास इविडेंस है महोदय, इनके विधायक ने किया है ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : कृपया बैठ जाएं, शांति बनाये रखें ।

श्री राजू तिवारी : ये लोग गुंडागर्दी करवाने वाले लोग हैं महोदय । ये लोग सुधरने वाले नहीं है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप नीचे आ जाइये ।

श्री राजू तिवारी : देखिए, यही है महोदय, इनको देख लीजिए, यही लोग करने वाले हैं महोदय।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : शांति–शांति ।

श्री राजू तिवारी : महोदय, निंदा प्रस्ताव भेजा जाए ।

अध्यक्ष : कुमार सर्वजीत जी, आप बोलियेगा ?

श्री राजू तिवारी : अध्यक्ष महोदय, निंदा प्रस्ताव कराया जाए सर्वसम्मति से ।

अध्यक्ष : कृपया अपने स्थानों पर चले जाएं, सबको बोलने का मौका मिलेगा । माननीय सदस्यों से आग्रह है कि अपने–अपने स्थान पर चले जाएं, कृपया बैठ जाएं, सदन चलाने में सहयोग करें, शांति बनाए रखें, आप सबों की बात सुनी जायेगी, आप सबों से आग्रह है कि अपने–अपने स्थानों पर चले जाएं, कृपया बैठ जाएं, बैठ जाइये, बैठ जाइये, बोलवायेंगे ।

(व्यवधान जारी)

(इस अवसर पर सत्ता पक्ष के भी कुछ माननीय सदस्य अपनी–अपनी सीट पर खड़े हो गये)

आपके नेता बोलेंगे, कृपया बैठ जाएं । मंजीत बाबू, बैठ जाइये ।

(व्यवधान जारी)

मंजीत जी, बैठ जाइये । सबको बोलने का मौका मिलेगा । कृपया अपने–अपने स्थानों पर बैठ जाएं । कृपया शोर–गुल नहीं करें ।

(व्यवधान जारी)

माननीय सदस्यगण, कृपया शांति बनाये रखें । सबकी बात सुनी जाएगी । बैठ जाइये । मनीष जी, बैठ जाइये । आप सबों से आग्रह है कि सदन चलाने में सहयोग करें । माननीय सदस्य आपका ही प्रश्न है । आपका ही अल्पसूचित प्रश्न है । आप लोगों का ही तारांकित प्रश्न है। आपको बोलने का मौका हम दे रहे हैं । आपने अपनी बातों को रखा भी है और राजू बाबू ने भी अपनी बातों को रखा है ।

(व्यवधान जारी)

आप सभी अपने–अपने स्थान पर बैठ जाय । सबको बोलने का मौका मिलेगा ।

अब सभा की कार्यवाही 12:00 बजे मध्याह्न तक स्थगित की जाती है ।

टर्न–02/सुरज/24.07.2026

(स्थगन के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है ।

श्री आलोक कुमार मेहता : अध्यक्ष महोदय....

अध्यक्ष : देंगे मौका, बैठ जाइये ।

(व्यवधान)

हम देंगे मौका, बैठिये न ।

सभा मेज पर कागजात का रखा जाना

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग–II भर्ती (संशोधन) नियमावली, 2026 एवं बिहार तकनीकी सेवा (संशोधन) नियमावली, 2026 की हिन्दी एवं अंग्रेजी की एक–एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ ।

अध्यक्ष : सभा सचिव ।

सभा सचिव : अध्यक्ष महोदय, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली के नियम–267 के अंतर्गत मुझे प्रतिवेदित करना है कि विभिन्न विषयों के संबंध में पटल पर रखे गये विवरण के अनुसार 106 याचिकाएं प्राप्त हुई हैं ।

अध्यक्ष : कार्य–स्थगन प्रस्ताव ।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 24 जुलाई, 2026 के लिये निम्न माननीय सदस्यों से कार्य–स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं:–

1. श्री रणविजय साहू, स0वि0स0, श्री अजय कुमार, स0वि0स0, श्री अमरेन्द्र कुमार, स0वि0स0, श्री गौतम कृष्ण, स0वि0स0, श्री राहुल कुमार, स0वि0स0, श्री अरूण सिंह, स0वि0स0, श्री संदीप सौरभ, स0वि0स0, श्री शंकर प्रसाद, स0वि0स0, श्रीमती करिश्मा, स0वि0स0, श्री अभिषेक रंजन, स0वि0स0, श्री अजय कुमार, स0वि0स0,

2. श्री चन्द्रशेखर, स0वि0स0, श्री शम्भूनाथ यादव, स0वि0स0,

3. श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता, स0वि0स0 ।

आज दिनांक 24 जुलाई, 2026 को सदन में गैर–सरकारी संकल्प निर्धारित है ।

अतः बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली 19(1) 47(2) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचना को अमान्य किया जाता है ।

माननीय सदस्य, श्री रणविजय साहू जी पढ़िये ।

श्री रणविजय साहू : माननीय अध्यक्ष महोदय, हाल के दिनों में राज्य में विभिन्न विभागों से संबंधित निविदा प्रक्रिया एवं सरकारी कार्यों में कथित अनियमितताओं तथा भ्रष्टाचार के आरोप सार्वजनिक चर्चा के विषय बने हैं । प्रवर्तन निदेशालय (ई0डी0) सहित अन्य जांच एजेंसियों द्वारा की गयी कार्रवाई एवं मीडिया में प्रकाशित समाचारों के कारण प्रशासनिक व्यवस्था की पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर जनमानस में अनेक प्रश्न उठे हैं । साथ ही, जांच की प्रगति तथा विभिन्न एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर भी व्यापक जनचर्चा हो रही है । ऐसी परिस्थितियों में यह आवश्यक है कि सभी आरोपों की निष्पक्ष, पारदर्शी एवं समयबद्ध जांच सुनिश्चित किये जाएं तथा यदि कोई व्यक्ति या अधिकारी विधि के अुनसार दोषी पाया जाए तो उनके विरूद्ध कानून के अनुरूप कार्रवाई की जाए । साथ ही, दोषमुक्त पाये जाने वाले व्यक्तियों के अधिकारों और प्रतिष्ठा का भी समुचित संरक्षण किया जाए ।

अतः अनुरोध है कि दिनांक 24.07.2026 के लिये निर्धारित समस्त कार्य स्थगित कर राज्य में कथित निविदा अनियमिताओं, भ्रष्टाचार की रोकथाम, जांच एजेंसियों की कार्रवाई तथा प्रशासनिक पारदर्शिता एवं जवाबदेही को सुलभ बनाने जैसे अति लोक महत्व के विषय पर सदन में विस्तृत चर्चा करायी जाए ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री चन्द्रशेखर जी ।

श्री चन्द्रशेखर : महोदय, राज्य सरकार की वर्षों से प्रचलित नीति स्थापित परंपराओं तथा शिक्षा विभाग के संकल्प संख्या–514, दिनांक–03.04.2013 एवं ज्ञापांक–138, दिनांक–31.01.2023 में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि जिन दानवीरों द्वारा शिक्षा के विकास एवं प्रसार के उद्देश्य से विद्यालय हेतु भूमि अथवा भवन दिया गया है, ऐसे विद्यालयों का नामकरण संबंधी दानदाता अथवा उनके द्वारा इच्छित व्यक्ति के नाम पर किया जाएगा । इसी नीति के अनुरूप राज्य के हजारों विद्यालयों का नामकरण स्वतंत्रता संग्राम के अमर शहीदों, स्वतंत्र सेनानियों, महान संतों, प्रख्यात विद्वानों, वैज्ञानिकों, साहित्यकारों, समाज सुधारकों, महापुरूषों एवं अन्य महान विभूतियों के नाम पर किया गया है । किन्तु वर्तमान सरकार द्वारा व्यापक जन–विमर्श संबंधित भू–दानकर्त्ताओं अथवा उनके उत्तराधिकारियों तथा विद्यालय शिक्षा समिति, विद्यालय प्रबंधन समिति से आवश्यक परामर्श किये बिना राज्य के अनेक विद्यालयों का नाम परिवर्तित कर एकरूपता के आधार पर सरस्वती विद्या निकेतन आदर्श विद्यालय किया जा रहा है । सरकार की यह कार्रवाई न केवल शिक्षा के लिये अपनी अमूल्य भूमि एवं

संपत्ति दान करनेवाले दानवीरों के त्याग, योगदान एवं सम्मान की गौरवशाली परंपरा को आघात पहुंचाती है बल्कि राज्य सरकार द्वारा पूर्व में घोषित नीतियों, संकल्पों एवं स्थापित प्रशासनिक परंपराओं के भी प्रतिकूल है। इससे स्थानीय जनभावनाएं आहत होने, दानदाताओं के अधिकारों एवं सम्मान से जुड़े विवाद उत्पन्न होने तथा अनावश्यक सामाजिक एवं विधिक विवादों की संभावना प्रबल हो गयी है...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : प्रमोद जी शांति बनाये रखिये ।

(व्यवधान)

बैठिये न । बिना अनुमति के मत उठिये । बैठ जाइये ।

(व्यवधान)

अनुमति नहीं दिये हैं, बैठिये । अनुमति लेकर सब व्यक्ति खड़े हो जायेंगे तो समस्या हो जायेगी । अभी ध्यानाकर्षण है, शून्यकाल है । शांति बनाये रखिये ।

श्री चन्द्रशेखर : अतः स्वतंत्रता संग्राम के अमर शहीदों, स्वतंत्रता सेनानियों, महान संतों, प्रख्यात विद्वानों, वैज्ञानिकों, साहित्यकारों, समाज सुधारकों, महापुरूषों तथा शिक्षा को अपना सर्वस्व समर्पित करने वाले दानवीरों के सम्मान एवं राजकीय स्थापित नामांकरण नीति की मर्यादा को अक्षुण्ण बनाये रखने की दृष्टि से विद्यालयों के नामांकरण संबंधी पूर्ववर्ती नीतियों, संकल्पों एवं परंपराओं की अवहेलना से उत्पन्न इस अत्यंत लोकमहत्व के विषय पर दिनांक–24.07.2026 को सदन का समस्त कार्य स्थगित कर तत्काल चर्चा करायी जाए ।

अध्यक्ष : श्री आई0पी0 गुप्ता जी पढ़िये ।

श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता : महोदय, सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार द्वारा तांती–ततवा, पान आरक्षण से संबंधित....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : देंगे, देंगे बैठिये, बैठिये ।

(व्यवधान)

देंगे, देंगे, सबको मौका मिलेगा । बैठिये । पढ़िये आप तेजी से ।

श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता : महोदय, सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार द्वारा तांती–ततवा, पान आरक्षण से संबंधित पुनर्विचार याचिका दायर की गयी थी । इसे सुप्रीम कोर्ट ने तथ्यात्मक रूप से अनुपयोगी होने तथा याचिका तैयार कराने में 319 दिन के विलंब के आधार पर 01 जुलाई, 2026 को खारिज कर दिया । तांती आरक्षण के विरूद्व सिविल अपील सं0–18802/17 की सुनवाई 2024, मई में हो चुकी थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव पूरा होने के बाद जुलाई में तांती–ततवा आरक्षण पर अपना फैसला सुनाया । ठीक उसी प्रकार 'हांको रथ हम पान है' एक आंदोलन तथा उस आंदोलन की सफलता विदर्भ चुनाव 2025 को देखते हुये 19 जुलाई, 2025 को बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में

पुनर्याचिका दायर की । साथ ही, चुनावी घोषणा में तांती को आरक्षण देने की बात कही । यदि बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में आदेश से उत्पन्न विषम परिस्थितयों जैसे–पान समुदाय के छात्रों की नौकरियां चले जाना, कॉलेज से पांच छात्रों का नामांकन रद्द किया जाना, भूमिहीन पान जातियों को मिले वासगीत पर्चे को रद्द किया जाना, अनुसूचित जाति के अंतर्गत दर्ज मामले सन्हा श्रेणी में बदल देना जैसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक तथ्यों के साथ समय रहते समीक्षा पुनर्विचार याचिका दाखिल करती तो बिहार के 80 लाख पान समाज के हितों की रक्षा हो सकती थी । ऐसे में सरकार को उपरोक्त सभी महत्वपूर्ण तथ्यों एवं साक्ष्यों को समाहित करते हुये सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पेटिशन दायर करने पर विचार तथा वर्ष 2033 में तांती समुदाय को अनुसूचित जाति का आरक्षण देने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा मांगी गयी ऊपरी सिफारों के जवाब भेजने की अविलंब कार्रवाई करनी चाहिये...

अध्यक्ष : श्री पप्पु कुमार वर्मा जी । बैठ जाइये ।

श्री पप्पु कुमार वर्मा : महोदय, हमारे कुर्था विधान सभा क्षेत्र जो है वहां न ही एक नहर है, न ही एक तालाब है । उसमें हम आग्रह करेंगे पी0एच0ई0डी0 मंत्री से, विभाग से वहां कम से कम हमलोगों को 50 से 100 चापाकल हम मांग करते हैं । दूसरी चीज, पी0जी0 की पढ़ाई महाविद्यालय में हमारे अरवल जिला में नहीं होती है । हम आग्रह करेंगे आपसे कि वहां पी0जी0 की पढ़ाई यथाशीघ्र लागू करवाने का काम करें । दूसरा, जो रोड टेंडर जो हो गया है इतना गबड़ा है सेनारी, मांझियामा, करपी, कुर्था रोड, जर्जर स्थिति में है कि टेंडर हो चुका है और ठेकेदार भाग चुका है ।

अध्यक्ष : श्री प्रमोद कुमार सिंह जी । प्रमोद जी बोलिये जल्दी ।

श्री प्रमोद कुमार सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, औरंगाबाद....

अध्यक्ष : प्रमोद जी एक सेंकेंड बैठ जाइये ।

श्री राहुल कुमार : महोदय, शून्यकाल है ?

अध्यक्ष : वह रिक्वेस्ट किये थे, हाथ उठाये थे तो बोलवा दिये ।
अब शून्यकाल लिये जायेंगे । श्री राहुल कुमार ।

शून्यकाल

श्री राहुल कुमार : अध्यक्ष महोदय, जहानाबाद सहित 15 जिलों में नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस फायरिंग एवं बल प्रयोग गंभीर विषय है । सरकार निष्पक्ष जांच कराए, बिना पर्याप्त साक्ष्य किसी छात्र की गिरफ्तारी न हो तथा गिरफ्तार छात्रों को तत्काल रिहा किया जाए ।

श्रीमती संगीता देवी : अध्यक्ष महोदय, बलरामपुर विधान सभा की लूतिपुर रोड, बारसोई ब्लॉक रोड, काजीटोला–बरिओल, निमतल्ला–बिगोर, कर्णपुर–लहगरिया, बारसोई स्टेशन–सुधानी आदमपुर, सड़के जर्जर हैं । कई सड़कों की स्वीकृति के

बावजूद निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है । सरकार से इन सड़कों के शीघ्र निर्माण, चौड़ीकरण एवं पुननिर्माण कराने की मांग करता हूं ।

श्री कुंदन कुमार : अध्यक्ष महोदय, बेगूसराय राज्य का प्रमुख औद्योगिक जिला है । राष्ट्रीय राजमार्ग–31 सहित प्रमुख सड़कों पर लगातार सड़क दुर्घटनाएं होती रहती है ।

अतः आपातकालीन चिकित्सा सुविधा सुदृढ़ करने तथा घायलों को समय पर उपचार उपलब्ध कराने हेतु बेगूसराय में अत्याधुनिक ट्रॉमा सेंटर की शीघ्र स्थापना हेतु मैं सरकार से मांग करता हूं ।

श्री आसिफ अहमद : अध्यक्ष महोदय, मधुबनी जिला के विस्फी प्रखंड के रथौस पंचायत में कटैया–रथौस घाट के बीच धौंस नदी पर प्रस्तावित आर0सी0सी0 पुल का शिलान्यास हुए एक वर्ष बीत गया, किंतु निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ ।

अतः कार्य शीघ्र प्रारंभ कराये जाने की मांग करता हूं ।

टर्न–3 / धिरेन्द्र / 24.07.2026

श्रीमती निशा सिंह : अध्यक्ष महोदय, प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र में बारिश होते ही सभी विद्युत फीडरों की आपूर्ति घंटों बाधित हो जाती है । बिना सूचना पावर कट एवं रात्रि में मरम्मत में लापरवाही से जनता परेशान है । दोषी कर्मियों की जवाबदेही तय कर विद्युत व्यवस्था में तत्काल सुधार करने की मांग मैं सरकार से करती हूँ।

श्री सुरेंद्र प्रसाद : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बाल्मीकिनगर विधानसभा क्षेत्र के पाँचों प्रखंडों में सरकारी कृषि मंडी नहीं होने से किसानों को अपनी उपज कम कीमत पर उत्तर प्रदेश में बेचनी पड़ती है ।

मैं सदन के माध्यम से सरकार से सरकारी कृषि मंडी की मांग करता हूँ ।

श्रीमती कोमल सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत गायघाट प्रखंड के सतघट्टा सहनी टोला पथ में बागमती नदी पर स्थित पुल वर्तमान में क्षतिग्रस्त एवं जर्जर स्थिति में है जिससे ग्रामीणों का आवागमन बाधित हो गया है ।

अतः पुल निर्माण हेतु निर्माण कार्य प्रारंभ कराने की सरकार से मांग करती हूँ ।

श्री अजय कुमार : अध्यक्ष महोदय, गया जिला के केंद्रीय विश्वविद्यालय के पास पुलिस चौकी के निर्माण करने का सरकार से मांग करता हूँ ।

श्रीमती बिनिता मेहता : माननीय अध्यक्ष महोदय, नवादा जिला अंतर्गत ग्राम खनवां में आधुनिक बिहार के निर्माता, बिहार केशरी तथा बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्रीकृष्ण सिंह की जन्मस्थली होते हुए भी इनकी जयंती एवं पुण्यतिथि नहीं मनाया जाता है।

मैं मांग करती हूँ कि प्रत्येक वर्ष 21 अक्टूबर को जयंती एवं 31 जनवरी को पुण्यतिथि राजकीय समारोह के रूप में मनाया जाय ।

श्री तारकिशोर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, पूर्णियां विश्वविद्यालय अंतर्गत कटिहार स्थित दर्शन साह महाविद्यालय में चहारदीवारी न होने से असमाजिक तत्वों एवं आवारा पशुओं का प्रवेश बढ़ गया है जिससे परिसर में भय का वातावरण है ।

छात्र–छात्राओं की सुरक्षा हेतु महाविद्यालय में छात्रावास एवं चहारदीवारी निर्माण की स्थापना का आग्रह करता हूँ ।

श्री गौतम कृष्ण : अध्यक्ष महोदय, महिषी विधानसभा अंतर्गत नौहट्टा प्रखंड के शाहपुर पंचायत स्थित मंझौल में अल्पसंख्यक समाज की घनी आबादी निवास करती है । पूरे प्रखंड में छात्राओं हेतु सरकारी आवासीय 10+2 स्तरीय उर्दू विद्यालय उपलब्ध नहीं है ।

अतः जनहित में मंझौल में ऐसे विद्यालय की स्थापना करने की मांग सरकार से करता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब ध्यानाकर्षण सूचनाएं ली जायेंगी और ध्यानाकर्षण के उपरांत समय बचने पर अगर सभी की सहमति हो तो शेष शून्यकाल की सूचनाएं ली जायेंगी ।

(सदन की सहमति हुई)

ध्यानाकर्षण सूचनाएँ तथा उसपर सरकारी वक्तव्य

श्री मनीष कुमार, स॰वि॰स॰ से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री मनीष कुमार, आप अपनी सूचना को पढ़ें ।

श्री मनीष कुमार : अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य के विभिन्न नियुक्ति आयोगों द्वारा प्रकाशित विज्ञापन में अनुसूचित जाति के लिए निर्धारित 16 प्रतिशत आरक्षण के विरुद्ध शून्य या अत्यंत न्यूनतम रिक्तियां दर्शाया गया है । उदाहरण स्वरूप प्रवर्तन अवर निरीक्षक (33 पद) में एस॰सी॰–0, कनीय अभियंता (असैनिक) जल संसाधन विभाग (558 पद) में एस॰सी॰–10 (1.7%) योजना सहायक (88 पद) में एस॰सी॰–0, अंकेक्षण सहयोग समितियाँ (198 पद) में एस॰सी॰–09 (4%) दारोगा (1799 पद) में एस॰सी॰–210 (11%) है । यह स्थिति प्रायः सभी विज्ञापनों की होती है । इसका मूल कारण कार्यकारी व्यवस्था नियमावली–2023 के तहत एस॰सी॰/एस॰टी॰ के पद को Freeze करना है ।

अतः Freeze पदों पर कर्मियों को उच्चतर प्रभार देने तथा भर्तियों में एस॰सी॰/एस॰टी॰ के समुचित (16+1)=17% प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : महोदय, माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये ध्यानाकर्षण सूचना के संबंध में वस्तुस्थिति यह है कि राज्याधीन सेवाओं में नियुक्ति के क्रम में कुल स्वीकृत बल के आधार पर अनुमान्यता की गणना कर रोस्टर गठन की कार्रवाई की जाती है । इस क्रम में संबंधित विभागों से प्राप्त सूचना संदर्भित पदों के संबंध में स्थिति निम्नवत है । प्रवर्तन अवर निरीक्षक में 250 पद स्वीकृत है 250 पद में 16 प्रतिशत जो होता है वह 40 होता है । कनीय अभियंता में 3,335 पद स्वीकृत है, इसमें आरक्षण का पद 524 है ।

योजना सहायक में 357 पद स्वीकृत है, इसमें आरक्षण का पद 59 है । अंकेक्षण सहयोग समितियाँ में 419 पद स्वीकृत है, इसमें आरक्षण का पद 62 है । दारोगा (पुलिस अवर निरीक्षक) में 10,508 पद स्वीकृत है इसमें आरक्षण का पद 1471 है ।

महोदय, उल्लेखनीय है कि राज्य के प्रशासनिक एवं लोकहित में अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 के द्वारा राज्याधीन सेवाओं की प्रोन्नति के पदसोपान में तदर्थ एवं पूर्णतः अस्थायी व्यवस्था के अंतर्गत राज्य कर्मियों को प्रोन्नति के पदानुक्रम में विहित वेतनमान के साथ मूल कोटि के वरीयता के आधार पर उच्चतर पद पर प्रभार देने की प्रक्रिया आरंभ की गयी है जिसमें मूल कोटि के वरीयता के आधार पर सामान्य कोटि के कर्मियों के साथ–साथ अनुसूचित जाति के कर्मियों को भी उच्च पद पर प्रभार प्राप्त कर रहे हैं । उक्त अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 में निहित प्रावधानानुसार यदि पूर्व से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पदाधिकारी/कर्मचारी कार्यरत नहीं हैं तो ऐसी स्थिति में इस नियमावली में अनुसूचित जाति के पदाधिकारियों/कर्मचारियों के लिए कैडर के कुल स्वीकृत पद का 16 प्रतिशत की दर से एवं अनुसूचित जनजाति के पदाधिकारियों/कर्मचारियों के लिए कैडर पद का 01 प्रतिशत की दर से अर्थात कुल 17 प्रतिशत की दर से पद सुरक्षित रखे जाने का प्रावधान है ताकि भविष्य में माननीय उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश फलाफल के आधार पर राज्याधीन सेवाओं में आरक्षण के साथ–साथ प्रोन्नति के आरंभ होने की स्थिति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को आरक्षण सहित पदोन्नति की कार्रवाई में कोई कठिनाई उत्पन्न न हो पाय । उक्त नियमावली की कंडिका–6 (v)(क) के अनुसार सर्वप्रथम अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि के पदाधिकारियों के संवर्गों के लिए कुल स्वीकृत पदों का क्रमशः 16 प्रतिशत एवं 01 प्रतिशत की दर से अर्थात कुल 17 प्रतिशत पूर्व से कार्यरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मी के पद पर सुरक्षित रखे जाने का प्रावधान है । जैसा कि नियमावली में वर्णित कंडिका–6 (v)(क) के उदाहरण के रूप में किया गया है, उसी प्रकार नियमावली के कंडिका 6 (v)(ख) में प्रावधानवित किया गया है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए क्रमशः 16 प्रतिशत एवं 01 प्रतिशत पद स्वतः नहीं भरे जाते हैं तो ऐसी स्थिति में Adequate Representation अर्थात 16 प्रतिशत एवं 01 प्रतिशत पूरा करने के लिए उनकी शेष रिक्तियों को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए अलग से सुरक्षित रखे जाने का प्रावधान है, जिसके संबंध में भविष्य में निर्णय लिया जा सकेगा ।

अध्यक्ष : मनीष जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं ।

टर्न–4/अंजली/24.07.2026

श्री मनीष कुमार : महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री जी का हम सब लोग आदर करते हैं और स्वाभाविक है माननीय उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा कंडिकाओं का उल्लेख किया गया है, उसकी भी कॉपी है और वह कंडिका कागजों में उल्लिखित

किया गया है, लेकिन हमारे पास वैसी भी जानकारी है जिसमें कि इसका नियमावली के तहत अनुपालन नहीं किया जा रहा है । महोदय, ठीक ही कहा माननीय उप मुख्यमंत्री ने कि अस्थायी प्रोन्नति, टेंपरेरी रिजर्वेशन के तहत यह सुविधा प्रदत्त की जा रही है । महोदय, उसी संकल्प, उसी बिहार बजट में जो गजट निकला है, उसी में यह लिखा गया है कि टेंपरेरी रिजर्वेशन के तहत अस्थायी व्यवस्था के तहत जो आरक्षण देना है, लेकिन उसमें यह भी लिखा हुआ है कि अभी लगभग 76 हजार 595 रिक्ति लंबित है । महोदय, आखिर इन रिक्तियों की पूर्ति कब तक होगी ? यह छोटी–मोटी संख्या नहीं है, 76 हजार की संख्या है । इस टेंपरेरी रिजर्वेशन के तहत अगर सब को यह सुविधा मिल पाती तो स्वाभाविक है यह यह संख्या नगण्य होती । महोदय, मेरा यही कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला, स्टेट्स को लगाया गया है, उस स्टेट्स के बाद अन्य राज्यों ने अपने–अपने तरीके से स्थायी रिजर्वेशन को लागू करने का काम किया है । अभी हमलोगों की जो केंद्रीय सरकार है, वही सरकार हमलोगों की एन0डी0ए0 सरकार यहां भी है । केंद्र सरकार में यह सुविधा प्रदत्त है । महोदय, मेरे पास सर्कुलर है, केंद्र सरकार के अधीन जितनी भी विभागें हैं, उन सभी विभागों में उस सुविधा के तहत रिजर्वेशन प्राप्त हो रहा है, अन्य राज्यों में भी है, लेकिन हमारे यहां बिहार में यह लागू नहीं हो पा रहा है । महोदय, इसी तरह से गोल–मटोल करके, लेकिन जो सुविधा मिलनी चाहिए आरक्षण के तहत, वह प्रदत्त नहीं हो पा रहा है । महोदय, मेरी यही मांग है कि केंद्र सरकार की भांति यहां भी एक बार विशेष तौर पर समीक्षा करके जो रिक्ति है उसको भरने का काम किया जाए ।

अध्यक्ष : श्री श्याम रजक जी बोलिए ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : महोदय...

अध्यक्ष : एक मिनट, रुक जाइए । माननीय मंत्री जी खड़े हैं ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : महोदय, जो राय है उसकी समीक्षा करेंगे और कार्रवाई होगी ।

अध्यक्ष : श्याम बाबू जी, बोलिए ।

श्री श्याम रजक : अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कहा...

अध्यक्ष : सरकार ने कहा समीक्षा करेगी ।

श्री श्याम रजक : महोदय, मैं यह कह रहा हूं कि आपने जो अपने वक्तव्य में बोला कि 17 प्रतिशत फ्रीज है, वह सही है, लेकिन उसी के विरुद्ध देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि एक देश, एक विधान और उसी के आधार पर जब उन्होंने दलितों के सम्मान में जब दिया कि अलग से आदेश निकाला कि एस0सी0 को भी और सामान्य वर्ग को, दोनों को प्रोन्नति में आरक्षण लागू रहेगा और जब सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आएगा, तो दोनों को मानना होगा, लेकिन इसके बावजूद बिहार सरकार नहीं मान रही है । कम से कम...

अध्यक्ष : सरकार का आश्वासन हुआ है, समीक्षा करेंगे, वक्त थोड़ा दीजिए । रिव्यू करेगी सरकार । श्री जिवेश कुमार ।

(व्यवधान)

सरकार ने आश्वासन दिया है कि रिव्यू करेगी, तो समय दीजिए सरकार को ।

(व्यवधान)

कृपया बैठ जाएं । प्लीज । बैठ जाएं ।

मेरी बात मानिए । मेरा आग्रह है, सरकार ने कहा है समीक्षा करेगी, श्याम बाबू, अरूण मांझी जी, प्लीज बैठ जाइए । सरकार आपके साथ है । आपकी भावनाओं का सरकार ने स्वागत किया है । सरकार ने आश्वासन दिया है, समीक्षा करने दीजिए । बैठिए ।

माननीय सदस्य, श्री जिवेश कुमार ।

(व्यवधान)

प्लीज बैठ जाइए । माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने इतना स्पष्ट कहा है, सरकार जल्दी रिव्यू करेगी और समाधान करेगी । प्लीज, बैठ जाइए । मेरी बात मान लीजिए । प्लीज बैठ जाइए । प्लीज बैठिए । बैठिए ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : महोदय, आखिर क्या चाहते हैं आप ? क्या चाहते हैं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अरूण जी बैठिए । शांति–शांति । शांति बनाइए । मुरारी जी बैठ जाइए । सारी बातें आ गई हैं । श्याम बाबू, बैठ जाइए ।

श्री श्याम रजक : महोदय, हम यह चाहते हैं कि सरकार ने जो निर्देश निकाला है उसी...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : श्याम बाबू, प्लीज बैठ जाइए ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : महोदय,...

अध्यक्ष : श्याम जी, प्लीज । श्याम बाबू जी, माननीय उपमुख्यमंत्री जी खड़े हैं, बैठ जाइए । श्याम बाबू, आग्रह है बैठ जाइए । श्याम रजक जी, बैठ जाइए । माननीय उप मुख्यमंत्री जी खड़े हैं ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : आप मंत्री भी रहे हैं, सुनिए । मैंने कहा कि समीक्षा करेंगे और आपको भी बुलाएंगे और उसमें निर्णय करेंगे । इसके अलावा और इसमें क्या होगा ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष : शांति–शांति । सारी बातें आ गई हैं ।

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, इस विषय पर...

(व्यवधान)

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े हो गए)

श्री श्याम रजक : महोदय, कई जगह नियुक्ति हुई है, प्रोन्नति हुई है, तो फिर यहां करने में इनको क्या आपत्ति है ?

अध्यक्ष : बिल्कुल । सरकार देखेगी । जल्द समीक्षा होगी । केंद्र ने यदि ऐसा किया है, तो बिहार भी इस विषय पर विचार करेगी । श्री जिवेश कुमार । बैठ जाइए । प्लीज बैठिए । बैठिए न ।

(व्यवधान)

ऐसा होता है । ऐसा मत कीजिए । फिर वही बात । सारी बात रिकॉर्ड में आ गई श्याम बाबू की । श्याम रजक जी की बातें आ गईं । सरकार ने आश्वस्त किया है । प्लीज, बैठ जाइए । बैठिए । बिल्कुल । सरकार जल्द समीक्षा कर समाधान करेगी । बैठिए । जिवेश जी, अपनी सूचना को पढ़ें । कृपया बैठ जाएं । बैठ जाइए ।

श्री जिवेश कुमार, स॰वि॰स॰ से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उस पर सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

श्री जिवेश कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार के भू–राजस्व अभिलेखों, विभिन्न शासकीय अभिलेखों, जिला गजेटियर एवं अन्य राजकीय अभिलेखों में संबंधित जाति का नाम ''भूमिहार ब्राह्मण'' अंकित है, जबकि वर्तमान में बिहार सरकार की जाति सूची एवं जाति प्रमाण–पत्रों में ''भूमिहार'' अंकित किए जाने के कारण अभिलेखीय विसंगति एवं भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है । इस संबंध में संबंधित व्यक्तियों एवं सामाजिक संगठनों द्वारा राज्य सरकार के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किए गए हैं । वर्ष 1931 के जनगणना रिपोर्ट एवं राजस्व विभाग के तमाम भू–अभिलेख दिए गए हैं जिसमें जाति का नाम भूमिहार–ब्राह्मण अंकित है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : कृपया शांति बनाए रखें ।

श्री जिवेश कुमार :सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पत्र संख्या–11/आ॰म॰ई॰क॰–04/2026 सा.प्र. 1123, दिनांक–23.06.2026 के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि ''भूमिहार'' के स्थान पर ''भूमिहार ब्राह्मण'' अंकित किए जाने का मामला सरकार के समक्ष विचाराधीन है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : कृपया शांति बनाए रखिए ।

श्री जिवेश कुमार : अतः बिहार सरकार की जाति सूची एवं जाति प्रमाण–पत्रों में जाति के नाम में एकरूपता सुनिश्चित करने, विचाराधीन प्रस्ताव पर शीध्र निर्णय लेने तथा आवश्यक संशोधन कर संबंधित विभागों को स्पष्ट निर्देश जारी करने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग । प्लीज बैठ जाइए । इसके बाद मौका देंगे, बैठिए । हम देंगे मौका । बैठिए ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्य अपनी–अपनी सीट पर बैठ गए)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : महोदय, माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए ध्यानाकर्षण सूचना के संदर्भ में वस्तुस्थिति यह है कि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार पटना के संकल्प संख्या–10052, दिनांक–13.07.2015 द्वारा उच्च जाति के लिए राज्य आयोग बिहार के अनुशंसा के आलोक में उच्च जाति, अल्पसंख्यक सहित के सदस्यों को जाति प्रमाणपत्र निर्गत करने के संबंध में दिशा–निर्देश परिचालित किए गए हैं जिसकी कंडिका–4 (क) में हिंदी समुदाय के अंतर्गत उच्च जाति के लिए चार जातियां अंकित की गई हैं...

(व्यवधान)

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, एस0सी0 / एस0टी0 के विषय को...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : सरकार ने कहा है, समीक्षा करेगी ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : यथा ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार और कायस्थ, इसलिए आगे कोई विचार करने का इसमें प्रश्न नहीं है, इतना ही अंकित है ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्य सदन से वॉकआउट कर गए)

श्री जिवेश कुमार : महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री जी तो विद्वान उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इनके जवाब में जो मेरा ध्यानाकर्षण है उससे संबंधित एक लाइन भी जवाब नहीं है, हम क्षमा चाहते हैं यह बात कहते हुए, चूंकि राज्य सरकार...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : शांति–शांति । शांति बनाए रखें ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : और है । अंत में यह है कि उक्त संबंध में विभिन्न अभ्यावेदकों, संगठनों से विवेचित मामले के समन्वय प्राप्त अनुरोध के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार पटना के पत्रांक–19635, दिनांक–10.10.2025 द्वारा उच्च जाति के विकास के लिए राज्य आयोग, बिहार पटना के मंतव्य उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था, जिसके आलोक में उच्च जाति के विकास के लिए राज्य आयोग, बिहार पटना के पत्रांक–713, दिनांक–19.12.2025 द्वारा दिनांक–17.01.2025 को आयोग कार्यालय की पूर्ण बैठक की कार्यवाही की कंडिका–8 में सर्वसम्मति से निर्णय लिए जाने का संदर्भित किया गया है कि भूमिहार ब्राह्मण जाति नाम के रूप में परिवर्तन किए जाने के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार पटना के पत्रांक–19653,

दिनांक–10.10.2025 के आलोक में भूमिहार ब्राह्मण का नाम परिवर्तित लिखने के संबंध में आयोग में चर्चा हुई । आयोग के दस्तावेज में इससे पूर्व किसी भी जाति के नाम परिवर्तन करने की चर्चा आयोग में नहीं है, न ही आयोग के द्वारा इस प्रकार की कोई अनुशंसा की गई है । इसलिए उच्च जाति के विकास के लिए राज्य आयोग, बिहार पटना के द्वारा भूमिहार अथवा भूमिहार ब्राह्मण लिखने के संबंध में कोई निर्णय लेना उचित प्रतीत नहीं होता । इसके विपरीत कतिपय अभ्यावेदकों द्वारा यह भी अनुरोध किया गया है कि सरकारी दस्तावेजों, अभिलेखों एवं प्रपत्रों में भूमिहार को केवल भूमिहार के रूप में ही अंकित किए जाने के दिशा–निर्देश दिए जाएं । भूमिहार ब्राह्मण जैसे संयुक्त भ्रमित करने वाले शब्दों का तत्काल रोक लगाई जाए तथा पूर्व में इन दस्तावेजों में यदि संभव हो, तो आवश्यक सुधार किए जाएं ।

टर्न–5 / पुलकित / 24.07.2026

श्री जिवेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने तो पूरा भ्रम ही फैला दिया अपने उत्तर से। यह क्या है? हुजूर, मैं प्रमाण के साथ कह रहा हूँ, यह कौन है?

अध्यक्ष : आप दस्तावेज दे दीजिए ।

श्री जिवेश कुमार : यह राज्य सरकार नहीं है क्या ? इस दस्तावेज में देखा जाए मद्य निषेध उत्पाद विभाग अपने रजिस्ट्री में क्यों लिखता है भूमिहार ब्राह्मण? केवल भूमिहार ब्राह्मण लिखता है, क्यों लिखता है भूमिहार ब्राह्मण? मंत्री जी भ्रम न फैलाएं। यह क्या है? यह किसका अभिलेख है? यह इसके राजस्व एवं भूमि विभाग...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य सरकार देख लेगी ।

श्री जिवेश कुमार : महोदय, गलत उत्तर है । भूमि एवं राजस्व विभाग...

(व्यवधान)

एक मिनट मैं प्रमाण दे रहा हूं ।

अध्यक्ष : कृपया शांति बना रखें । बैठ जाइये । सभी माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर बैठ जाइये । बैठ जाइये ।

श्री जिवेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, यह अंग्रेज का गजेटियर है । 1931 में जब जनगणना हुई थी ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठ जाइये । माननीय सदस्य श्री विशाल प्रशांत जी । जिवेश जी बैठ जाइये, प्लीज हो गया ।

श्री जिवेश कुमार : सर, मैं तथ्य पर खड़ा हूँ । यह सेंसेक्स 1931 का है । हुजूर 1931 के सेंसेक्स में भूमिहार ब्राह्मण हैं, किसने मेरा नाम बदला...

अध्यक्ष : बात आ गयी है । आपकी बात आ गयी है । मेरा आग्रह है आप बैठ जाइये ।

(व्यवधान)

विशाल प्रशांत जी, आप बोलिये । आप बैठ जाइये । प्लीज बैठ जाइये । जिवेश जी आप बैठ जाइये । आप सारा डॉक्यूमेंट दे दीजिए । माननीय सदस्य जिवेश जी सारा डॉक्यूमेंट सरकार को दे दीजिए । सरकार देख लेगी ।

(व्यवधान)

श्री विशाल प्रशांत : माननीय अध्यक्ष महोदय....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : प्लीज, बैठ जाइये । मेरी बात जिवेश जी सुन लीजिए, आप बैठिये । सारा डॉक्यूमेंट आप दे दीजिए, सरकार देख लेगी । आप अभी बैठिये ।

श्री विशाल प्रशांत : जिवेश सर, एक मिनट ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : प्रशांत जी बोल रहे हैं ।

श्री विशाल प्रशांत : सर, जैसा माननीय मंत्री जी का जवाब आया है....

(व्यवधान)

सर, एक सेकंड रूकिये ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य बोल रहे हैं, आप बैठिये । उनको सुनिये ।

श्री विशाल प्रशांत : सर, जैसा माननीय मंत्री जी का जवाब आया है कि भूमिहार को ब्राह्मण, भूमिहार ब्राह्मण नहीं रखा जाएगा । सर, से निवेदन है हम लोगों को शिड्यूल ट्राइब में डाल दिया जाए। सर, हम लोगों कि जो स्थिति है, उसकी जांच कराई जाए और हम लोगों को शिड्यूल ट्राइब में ही क्यों नहीं डाल दिया जा रहा है? अगर आप पिछले 1931...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : समय हो रहा है । मेरा आग्रह है अपने प्रस्तावों को, सुझावों को लिखित में सरकार को दे दें।

श्री विशाल प्रशांत : 1931 से आप चीजों की जांच करायें । उसके अंदर हर रजिस्ट्री में, हर जगह भूमि ब्राह्मण....

अध्यक्ष : आप लिखित में दे दीजिए । अभी समय 12:30 होने जा रहा है । लिखित में अपने सुझावों को, प्रस्तावों को दें दे। सरकार पर विश्वास कीजिए।

(व्यवधान)

श्री विशाल प्रशांत : 1931 के सर्वे में भी किया गया है....

अध्यक्ष : ये सरकार देखेगी, सरकार पर विश्वास कीजिए।

(व्यवधान)

शेष शून्यकाल की स्वीकृत सूचनाओं को पढ़ा हुआ माना जाता है और उन्हें शून्यकाल समिति के समक्ष सुपुर्द किया जाता है।

(व्यवधान)

श्री विशाल प्रशांत : बिहार सरकार एक सर्वेक्षण करें, भूमिहार जाति के ऊपर और उनकी वास्तविक स्थिति को लेते हुए शिड्यूल ट्राइब में भेजने का काम, प्रस्ताव भेजने का काम करें....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप लोगों की अपनी–अपनी राय जो है....

(व्यवधान)

अपनी–अपनी राय लिख करके दे दें, सरकार देखेगी और जिन बातों को आपने रखा है, जल्दी ही सरकार समाधान कराएगी।

शेष शून्यकाल की सूचनाओं को पढ़ा हुआ माना गया

Rule No.	Diary No.	Details	Asked By	Ministry	Department	Status	Sent Date	Remarks
23(A)	18/3/537	**सड़कों की मरम्मति** पूर्णिया जिला अन्तर्गत बायसी एवं डगरुआ प्रखंडो की कुल 17 प्रमुख सड़कें अत्यंत जर्जर है इन्ही सड़को से क्षेत्र के 90% ग्रामीणों का आवागमन होता है खराब सड़को के कारण आए-दिन दुर्घटनाएं होती रहती है अतः मैं इन सभी सड़को की मरम्मती का माँग करता हूं	गुलाम सरवर (57)	ग्रामीण कार्य विभाग	ग्रामीण कार्य			*So Notices 3 (SO Notice) to Secretary - (24/07/2026)* शून्यकाल की सूचना को स्वीकृत किया जा सकता है।
23(A)	18/3/538	**योजना का विस्तार करना।** गयाजी जिले में गंगा जल योजना से गया शहर, मानपुर एवं बोधगया को शुद्ध पेयजल मिल रहा है, जबकि शेरघाटी विधानसभा के डोभी, शेरघाटी, आमस प्रखंड के पहाड़ी एवं सुदूरवर्ती क्षेत्र आज भी पेयजल संकट से जूझ रहे हैं सरकार इन क्षेत्रों तक गंगा जल योजना का विस्तार करे	उदय कुमार सिंह (226)	जल संसाधन विभाग	जल संसाधन			*So Notices 3 (SO Notice) to Secretary - (24/07/2026)* शून्यकाल की सूचना को स्वीकृत किया जा सकता है।
23(A)	18/3/539	**निर्माण समय से पूरा करने के सम्बन्ध में** सीतामढ़ी मेहसौल आर.ओ.बी के निर्माण में हो रही देरी के कारण वहां प्रतिदिन जाम लगा रहता है जिससे आवागमन प्रभावित होती है रेलवे और पुल निर्माण निगम के बीच आपसी समन्वय की कमी और कार्य की धीमी निगरानी के कारण प्रोजेक्ट की समय सीमा बार बार फेल हो रही है	सुनील कुमार पिन्टू (28)	पथ निर्माण विभाग	पथ निर्माण			*So Notices 3 (SO Notice) to Secretary - (24/07/2026)* शून्यकाल की सूचना को स्वीकृत किया जा सकता है।
23(A)	18/3/540	**पुल निर्माण करने के संबंध में** सीतामढ़ी जिला के सोनवरसा प्रखंड अंतर्गत दलकावा पंचायत के पड़ड़िया से दलकावा जाने वाली सड़क के बीच टंगधीचा नदी बहती है जिस पर पुल नही है अतःपड़ड़िया से दलकावा के बीच बहने वाली नदी पर पुल निर्माण कराने की मांग सरकार से करती हुं	गायत्री देवी (25)	पथ निर्माण विभाग	पथ निर्माण			*So Notices 3 (SO Notice) to Secretary - (24/07/2026)* शून्यकाल की सूचना को स्वीकृत किया जा सकता है।
23(A)	18/3/541	**सड़क का चौड़ीकरण के संबंध में** बगहा विधानसभा अंतर्गत NH-727 छोटकी पट्टी से परसा देउरवा नड्डा होते हुए कपरधिका मेन रोड तक सड़क को चौड़ीकरण के साथ मजबूतीकरण कराने हेतु सरकार से मांग करता हूँ	राम सिंह (04)	पथ निर्माण विभाग	पथ निर्माण			*So Notices 2 (SO Notice) to Secretary - (24/07/2026)* शून्यकाल की सूचना को स्वीकृत किया जा सकता है।
23(A)	18/3/542	**नामकरण के संबंध में** माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के माध्यम से मैं यह निवेदन करता हूँ घोसी प्रखंड मुख्यालय में नवनिर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का नामकरण देश की सेवा में नौशेरा कश्मीर में सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीद ओम प्रकाश पासवान जी के नाम पर किया जाए	रितुराज कुमार (217)	स्वास्थ्य विभाग	स्वास्थ्य			*So Notices 2 (SO Notice) to Secretary - (24/07/2026)* शून्यकाल की सूचना को स्वीकृत किया जा सकता है।
23(A)	18/3/543	**स्नातकोत्तर शिक्षा प्रारंभ करना** रोहतास जिले के सासाराम महिला महाविद्यालय में सभी विषयों में स्नातकोत्तर (एम.ए.) की पढ़ाई उपलब्ध नहीं है, जिससे छात्राओं को अन्य शहरों में जाना पड़ता है अतः सरकार से अनुरोध है कि छात्रहित में सभी विषयों में स्नातकोत्तर शिक्षा की व्यवस्था यथाशीघ्र प्रारंभ कराने की मांग करती हूं	स्नेहलता (208)	उच्च शिक्षा विभाग	उच्च शिक्षा			*So Notices 2 (SO Notice) to Secretary - (24/07/2026)* शून्यकाल की सूचना को स्वीकृत किया जा सकता है।

Rule No.	Diary No.	Details	Asked By	Ministry	Department	Status	Sent Date	Remarks
23(A)	18/3/544	**वन पथ में शामिल करने के संबंध में** रोहतास जिला अंतर्गत नौहट्टा प्रखंड स्थित खुखमा घाटी को वन पथ में शामिल करने से क्षेत्रवासियों को पहाड़ी क्षेत्र में आवागमन की सुविधा मिलेगी। अतः सरकार से खुखमा घाटी को वन पथ में शामिल कर ग्रामीणों के आवागमन हेतु सड़क सुविधा उपलब्ध कराने की मांग करता हूं।	मुरारी प्रसाद गौतम (207)	पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन			*So Notices 2 (SO Notice) to Secretary - (24/07/2026)* शून्यकाल की सूचना को स्वीकृत किया जा सकता है।
23(A)	18/3/545	**हलेश्वर स्थान मंदिर परिसर में स्थायी पुलिस केंद्र (ओ.पी.) का निर्माण** सीतामढ़ी जिले के हलेश्वर स्थान महादेव मंदिर में प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु आते हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा हेतु वरीय पुलिस अधिकारियों द्वारा स्थायी पुलिस केंद्र (ओ.पी.) के निर्माण का प्रस्ताव भेजे जाने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई है। सरकार से ओ.पी. निर्माण कराने का अनुरोध करता हूँ।	बैद्यनाथ प्रसाद (23)	गृह विभाग	गृह विभाग			*So Notices 2 (SO Notice) to Secretary - (24/07/2026)* शून्यकाल की सूचना को स्वीकृत किया जा सकता है।
23(A)	18/3/546	**सड़क मरम्मत के संबंध में** कैमुर जिला अंतर्गत भभुआ प्रखण्ड के अकोढ़ी नहर से तमाढ़ी, तमाढ़, भिरियाँ से होते हुए दुर्गावती नदी तक बना सड़क बहुत जर्जर हो चूका है। अतः उक्त सड़क की मरम्मत की माँग सरकार से करता हूँ।	भरत बिन्द (205)	पथ निर्माण विभाग	पथ निर्माण			*So Notices 2 (SO Notice) to Secretary - (24/07/2026)* शून्यकाल की सूचना को स्वीकृत किया जा सकता है।
23(A)	18/3/547	**कटिहार-जिला अंतर्गत कदवा प्रखंड में 132/33 केवी ग्रिड उपकेंद्र स्थापना के संबंध में।** कटिहार-जिला अंतर्गत कदवा प्रखंड की विद्युत आपूर्ति सालमारी 132/33 केवी ग्रिड उपकेंद्र सोनैली पावर-सब-स्टेशन के माध्यम से होती है। सोनैली से टैपिंग कर अन्य पावर सब-स्टेशनो को भी आपूर्ति की जाती है। विस्तृत क्षेत्र के कारण विद्युत-आपूर्ति बाधित रहती है। अतः कदवा में 132/33 केवी ग्रिड-उपकेंद्र की स्थापना की जाए।	दुलाल चंद्र गोस्वामी (64)	ऊर्जा विभाग	ऊर्जा			*So Notices 2 (SO Notice) to Secretary - (24/07/2026)* शून्यकाल की सूचना को स्वीकृत किया जा सकता है।
23(A)	18/3/548	**जलजमाव की समस्या से निजात के संबंध में** नरकटियागंज प्रखंड के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में अनेक स्थानों पर नालियों का निर्माण तो किया गया है, किन्तु जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने तथा नालियों के जर्जर एवं अवरुद्ध होने के कारण वर्षभर जलजमाव की स्थिति बनी रहती है। इससे राहगीरों को भारी कठनाईया होती है	संजय कुमार पाण्डेय (03)	पंचायती राज विभाग	पंचायती राज			*So Notices 2 (SO Notice) to Secretary - (24/07/2026)* शून्यकाल की सूचना को स्वीकृत किया जा सकता है।
23(A)	18/3/549	**दरभंगा जिलान्तर्गत मनीगाछी एवं सदर प्रखण्डों को सुखाड़ घोषित कर सरकारी अनुदान की माँग हेतु** वर्ष 2026 के मानसून में वर्षा नहीं होने से दरभंगा जिलान्तर्गत मनीगाछी एवं सदर प्रखण्डों के किसानों ने पानी अभाव के कारण खेती नहीं कर सके। अतः मैं सरकार से उक्त दोनो प्रखण्डों को सुखाड़ घोषित कर सरकारी अनुदान की माँग करता हूँ।	राजेश कुमार मंडल (82)	आपदा प्रबंधन विभाग	आपदा प्रबंधन			*So Notices 2 (SO Notice) to Secretary - (24/07/2026)* शून्यकाल की सूचना को स्वीकृत किया जा सकता है।
23(A)	18/3/550	**चिकित्सक को नर्स की बहाली के संबंध में** सिमरीबख्तियारपुर के सोनपुरा उपस्वास्थ्य केंद्र में न डॉक्टर हैं न नर्स। घनी आबादी वाले इस क्षेत्र को प्राथमिक चिकित्सा, हल्की बीमारी या आपातकालीन स्थिति के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अतः सरकार से मांग है कि वहां अविलंब चिकित्सक व नर्स की बहाली की जाए।	संजय कुमार सिंह (76)	स्वास्थ्य विभाग	स्वास्थ्य			*So Notices 2 (SO Notice) to Secretary - (24/07/2026)* शून्यकाल की सूचना को स्वीकृत किया जा सकता है।

Rule No.	Diary No.	Details	Asked By	Ministry	Department	Status	Sent Date	Remarks
23(A)	18/3/551	**डुमरांव एवं टुड़ीगंज रेलवे स्टेशनों पर शौचालय व्यवस्था की बदहाली एवं स्वच्छ भारत मिशन का उल्लंघन⍰** डुमरांव विधानसभा क्षेत्र के टुड़ीगंज रेलवे स्टेशन पर स्थायी शौचालय नहीं है तथा अस्थाई शौचालय अधिकांश समय बंद रहता है⍰ डुमरांव स्टेशन के शौचालय का उपयोग पार्किंग के रूप में हो रहा है⍰ यह स्वच्छ भारत मिशन की भावना के विपरीत है⍰ सरकार तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करें⍰	राहुल कुमार सिंह (201)	संसदीय कार्य विभाग	संसदीय कार्य			*SO Notices 1 (SO Notice) to Secretary (24/07/2026)* संबन्धित सूचना केंद्र सरकार से संबंधित है⍰ अतः नियम 23(क) के अनुरूप नहीं होने के कारण अस्वीकृत किया जा सकता है⍰ *Secretary (Smt. Poonam Sinha) to InCharge - (24/07/2026)* टिप्पणी में सुधार के लिये वापस⍰ *So Notices 2 (SO Notice) to Secretary - (24/07/2026)* शून्यकाल की सूचना को स्वीकृत किया जा सकता है।
23(A)	18/3/552	**मुआवजा देने के संबंध में** अररिया जिला में मार्च तथा अप्रैल 2026 में लगभग दस बार आए आंधी तूफान से किसानों की मक्का की फसल तथा कच्चे मकान बुरी तरह बर्बाद हो गए थे⍰ अतः उक्त किसानों के उक्त फसल व पीड़ित परिवारों को गृह क्षति का मुआवजा देने की मांग करता हूं⍰	मोहम्मद मुर्शिद आलम (50)	आपदा प्रबंधन विभाग	आपदा प्रबंधन			*So Notices 2 (SO Notice) to Secretary - (24/07/2026)* शून्यकाल की सूचना को स्वीकृत किया जा सकता है।
23(A)	18/3/553	**आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग (EWS) हेतु आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु** आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग (EWS) के छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य के सभी जिलों में पृथक छात्रावास की स्थापना की जाए, ताकि उन्हें भी अन्य वर्गों के समान गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक वातावरण एवं समान अवसर प्राप्त हो सकें⍰	रोमित कुमार (233)	उच्च शिक्षा विभाग	उच्च शिक्षा			*So Notices 2 (SO Notice) to Secretary - (24/07/2026)* शून्यकाल की सूचना को स्वीकृत किया जा सकता है।
23(A)	18/3/554	**सड़क तथा पुल पुलिया का NOC देने के सम्बन्ध में।** गयाजी जिला-अंतर्गत विधान सभा क्षेत्र बाराचट्टी में दर्जनों गाँव जंगल के भीतर बसे हैं⍰ वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं मिलने से सड़क तथा पुल पुलिया का निर्माण कार्य बाधित है⍰ लोग कठिनाइयों में आवागमन करते हैं⍰ सदन से सड़क तथा पुल-पुलिया बनाने की माँग करती हूँ⍰	ज्योति देवी (228)	पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन			*So Notices 2 (SO Notice) to Secretary - (24/07/2026)* शून्यकाल की सूचना को स्वीकृत किया जा सकता है।

Rule No.	Diary No.	Details	Asked By	Ministry	Department	Status	Sent Date	Remarks
23(A)	18/3/555	**टेक्नीशियन और वार्ड अटेंडेंट जैसी मूल भूत सुविधा उपलब्ध कराने की मांग के संबंध में** गया जी जिलांतर्गत गुरुआ प्राथमिक स्वास्थ केंद्र में लेटेस्ट वर्जन का डिजिटल एक्सरे मशीन ई.सी.जी, टेक्नीशियन और वार्ड अटेंडेंट की कमी के कारण लोगों को काफी दिक्कत होती है। लेटेस्ट वर्जन का डिजिटल एक्सरे मशीन ई सी जी, टेक्नीशियन और वार्ड अटेंडेंट जैसी मूल भूत सुविधा उपलब्ध कराने की मांग करता हूं।	उपेन्द्र प्रसाद (225)	स्वास्थ्य विभाग	स्वास्थ्य			*So Notices 2 (SO Notice) to Secretary - (24/07/2026)* शून्यकाल की सूचना को स्वीकृत किया जा सकता है।
23(A)	18/3/556	**बेगूसराय जिलांतर्गत NH-31 पर सर्विस लेन निर्माण हेतु केन्द्र सरकार से मांग करने के संबंध में** बेगूसराय के जीरोमाइल से बीहट तक एन.एच. 31 के दोनों तरफ सर्विस लेन नहीं होने से अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। अतः जनहित में राज्य सरकार से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को जीरोमाइल से बीहट चांदनी चौक तक दोनों तरफ सर्विस लेन बनाने का प्रस्ताव भेजने की माँग करता हूँ।	रजनीश कुमार (143)	पथ निर्माण विभाग	पथ निर्माण			*So Notices 2 (SO Notice) to Secretary - (24/07/2026)* शून्यकाल की सूचना को स्वीकृत किया जा सकता है।
23(A)	18/3/557	**शहर का विस्तार करना** भागलपुर शहर में लगातार बढ़ती आबादी के कारण अत्यधिक भीड़, यातायात जाम एवं अव्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो रही है। अतः सरकार से मांग है कि प्रमुख सरकारी कार्यालयों को चरणबद्ध तरीके से शहर के बाहरी क्षेत्रों में स्थापित किया जाए, जिससे शहर विस्तार हो तथा यातायात सुगम हो।	रोहित पाण्डेय (156)	नगर विकास एवं आवास विभाग	नगर विकास एवं आवास			*So Notices 2 (SO Notice) to Secretary - (24/07/2026)* शून्यकाल की सूचना को स्वीकृत किया जा सकता है।
23(A)	18/3/558	**कार्रवाई करने के संबंध में** बिहार मे ग्रामीण सड़कों के निर्माण के बाद सड़क के दोनों तरफ फ्लैंक, मिट्टी भराई एवं वृक्षारोपण का प्रावधान है लेकिन इसका अनुपालन नगण्य है जिससे सड़क जल्दी टूट जा रहा है। इसकी जांच करवा कर उचित कार्रवाई की मांग सरकार से करते हैं।	श्याम बाबू प्रसाद यादव (17)	ग्रामीण कार्य विभाग	ग्रामीण कार्य			*So Notices 2 (SO Notice) to Secretary - (24/07/2026)* शून्यकाल की सूचना को स्वीकृत किया जा सकता है।
23(A)	18/3/559	**प्रतिनियुक्ति के सम्बन्ध में** पटना जिला के बाढ़ अनुमण्डलीय अस्पताल में प्रतिनियुक्त विशेषज्ञ डॉक्टर की अन्यत्र प्रतिनियुक्ति रहने के कारण आम मरीजों को बेहतर इलाज नहीं मिलती है अतः बाढ़ अनुमण्डलीय अस्पताल में प्रतिनियुक्त विशेषज्ञ डॉक्टर की अन्यत्र प्रतिनियुक्ति समाप्त करते हुए स्थायी रूप से प्रतिनियुक्त करने की मांग सरकार से करता हूँ।	सियाराम सिंह (179)	स्वास्थ्य विभाग	स्वास्थ्य			*So Notices 2 (SO Notice) to Secretary - (24/07/2026)* शून्यकाल की सूचना को स्वीकृत किया जा सकता है।
23(A)	18/3/560	**सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करना** औरंगाबाद जिले के मदनपुर और रफीगंज प्रखंडों में मानसून की शुरुआती दौर में अनियमित बारिश के कारण सूखे जैसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, कमजोर मानसून एवं सिंचाई के लिए पानी संकट से किसानों की चिंता बढ़ने लगी है। अतएव दोनों प्रखंडों को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करें।	प्रमोद कुमार सिंह (224)	आपदा प्रबंधन विभाग	आपदा प्रबंधन			*So Notices 3 (SO Notice) to Secretary - (24/07/2026)* शून्यकाल की सूचना को स्वीकृत किया जा सकता है।
23(A)	18/3/561	**प्रक्रिया प्रारंभ करना** टीआरई 4 की बहाली का लंबे समय से अभ्यर्थियों को इंतजार है, इसकी अधिसूचना जारी नहीं होने से अभ्यर्थियों में असमंजस एवं निराशा का वातावरण बना हुआ है। अतः मांग करता हूँ कि टीआरई 4 की बहाली की अधिसूचना तत्काल भी शीघ्र जारी कर नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ कराया जाए	बशिष्ठ सिंह (209)	शिक्षा विभाग	शिक्षा			*So Notices 3 (SO Notice) to Secretary - (24/07/2026)* शून्यकाल की सूचना को स्वीकृत किया जा सकता है।

Rule No.	Diary No.	Details	Asked By	Ministry	Department	Status	Sent Date	Remarks
23(A)	18/3/562	**सड़क का निर्माण** समस्तीपुर जिला अंतर्गत ताजपुर प्रखंड में खादी भंडार चौक से महावीर चौक तक अधारपुर एवं भेड़ोखरा पंचायतों को जोड़ने वाली लगभग 2 किलोमीटर सड़क अत्यंत जर्जर है? माननीय सरकार से अनुरोध है कि इसका शीघ्र पुनर्निर्माण कराकर आवागमन सुगम कराया जाए?	अश्वमेघ देवी (133)	ग्रामीण कार्य विभाग	ग्रामीण कार्य			*So Notices 3 (SO Notice) to Secretary - (24/07/2026)* शून्यकाल की सूचना को स्वीकृत किया जा सकता है।
23(A)	18/3/563	**प्रशासनिक भवन का निर्माण** भागलपुर जिलान्तर्गत पीरपैंती में वर्षों बाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और सब-इंस्पेक्टर का कोई अपना प्रशासनिक कार्यालय भवन नहीं हैं, वर्तमान में दोनों महत्वपूर्ण अधिकारी क्रमशः धर्मशाला और डाक बंगले से कार्य संचालित कर रहे है, अतः जनहित में प्रशासनिक कार्यालय भवन के निर्माण हेतु मैं सरकार से मांग करता हूँ,	मुरारी पासवान (154)	गृह विभाग	गृह विभाग			*So Notices 3 (SO Notice) to Secretary - (24/07/2026)* शून्यकाल की सूचना को स्वीकृत किया जा सकता है।
23(A)	18/3/564	**पंचायत सरकार भवन का निर्माण?** कटिहार जिला अंतर्गत कोढ़ा एवं फलका प्रखंड में क्रमशः 06 एवं 05 पंचायत सरकार भवनों के निर्माण हेतु कार्यादेश निर्गत होने के बावजूद समय-सीमा समाप्त होने पर भी अधिकांश कार्य लगभग 40% ही पूर्ण हुआ है? सरकार संबंधित संवेदकों पर कार्रवाई करते हुए निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराए?	कविता देवी (69)	पंचायती राज विभाग	पंचायती राज			*So Notices 3 (SO Notice) to Secretary - (24/07/2026)* शून्यकाल की सूचना को स्वीकृत किया जा सकता है।
23(A)	18/3/565	**विद्युत सब स्टेशन का निर्माण?** पूर्णिया जिला प्रखंड रुपौली बाढ़ प्रभावित एवं अतिपिछड़ा क्षेत्र है, 6 पंचायत लॉ वोल्टेज से परेशान रहता है, नया विद्युत सब स्टेशन बन जाने से निजात मिलेगा? अतः चलते सत्र के माध्यम से 6 पंचायत के मध्य मोहनपुर में विद्युत सब स्टेशन निर्माण कराने की मांग करता हूं?	कलाधर प्रसाद मंडल (60)	ऊर्जा विभाग	ऊर्जा			*So Notices 3 (SO Notice) to Secretary - (24/07/2026)* शून्यकाल की सूचना को स्वीकृत किया जा सकता है।
23(A)	18/3/566	**उद्योगों की पुनर्स्थापना करना** रोहतास जिला अंतर्गत डेहरी डालमिया नगर महत्वपूर्ण एवं प्रसिद्ध औद्योगिक नगरी रही है परंतु यहां उद्योगों के बंद हो जाने से बड़ी संख्या में लोग रोजगार से वंचित हो गए हैं मैं डेहरी डालमियानगर में बंद पड़े उद्योगों के औद्योगिक पुनर्स्थापन करने की मांग करता हूं ?	राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह (212)	उद्योग विभाग	उद्योग विभाग			*So Notices 3 (SO Notice) to Secretary - (24/07/2026)* शून्यकाल की सूचना को स्वीकृत किया जा सकता है।
23(A)	18/3/567	**सड़क का निर्माण** समस्तीपुर जिला के मोरवा प्रखंड अंतर्गत मरीचा चौक से संजीत राय के घर होते हुए ब्रह्मस्थान तक लगभग 2.2KM सड़क एवं पटोरी नगर परिषद पुरानी बाजार से ईमनसराय, गोरगम्मा, मकनपुर जाने वाली लगभग 5KM सड़क जर्जर अवस्था में है? जनहित में उक्त सड़कों को शीघ्र बनाने की मांग करता हूं?	रणविजय साहू (135)	ग्रामीण कार्य विभाग	ग्रामीण कार्य			*So Notices 3 (SO Notice) to Secretary - (24/07/2026)* शून्यकाल की सूचना को स्वीकृत किया जा सकता है।
23(A)	18/3/568	**सड़क का निर्माण** सिवान जिलांतर्गत पचरूखी प्रखंड के सिवान–सरफरा रोड़ में बरहनी बाजार से प्रेमहाता तथा बड़हरिया प्रखंड में सुरवलिया जीन बाबा के स्थान से विश्वनाथ मोड़ तक सड़क की स्थिति अत्यंत जर्जर है? आवागमन अत्यंत जोखिमपूर्ण है? अतः सरकार से अविलंब दोनों सड़कों को पुनर्निर्माण कराने की मांग करता हूँ?	इन्द्रदेव सिंह (110)	ग्रामीण कार्य विभाग	ग्रामीण कार्य			*So Notices 3 (SO Notice) to Secretary - (24/07/2026)* शून्यकाल की सूचना को स्वीकृत किया जा सकता है।

Rule No.	Diary No.	Details	Asked By	Ministry	Department	Status	Sent Date	Remarks
23(A)	18/3/569	**तीर्थ अनुदान** बिहार के गरीब श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत दुर्गम एवं खर्चीली कैलाश मानसरोवर धार्मिक यात्रा अत्यंत कठिन है। अतः जनहित में सरकार से मांग है कि राज्य के पात्र यात्रियों को ₹1,00,000 (एक लाख रुपये) का वित्तीय अनुदान देने हेतु नीतिगत निर्णय लेने की कृपा करें।	मुरारी मोहन झा (86)	पर्यटन विभाग	पर्यटन			*So Notices 3 (SO Notice) to Secretary - (24/07/2026)* शून्यकाल की सूचना को स्वीकृत किया जा सकता है।
23(A)	18/3/570	**अल्पसंख्यक बालिकाओं का इनरोलमेंट कराना।** मुंगेर नगर निगम अंतर्गत बैजनाथ राजकीय बालिका+2 उ०वि० में छात्राओं के लिए सरकार द्वारा निर्मित अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास में अनधिकृत रूप से अल्पसंख्यक छात्र निवासित हैं। अतः उक्त छात्रावास को अनधिकृत कब्जा से मुक्त कराते हुए अल्पसंख्यक बालिकाओं का इनरोलमेंट कराने हेतु मैं सरकार से मांग करता हूँ।	कुमार प्रणय (165)	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	अल्पसंख्यक कल्याण			*So Notices 3 (SO Notice) to Secretary - (24/07/2026)* शून्यकाल की सूचना को स्वीकृत किया जा सकता है।
23(A)	18/3/571	**नाला एवं सड़कनिर्माण कराना** कोचाधागन विधानसभा अंतर्गत अधिकांशगाँव में पूर्वसे निर्मित सड़के काफीनीचे एवं नाला नहींरहने के कारण बरसात में जलजमाव की स्थिति बनीरहती है बरसात के समय में सड़कों पर आवागमन में स्कूली बच्चों,मरीजों एवं आमलोगों को काफी कठिनाई होती है सभी निचलेस्थानों पर नाला एवं सड़कनिर्माण कराने की मांग करता हूँ।	सरवर आलम (55)	ग्रामीण कार्य विभाग	ग्रामीण कार्य			*So Notices 3 (SO Notice) to Secretary - (24/07/2026)* शून्यकाल की सूचना को स्वीकृत किया जा सकता है।
23(A)	18/3/572	**भवन निर्माण कराने के संबंध में।** भोजपुर जिला अंतर्गत प्रखंड अगिआंव के ग्राम ननउर के उच्च माध्यमिक विद्यालय+2 मान्यता प्राप्त है। लेकिन विद्यालय के न अपनी भूमि है, न भवन। इससे कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित है। अतः सरकार से विद्यालय हेतु भूमि उपलब्ध कराकर शीघ्र भवन निर्माण कराने की मांग करता हूं।	महेश पासवान (195)	शिक्षा विभाग	शिक्षा			*So Notices 3 (SO Notice) to Secretary - (24/07/2026)* शून्यकाल की सूचना को स्वीकृत किया जा सकता है।
23(A)	18/3/573	**दो-लेन सड़क का निर्माण** मुजफ्फरपुर के मीनापुर से बेलसंड, परसौनी एवं रीगा होते हुए सीतामढ़ी के मेजरगंज तक का यह प्रमुख संपर्क मार्ग संकीर्ण एवं जर्जर होने से आवागमन, व्यापार तथा सड़क सुरक्षा प्रभावित है। अतः जनहित में इसे राजकीय राजमार्ग घोषित कर शीघ्र दो-लेन सड़क के रूप में विकसित कराया जाए।	अमित कुमार (30)	पथ निर्माण विभाग	पथ निर्माण			*So Notices 3 (SO Notice) to Secretary - (24/07/2026)* शून्यकाल की सूचना को स्वीकृत किया जा सकता है।
23(A)	18/3/574	**कानून बनाने के सम्बन्ध में** माननीय नेता, विपक्ष पर गुरुतर-दायित्व रहने के बावजूद वे कई बार पूरे सत्र से अनुपस्थित रहते हैं। इससे देश में खराब संदेश जा रहा है। कानून नहीं रहने से वे अपने मूवमेंट से सदन को अवगत नहीं कराते हैं। अतः इससे संबंधित कानून बनाए जाने की मांग करता हूं।	जनक सिंह (116)	मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	मंत्रिमंडल सचिवालय			*SO Notices 1 (SO Notice) to Secretary - (24/07/2026)* शून्यकाल की सूचना बिहार विधान सभा के क्षेत्राधिकार से संबन्धित है। अतः नियम 23(क) के अनुरूप नहीं होने के कारण अस्वीकृत किया जा सकता है।

Rule No.	Diary No.	Details	Asked By	Ministry	Department	Status	Sent Date	Remarks
23(A)	18/3/575	**कार्रवाई के संबंध में** चनपटिया विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न उच्च विद्यालयों में निर्माणाधीन भवनों में घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। कई भवन निर्माण पूर्ण होने से पूर्व ही जर्जर होकर क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। अतः सरकार निर्माण कार्यों की उच्चस्तरीय जांच कर दोषी संवेदकों एवं अभियंताओं पर कार्रवाई करे।	अभिषेक रंजन (07)	उच्च शिक्षा विभाग	उच्च शिक्षा			So Notices 2 (SO Notice) to Secretary - (24/07/2026) शून्यकाल की सूचना को स्वीकृत किया जा सकता है।
23(A)	18/3/576	**विश्वविद्यालय स्थापित करने के संबंध में** बिहार में पांच नये विश्वविद्यालय की स्थापन की मंजूरी मिली है जिसमें मधुबनी, सिवान,नवादा,पटना, औरंगाबाद शामिल है। हम सदन के माध्यम से सरकार से आग्रह करते है कि कैमूर जिले मे एक विश्वविद्यालय खोलने की मंजूरी दी जाय।	सतीश कुमार सिंह यादव (203)	उच्च शिक्षा विभाग	उच्च शिक्षा			So Notices 2 (SO Notice) to Secretary - (24/07/2026) शून्यकाल की सूचना को स्वीकृत किया जा सकता है।
23(A)	18/3/577	**एकलव्य विधालय की स्थापना** जमुई जिलान्तर्गत आदिवासी बाहुल्य प्रखण्ड चकाई मे एकलव्य विधालय नहीं होने से पठन-पाठन मे कठनाई होती है। अतः उक्त प्रखण्ड में एकलव्य विधालय की स्थापना हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार से माँग करती हूँ।	सावित्री देवी (243)	शिक्षा विभाग	शिक्षा			So Notices 2 (SO Notice) to Secretary - (24/07/2026) शून्यकाल की सूचना को स्वीकृत किया जा सकता है।
23(A)	18/3/578	**अरवल जिले अंतर्गत सरकारी महाविद्यालय में P.G (स्नाकोत्तर) की पढाई शुरू करने हेतु** महोदय , अरवल जिले अंतर्गत सरकारी महाविद्यालय में P.G (स्नाकोत्तर) की पढाई की सुविधा नहीं है जिसके कारण इस जिले के बच्चों को बहुत दूर जाकर पढाई करना पड़ता है। अतः मैं इस जिले में जल्द से जल्द P.G (स्नाकोत्तर) की पढाई की मांग करता हूँ।	पप्पु कुमार वर्मा (215)	उच्च शिक्षा विभाग	उच्च शिक्षा			So Notices 2 (SO Notice) to Secretary - (24/07/2026) शून्यकाल की सूचना को स्वीकृत किया जा सकता है।
23(A)	18/3/579	**एल भी यू पी के स्थान पर भी यू पी की माँग के संबंध में** अररिया के नरपतगंज में एन.एच-27 पर पहले से एल भी यू पी मौजूद है जिसमें बरसात के मौसम में भारी जलजमाव हो जाता है जिससे नागरिको को कठिनाईयों से गुजरना पड़ता है। अतः मैं सरकार से एल भी यू पी के स्थान पर भी यू पी की माँग करती	देवंती यादव (46)	पथ निर्माण विभाग	पथ निर्माण			So Notices 2 (SO Notice) to Secretary - (24/07/2026) शून्यकाल की सूचना को स्वीकृत किया जा सकता है।
23(A)	18/3/580	**मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के संबंध में** बिहार राज्य के पटना जिलान्तर्गत बख्तियारपुर प्रखंड में सरकारी मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाए, ताकि पटना के पूर्वी एवं ग्रामीण क्षेत्रों की बढ़ती आबादी को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा विज्ञान की पढ़ाई उपलब्ध हो तथा स्वास्थ्य सेवाओं का प्रभावी विस्तार करने हेतु सरकार से मांग करता हूं।	अरुण कुमार (180)	स्वास्थ्य विभाग	स्वास्थ्य			So Notices 2 (SO Notice) to Secretary - (24/07/2026) शून्यकाल की सूचना को स्वीकृत किया जा सकता है।
23(A)	18/3/581	**भवन निर्माण करने के संबंध में** समस्तीपुर जिलांतर्गत सिंघिगा प्रखंड स्थित ग्राम लगमा में प्रा० स्वास्थ्य केंद्र का भवन 15 वर्षों से पूर्णतः क्षतिग्रस्त है। जनहित में प्रा० स्वास्थ्य उप-केंद्र लगमा के भवन निर्माण की माँग करता हूं।	राज कुमार राय (140)	स्वास्थ्य विभाग	स्वास्थ्य			So Notices 2 (SO Notice) to Secretary - (24/07/2026) शून्यकाल की सूचना को स्वीकृत किया जा सकता है।

Rule No.	Diary No.	Details	Asked By	Ministry	Department	Status	Sent Date	Remarks
23(A)	18/3/582	**पुल का निर्माण कराना** सिवान जिला के महाराजगंज प्रखंड अंतर्गत पटेड़ा पंचायत स्थित पुल अत्यंत जर्जर हो चुका है, जिससे स्थानीय लोगों को आवागमन में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है तथा दुर्घटना की आशंका बनी रहती है अतः सरकार से इस पुल का शीघ्र निर्माण कराने की मांग करता हूँ	हेम नारायण साह (112)	ग्रामीण कार्य विभाग	ग्रामीण कार्य			*So Notices 2 (SO Notice) to Secretary - (24/07/2026)* शून्यकाल की सूचना को स्वीकृत किया जा सकता है।
23(A)	18/3/583	**सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में** लखीसराय जिला के सूर्यगढ़ा प्रखंड अंतर्गत कुल 24 पंचायत एक नगरपरिषद पर मात्र एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र संचालित है जिसपर पूरी घनी आबादी इलाज हेतु आश्रित है। विशेषज्ञ चिकित्सक , अतिरिक्त बेड बढ़ाने के अलावे सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर उपलब्ध कराने हेतु सरकार से मांग करता हूं।	रामानन्द मंडल (167)	स्वास्थ्य विभाग	स्वास्थ्य			*So Notices 2 (SO Notice) to Secretary - (24/07/2026)* शून्यकाल की सूचना को स्वीकृत किया जा सकता है।
23(A)	18/3/584	**परीक्षा को सहरसा में संचालित करना** JEE mainc और JEE advance की परीक्षा सहरसा जिला में नहीं होता है यहां के बच्चों को Exam देने के लिए दूरदराज शहरों में जाना पड़ता है जिससे बच्चों को बहुत परेशानी होती है अतः इन सभी परीक्षाओं को सहरसा में कराए जाने की मांग करता हूं।	इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता (75)	शिक्षा विभाग	शिक्षा			*SO Notices 1 (SO Notice) to Secretary - (24/07/2026)* संबन्धित सूचना केंद्र सरकार से संबंधित है। अतः नियम 23(क) के अनुरूप नहीं होने के कारण अस्वीकृत किया जा सकता है। *Secretary (Smt. Poonam Sinha) to InCharge - (24/07/2026)* टिप्पणी में सुधार के लिये वापस। *So Notices 2 (SO Notice) to Secretary - (24/07/2026)* शून्यकाल की सूचना को स्वीकृत किया जा सकता है।
23(A)	18/3/585	**सड़क निर्माण की मांग के संबंध में** सिरदला- मेसकौर प्रखंड अंतर्गत लौंद बाजार से चमोथा एवं महादेव मोड़ एवम अकरी पुल से महुबाड़ी बागी होते हुए कोपिन मोड़ तक नई सड़क का निर्माण अत्यंत आवश्यक है। सड़क के अभाव में स्थानीय जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । अतः सरकार अविलंब कार्य करे	विमल राजवंशी (235)	ग्रामीण विकास विभाग	ग्रामीण विकास			*So Notices 2 (SO Notice) to Secretary - (24/07/2026)* शून्यकाल की सूचना को स्वीकृत किया जा सकता है।

Rule No.	Diary No.	Details	Asked By	Ministry	Department	Status	Sent Date	Remarks
23(A)	18/3/586	**जहाजो का परिचालन के संबंध में** गंगा नदी में जल परिवहन एक सस्ता विकल्प है इसे देखते हुए भागलपुर जिला के कहलगाँव में श्मशान घाट को छोड़कर किसी उपयुक्त स्थान पर बुनियादी ढांचे विकसित कर पानी का जहाज चलाने की मांग करता हूँ।	शुभानंद मुकेश (155)	परिवहन विभाग	परिवहन			So Notices 2 (SO Notice) to Secretary - (24/07/2026) शून्यकाल की सूचना को स्वीकृत किया जा सकता है।
23(A)	18/3/587	**कृषि महाविद्यालय स्थापित करने के संबंध में** अनाजों की उत्पादकता बढ़ाने, किसानों को वैज्ञानिक एवं तकनीकी जानकारियाँ उपलब्ध कराने, कृषि महाविद्यालयों में सीटों की कमी दूर करने और कृषि विज्ञान में विद्यार्थियों की बढ़ती रुचि को देखते हुये मैं सरकार से गोपालगंज में कृषि महाविद्यालय की स्थापना की माँग करता हूँ।	मंजीत कुमार सिंह (100)	कृषि विभाग	कृषि			So Notices 2 (SO Notice) to Secretary - (24/07/2026) शून्यकाल की सूचना को स्वीकृत किया जा सकता है।
23(A)	18/3/588	**रेफरल नीति बनाने के संबंध में** जिला और अनुमंडल अस्पताल बिना ठोस कारण या बेडकन्फर्म किए मरीजों को पटना रेफर कर रहे हैं और बेडकन्फर्मेशन का काम विधायकगण। अतः सरकार से मांग है कि ऐसी रेफरल नीति बनाई जाए जिसके तहत लिखित कारण और गंतव्य अस्पताल में बेडकन्फर्मेशन के बाद ही मरीजों को रेफर किया जाए।	आनन्द मिश्र (200)	स्वास्थ्य विभाग	स्वास्थ्य			So Notices 2 (SO Notice) to Secretary - (24/07/2026) शून्यकाल की सूचना को स्वीकृत किया जा सकता है।
23(A)	18/3/589	**सामाजिक-आर्थिक सर्वे कराकर सरकारी लाभ देने** बटाईदार/पट्टेदार किसानों को के.सी.सी. लोन, फसल बीमा एवं अन्य प्राकृतिक आपदा से होने वाली क्षतिपूर्ति, खाद-बीज, कृषि उपकरण सहित अन्य सभी सुविधाओं से बंचित है, क्योंकि दूसरे के जमीन पर खेती करते हैं। मैं सरकार से बटाईदार/पट्टेदार किसानों को सामाजिक-आर्थिक सर्वे कराकर उक्त सरकारी लाभ देने की मांग करता हूँ।	अजय कुमार (138)	कृषि विभाग	कृषि			So Notices 3 (SO Notice) to Secretary - (24/07/2026) शून्यकाल की सूचना को स्वीकृत किया जा सकता है।
23(A)	18/3/590	**सरकारी बस सेवा का शीघ्र परिचालन।** सार्वजनिक परिवहन की पर्याप्त सुविधा नहीं मिलने से काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के माध्यम से खुदागंज–इस्लामपुर–एकंगरसराय–तेलहाड़ा–पटना, एकंगरसराय–इस्लामपुर–खुदागंज–राजगीर तथा इस्लामपुर–एकंगरसराय–बिहारशरीफ मार्ग पर नियमित सरकारी बस सेवा का शीघ्र परिचालन सुनिश्चित करे।	रूहेल रंजन (174)	परिवहन विभाग	परिवहन			So Notices 3 (SO Notice) to Secretary - (24/07/2026) शून्यकाल की सूचना को स्वीकृत किया जा सकता है।
23(A)	18/3/591	**सड़क मोटरेबूल बनाना** चिरैया एवं पताही प्रखंड सहित राज्यभर की अनेक ग्रामीण सड़कें बरसात के कारण जलजमाव और कीचड़ से बदहाल हो गई हैं। इससे आमजन का आवागमन गंभीर रूप से प्रभावित है। मांग करता हूं सभी प्रभावित ग्रामीण सड़कों पर तत्काल टुकड़ा/गिट्टी डालकर उन्हें मोटरेबुल बनाया जाए	लाल बाबू प्रसाद गुप्ता (20)	ग्रामीण कार्य विभाग	ग्रामीण कार्य			So Notices 3 (SO Notice) to Secretary - (24/07/2026) शून्यकाल की सूचना को स्वीकृत किया जा सकता है।
23(A)	18/3/592	**खेल स्टेडियम का निर्माण** सिवान जिला अंतर्गत गोरेयाकोठी विधानसभा क्षेत्र के गोरेयाकोठी, लकड़ी नबीगंज एवं बसंतपुर प्रखंडों में खेल स्टेडियम निर्माण वर्षों से लंबित है, इससे खिलाड़ियों को कठिनाई हो रही है अतः सरकार अविलंब स्टेडियम निर्माण प्रारंभ कर युवाओं को आवश्यक खेल सुविधाएँ उपलब्ध कराए	देवेशकान्त सिंह (111)	खेल विभाग	खेल			So Notices 3 (SO Notice) to Secretary - (24/07/2026) शून्यकाल की सूचना को स्वीकृत किया जा सकता है।

Rule No.	Diary No.	Details	Asked By	Ministry	Department	Status	Sent Date	Remarks
23(A)	18/3/593	**निर्बाध बिजली की आपूर्ति कराना** जीरादेई विधानसभा के पंचायत 'अकोल्ही' और 'सेमरिया' में कम KVA के ट्रांसफर्मर तथा जर्जर तार के चलते बिजली बाधित होती रहती है। अतः मैं सदन के माध्यम से माँग करता हूँ कि सरकार उक्त पंचायतों में निर्बाध बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करें।	भीषम प्रताप सिंह (106)	ऊर्जा विभाग	ऊर्जा			*So Notices 3 (SO Notice) to Secretary - (24/07/2026)* शून्यकाल की सूचना को स्वीकृत किया जा सकता है।
23(A)	18/3/594	**नियोजित शिक्षकों का प्रोन्नति देना** राज्य के सभी नियोजित शिक्षकों जिनकी सेवाकाल 12 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं उनको कालबद्ध मे प्रोन्नति नियमानुसार कराने की सरकार से शीघ्र माँग करता हूँ।	प्रकाश चंद्र (220)	शिक्षा विभाग	शिक्षा			*So Notices 3 (SO Notice) to Secretary - (24/07/2026)* शून्यकाल की सूचना को स्वीकृत किया जा सकता है।
23(A)	18/3/595	**नगर पंचायत बनाना** राजापाकर विधानसभा क्षेत्र के राजापाकर प्रखंड एवं देसरी प्रखंड में दोनों पंचायत केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की मूलभूत संरचना उपलब्ध है एवं सभी विभाग के कार्यालय है जो नगर पंचायत बनने की सारी शर्तें पूरा करता है राजापाकर एवं देसरी पंचायत को नगर पंचायत बनाने की मांग करता हूँ	महेन्द्र राम (127)	नगर विकास एवं आवास विभाग	नगर विकास एवं आवास			*So Notices 3 (SO Notice) to Secretary - (24/07/2026)* शून्यकाल की सूचना को स्वीकृत किया जा सकता है।
23(A)	18/3/596	**आधारभूत संरचनाएं विकसित करना** राज्य के 391 बुनियादी विद्यालयों में आधारभूत संरचना विकसित नहीं होने तथा उनका समुचित संरक्षण नहीं होने से बुनियादी विद्यालयों की जमीन अतिक्रमित हो रही है। पठन पाठन भी बाधित हो रहा है। अतः बुनियादी विद्यालयों को अतिक्रमण मुक्त कराते हुए उनमें आधारभूत संरचनाएं विकसित की जाय।	शालिनी मिश्रा (15)	शिक्षा विभाग	शिक्षा			*So Notices 3 (SO Notice) to Secretary - (24/07/2026)* शून्यकाल की सूचना को स्वीकृत किया जा सकता है।
23(A)	18/3/597	**पेयजल की समस्या के संबंधी** शून्यकाल प्रभारी सचिव , बिहार विधान सभा ,पटना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम -23(क) के तहत लोक महत्त्व के विषय पर शून्यकाल की सूचना देता हूँ। रमेश्वर कुमार महतो स.वि.स. सीतामढ़ी जिलान्तर्गत बोखरा, नानपुर ,बाजपट्टी प्रखण्ड के 300 गाँवों में विगत 01 माह	रामेश्वर कुमार महतो (27)	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण			*So Notices 3 (SO Notice) to Secretary - (24/07/2026)* शून्यकाल की सूचना अपूर्ण रहने के करण अमान्य किया जा सकता है।
23(A)	18/3/598	**दोषियों पर कार्रवाई कराना** मेरे विधानसभा क्षेत्र दिनारा में आंगनबाड़ी सेविकाओं के समय पर केंद्र नहीं आने से बच्चों की शिक्षा एवं पोषण प्रभावित हो रहा है। गर्भवती एवं धात्री महिलाओं के टेक-होम राशन (THR)वितरण में भी अनियमितता की शिकायत है। अतः जांच कराकर दोषियों पर कठोर कार्रवाई के आग्रह करता हु।	आलोक कुमार सिंह (210)	समाज कल्याण विभाग	समाज कल्याण			*So Notices 3 (SO Notice) to Secretary - (24/07/2026)* शून्यकाल की सूचना को स्वीकृत किया जा सकता है।

Rule No.	Diary No.	Details	Asked By	Ministry	Department	Status	Sent Date	Remarks
23(A)	18/3/599	**पारू विधानसभा अंतर्गत लालूछपरा जगदंबा स्थान से जैतपुर चौक तक जाने वाली सड़क के सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण के संबंध में** पारू विधानसभा अंतर्गत लालू छपरा जगदंबा स्थान से मलाही चौक होते हुए जैतपुर चौक तक जाने वाली सड़क अत्यंत जर्जर स्थिति में है, क्षेत्र की ज़नता को आवागमन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है▯ इस सड़क का अविलंब सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण कराने की सरकार से मांग करता हूँ▯	शंकर प्रसाद (97)	पथ निर्माण विभाग	पथ निर्माण			*SO Notices 1 (SO Notice) to Secretary - (24/07/2026)* शून्यकाल की सूचना स्वीकृत की जा सकती है▯
23(A)	18/3/600	**कार्यवाई करने के सन्दर्भ मे** मै सदन के माध्यम से सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज प्रखंड के जदिया पंचायत वार्ड 12 मण्डल टोला मे रास्ता अवरुद्ध है जबकि जन्मों से मंडल टोला निवास करते है अनुमंडल,अंचल प्रशासन थाना प्रशासन के लापरवाही बरती जा रही है सरकार से मण्डल टोला मे रास्ते की मांग करती हूँ	सोनम रानी (44)	गृह विभाग	गृह विभाग			*SO Notices 1 (SO Notice) to Secretary - (24/07/2026)* शून्यकाल की सूचना स्वीकृत की जा सकती है▯
23(A)	18/3/601	**तार बदलने के संबंध मे** जिला किशनगंज,प्रखण्ड पोठीया अंतर्गत वर्ष 2007 से 2015 के दरमियान लगाए गए विद्युत तार अब जर्जर होगए हैं ! प्रतिदिन सपार्किंग ,तार टूट कर गिरने से विद्युत आपूर्ति मे बाधा उत्पन्न होती है ! अतः मैं सभी पुराने तार बदलकर केबल का तार लगाने हेतु सरकार मांग करता हूँ !	कमरुल होदा (54)	ऊर्जा विभाग	ऊर्जा			*SO Notices 1 (SO Notice) to Secretary - (24/07/2026)* शून्यकाल की सूचना स्वीकृत की जा सकती है▯
23(A)	18/3/602	**आर0सी0सी0 स्लैब का निर्माण कार्य** औरंगाबाद जिलान्तर्गत ओबरा प्रखण्ड में पंचायत-मलवा के ग्राम-बिच्छंहा के बीच से गुजरने वाली पईन का आर0सी0सी0 स्लैब का निर्माण कार्य कराने की सदन के माध्यम से माँग करता हूँ▯	अरुण सिंह (213)	लघु जल संसाधन विभाग	लघु जल संसाधन			*SO Notices 1 (SO Notice) to Secretary - (24/07/2026)* शून्यकाल की सूचना स्वीकृत की जा सकती है▯
23(A)	18/3/603	**जर्जर एवं क्षतिग्रस्त** "समस्तीपुर जिला अन्तर्गत पटोरी प्रखण्ड के विगत 05 वर्षों से जर्जर एवं क्षतिग्रस्त उत्क्रमित मध्य विद्यालय, तारा धमौन के जिर्णोद्धार हेतु मैं इस सदन के माध्यम् से मांग करता हूँ▯"	राजेश कुमार सिंह (137)	शिक्षा विभाग	शिक्षा			*SO Notices 1 (SO Notice) to Secretary - (24/07/2026)* शून्यकाल की सूचना स्वीकृत की जा सकती है▯
23(A)	18/3/604	**मांझी–लार रोड नई रेल लाइन परियोजना का निर्माण कार्य प्रारंभ कराने के संबंध में▯** वर्ष 2010-11 के रेल बजट में घोषित मांझी–लार रोड नई रेल लाइन परियोजना का सर्वे पूर्ण होने के बावजूद निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है▯ इस परियोजना के पूर्ण होने से सारण, सीवान, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लाखों लोगों को लाभ मिलेगा▯ निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ कराया जाए▯	विष्णु देव पासवान (107)	परिवहन विभाग	परिवहन			*SO Notices 1 (SO Notice) to Secretary - (24/07/2026)* संबन्धित सूचना केंद्र सरकार से संबन्धित है▯ अतः नियम 23(क) के अनुरूप नहीं होने के कारण अस्वीकृत किया जा सकता है▯

Rule No.	Diary No.	Details	Asked By	Ministry	Department	Status	Sent Date	Remarks
23(A)	18/3/605	**हरिहरपुर खेढ़ी में सड़क निर्माण की आवश्यकता** वारिसनगर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत राज पुरुषोत्तमपुर अन्नु, प्रखंड खानपुर के हरिहरपुर खेढ़ी में सीताराम चौधरी के घर से नाथो राय के खेत तथा अमरेश पासवान के घर से अशोक साह के घर तक सड़क का निर्माण कराया जाए। मैं सरकार से मांग करता हूँ।	मौंशरीक मृणाल (132)	ग्रामीण कार्य विभाग	ग्रामीण कार्य			*SO Notices 1 (SO Notice) to Secretary - (24/07/2026)* शून्यकाल की सूचना स्वीकृत की जा सकती है।
23(A)	18/3/606	**चाहर दिवारी निर्माण** सुरसंड विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत चोरौत प्रखंड के SLNM उच्च माध्यमिक विद्यालय सा सरस्वती विद्या निकेतन मॉडल स्कूल चाहर दिवारी की मांग सदन के माध्यम से सरकार से करता हूं	नागेन्द्र राउत (26)	शिक्षा विभाग	शिक्षा			*SO Notices 1 (SO Notice) tc Secretary - (24/07/2026)* शून्यकाल की सूचना स्वीकृत की जा सकती है।
23(A)	18/3/607	**अनुकंपा नियुक्त विद्यालय लिपिक एवं परिचारी को संविदा वेतन तथा लंबित वेतन भुगतान के संबंध में।** राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अनुकंपा के आधार पर नियुक्त विद्यालय लिपिक एवं परिचारी को नियमित वेतनमान के बजाय संविदा कर्मियों का वेतन दिया जा रहा है तथा कई कर्मियों का वेतन लंबित है। अतः सरकार सातवें वेतनमान के अनुरूप वेतन स्वीकृत कर लंबित भुगतान शीघ्र कराए।	माधव आनंद (36)	शिक्षा विभाग	शिक्षा			*SO Notices 1 (SO Notice) to Secretary - (24/07/2026)* शून्यकाल की सूचना स्वीकृत की जा सकती है।

अध्यक्ष : अब सभा की कार्यवाही 2:00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है।

टर्न–6 / हेमन्त / 24.07.2026

(अंतराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है।

अब गैर सरकारी संकल्प लिये जायेंगे। आज गैर सरकारी संकल्प का लिया जाना है, लेकिन उससे पहले माननीय सदस्य श्री संजीव चौरसिया कुछ बोलना चाहते हैं।

श्री संजीव चौरसिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज बड़ा गौरव का क्षण है माननीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 100 दिन पूरे हुए हैं उसके लिए बहुत–बहुत शुभकामना है और पूरा सदन 100 दिनों के लिए स्वागत हम लोग करते हैं। बहुत सारी उपलब्धियां हैं। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री, माननीय नीतीश कुमार जी, बहुत–बहुत अभिनंदन कि बिहार के लिए, जो पैमाना उन्होंने तय किया विकास का, केंद्र के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत–बहुत धन्यवाद हैं कि डबल इंजन की सरकार के पहल से बिहार आगे बढ़ने का काम कर रहा है। माननीय चिराग पासवान जी, माननीय जीतन राम मांझी जी, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी और समस्त बिहार की जनता को बहुत–बहुत अभिवादन है। बहुत–बहुत शुभकामना है कि आपके आशीर्वाद से बिहार के एक सुशासन, सेवा, संकल्प के 100 दिन माननीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में हमने पूरा करने का काम किया है, महोदय।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि ज्ञात है कि अनेक कार्य इसमें हुए हैं। शिक्षा के क्षेत्र से लेकर जिसमें 551 सरस्वती विद्या निकेतन की जो शुरुआत हुई है, उसके अंतर्गत लाइव शिक्षा की जो व्यवस्था की गई है, वह अतुलनीय है। यानी कि बिहार के दृष्टि से जीवंत अवस्था में भी किस प्रकार से मॉडल स्कूल के अंतर्गत विद्यार्थी लाइव क्लासेज के माध्यम से ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, उसका सबसे बड़ा उदाहरण इसके माध्यम से निकल कर आया है, मॉडल स्कूलों के माध्यम से महोदय।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 211 जो डिग्री कॉलेजेस खुले हैं, उसके लिए भी प्रत्येक ब्लॉक के स्तर पर इसके बारे में बहुत–बहुत धन्यवाद और अभिवादन है। जिसके अंतर्गत 60,000 से अधिक नामांकन हो चुके हैं। महिला सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था में जो सुधार हुआ है, उसके लिए पुलिस दीदी की योजना, जो महिला सुरक्षा कर्मियों को 1500 स्कूटी देकर स्कूल कॉलेज के आसपास तैनात करते हुए सुरक्षा सुनिश्चित करने के, जो कार्य हुए हैं और 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट, जो खोलने की प्रक्रिया हुई है, ताकि हत्या, दुष्कर्म, पास्को, एससी–एसटी एक्ट जैसे गंभीर मामलों की प्रतिदिन सुनवाई हो सके।

महोदय, सड़क और आधारभूत संरचनाओं का जो विकास है, उसके तहत 11 सैटेलाइट टाउन को विकसित करने की योजना, अलग–अलग नामों से की गई है, गौरवशाली इतिहासों को पुनर्जाग्रत करने के दृष्टि से भी उस टाउनशिप के लिए भी बहुत–बहुत अभिवादन है। किसानों के लिए जो राहत हुई है, डीजल सब्सिडी योजना के तहत,...

अध्यक्ष : संक्षिप्त कीजिए।

श्री संजीव चौरसिया : उसके तहत सिंचाई के खर्च को कम करने से लेकर, अंत में एक बात कहना चाहेंगे, माननीय अध्यक्ष महोदय कि बेरोजगार की नियुक्ति के लिए, गरीबों के लिए कल्याणकारी योजना, जो डीबीटी के माध्यम से 10 तारीख को सीधे अकाउंट में जाने का काम करेगा और पर्यटन और संस्कृति के विकास के लिए हेलीकॉप्टर, पर्यटन सेवा जो दी गई है, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए सुशासन, संकल्प, सेवा के साथ माननीय सम्राट चौधरी जी ने 100 दिन जो पूरे किए हैं, फिर से अभिवादन है, सेवार्थ है। इसलिए बहुत–बहुत शुभकामना है, जनता के आशीर्वाद को पूरा करते रहें, यही मनोकामना है। बहुत–बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष : श्रीमती स्नेहलता जी।

श्रीमती स्नेहलता : माननीय अध्यक्ष जी, हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के तरफ से बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी के कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर उन्हें बहुत–बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। यह 100 दिन सिर्फ गिनती नहीं है। यह 100 दिन बिहार के बदलाव का संकल्प और सुशासन के 100 दिन हैं। इन 100 दिनों में मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट संदेश दिया है कि बिहार अब रुकेगा नहीं, अब झुकेगा नहीं। अपराधियों में डर और आम जनता में विश्वास, इन 100 दिनों में दिखा है। नौकरियों में तेजी, हर गांव में सहयोग शिविर, किसानों को सम्मान, गांव से ही बिहार को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश। सासाराम का शेर शाह किला हो या मझांर कुंड जैसा पर्यटन स्थल, विकास के साथ हमारी संस्कृति को भी सम्मान मिला है। सम्राट चौधरी जी ने दिखा दिया कि अगर नेतृत्व ईमानदार हो, नीयत साफ हो तो 100 दिन में भी जनता का दिल जीता जा सकता है। यह हम सबका विश्वास है। नए बिहार के निर्माण में मुख्यमंत्री जी के साथ हम कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और बिहार को विकसित राज्य बनाएंगे। बहुत–बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष : श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

श्री राजू तिवारी जी।

श्री राजू तिवारी : आज बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री के 100 दिन शानदार जो पूरे हुए हैं। मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास), मेरे नेता आदरणीय चिराग

पासवान जी के तरफ से पूरी पार्टी के तरफ से मैं उनको बधाई देता हूं और शुभकामना देता हूं कि ऐसे ही बिहार की उन्नति में हमेशा लगे रहें और काम करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, अब देखिए, बीच में शुरू हो जाते हैं ये लोग।

अध्यक्ष : ध्यान मत दीजिए उधर।

श्री राजू तिवारी : हम बोल रहे हैं एक समय में जिस अस्पताल में कुत्ते सोते थे, उस अस्पताल में आज डायलिसिस सेंटर है, इलाज का तो रिकॉर्ड हो रहा है। यही लोगों का इतिहास है। इसलिए इन लोगों को विकास से मतलब नहीं है। तो शानदार, हर क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे रोड डेवलपमेंट के क्षेत्र में हो, अभी हमारे बगल में साथी किशनगंज की बात करते हैं। अरे भाई, एक समय था किशनगंज से आने में कितने घंटे लगते थे ? आज कितना घंटा लगता है ? तो हर क्षेत्र में विकास हुआ है। अध्यक्ष जी, मैं एक बात अपनी रख रहा हूं।

''इरादे नेक हो, मंजिल खुद रास्ता बनाती है,''
मेहनत करने वालों की तकदीर मुस्कुराती है।''

अध्यक्ष महोदय, बहुत–बहुत धन्यवाद करते हैं हम आदरणीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को और जिसको पीड़ा लगी है, जिसको विकास से कोई मतलब नहीं है, वे लोग तो शोरगुल करते रहेंगे, उनकी तरफ हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। बहुत–बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष : श्री मंजीत कुमार सिंह।

श्री मंजीत कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री सम्राट जी के नेतृत्व वाली बिहार में एनडीए की सरकार ने 100 दिन पूरे किए, जिसमें सुशासन और विकास के कार्यों की गति देने पर जोर दिया गया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने दल के तरफ से, हम आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं। अध्यक्ष महोदय, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने अपने 100 दिनों में सुशासन, जन कल्याण और कानून व्यवस्था को सुधारने पर मुख्य जोर दिया है। इस दौरान सहयोग कार्यक्रम में, सीधे जन शिकायत निवारण, सामाजिक सुरक्षा पेंशन का समय पर वितरण, 97.84 लाख लाभार्थी को 1424 करोड़ रूपये की राशि सीधे उनके खाते में ट्रांसफर की गई।

अध्यक्ष : संक्षेप करें।

श्री मंजीत कुमार सिंह : 12 नई टाउनशिप और शैक्षणिक संस्थानों के प्रस्ताव, जैसे बड़े कदम उठाए गए हैं। अध्यक्ष महोदय, जन कल्याण और प्रशासनिक सुधार सहयोग कार्यक्रम, पंचायत स्तर से लेकर मुख्यमंत्री स्तर तक जनता की समस्याओं और शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए विशेष शिविर, जन सुनवाई शुरू की गई। पेंशन वितरण, राज्य के 97.84 लाख से अधिक बुजुर्गों,

विधवाओं और दिव्यांगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत हर महीने की 10 तारीख तक पैसा पहुंचाने की गारंटी दी गई है। जीविका दीदी, सशक्तिकरण, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत देने और महिलाओं को आर्थिक रूप से आगे बढ़ाने के लिए जीविका समूह के खाते में सहायता राशि का हस्तांतरण तेज किया गया। कानून व्यवस्था और सुरक्षा, अपराध पर सख्ती और राज्य में अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए, कुख्यात अपराधियों के खिलाफ सख्त पुलिसिया कार्रवाई और एनकाउंटर भी किए गए हैं। महिला सुरक्षा, छात्र और महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष रूप से पुलिस दीदी, पहल की शुरुआत की गई है। सुशासन, विधेयक, प्रशासन में पारदर्शिता और सुधार लाने के उद्देश्य से इस अवधि में 13 नए विधेयक पारित किए गए। बुनियादी ढांचा, विकास, नई टाउनशिप, शहरीकरण को बढ़ाते हुए, नियंत्रण करने के लिए राज्य में 12 सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने की पहल की गई। शिक्षा और उद्योग, पटना, बेगूसराय, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और नए विश्वविद्यालय संस्थानों के प्रस्ताव के साथ–साथ, बड़े उद्योगों के निवेश के प्रस्ताव को आगे बढ़ाया गया।

महोदय, यह सरकार जब से आई है, जन कल्याण का काम कर रही है। बिहार तेजी से आगे की ओर बढ़ रहा है। हम अपने दल की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करते हैं। उनको बहुत–बहुत बधाई और शुभकामना देते हैं।

अध्यक्ष : श्री ललन राम।

श्री ललन राम : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सम्राट चौधरी जी के 100 दिन पूरे होने और यहां बिहार में जिस प्रकार से गरीबों के हित में कार्य कर रही है सरकार। हम अपने नेता आदरणीय डॉक्टर संतोष सुमन मांझी जी सहित आभार प्रकट करते हैं और हम एक बात का और अनुरोध करना चाहते हैं सदन में कि हमारा आज भी भुइयां मुसहर डोम की जो आर्थिक स्थिति है, बहुत ही तंगहाली में गुजारा कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि विशेष रूप से भुइयां मुसहर को, माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्य जितना भी हो रहा है, सराहनीय हो रहा है, जितनी भी प्रशंसा की जाए कम होगी, लेकिन इस पर थोड़ा सा ध्यान हम सदन का करते हैं। बहुत–बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष : संजय जी।

श्री संजय कुमार सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी के 100 दिन पूरे होने पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं अपने विधानसभा सिमरी बख्तियारपुर विधान सभा, अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के तरफ से माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी को 100 दिन पूरे होने पर हार्दिक शुभकामनाएँ एवं बधाई देता हूं।

टर्न–7 / संगीता / 24.07.2026

अध्यक्ष : पूरे सदन की ओर से मैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में राज्य सरकार के सफलतापूर्वक 100 दिन पूर्ण होने के अवसर पर मैं उन्हें उप मुख्यमंत्री को, मंत्रिपरिषद सदस्यों को तथा बिहार की सभी जनता को हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देता हूं ।

(व्यवधान)

हम तो दे दिया, हम दे दिया आपलोगों के बदले ।

(व्यवधान)

सतीश जी, सतीश बाबू खड़े हो जाइए । ईमान जी बैठिए ।

(व्यवधान)

आप सबों के बदले हम बोल दिए । आपलोग बैठिए ।

(व्यवधान)

सुनिए, अब सुन लीजिए ।

श्री सतीश कुमार सिंह यादव : धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, कल मैं छात्रों की मांगों को लेकर मैं धरने पर था और आपके कहने पर मैंने अपना धरना समाप्त किया । अध्यक्ष महोदय, बहुत ही कठिन परिश्रम और कठिन तपस्या कर एक छात्र प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करता है । परीक्षा के बाद जब उसे पता चलता है कि परीक्षा का पेपर लीक हो गया है तो यह सुनते ही छात्रों को मानसिक रूप से तोड़ देता है । महोदय, परिवार की उम्मीद, छात्रों के सपने सबकुछ खत्म होने लगते हैं । बार–बार देश में पेपर लीक हो रहे हैं, नीट का पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द हुई, मानसिक तनाव में आकर 22–23 छात्रों ने अपनी जान दे दी महोदय । ऐसा नहीं है कि छात्रों का यह आक्रोश सिर्फ एक पेपर लीक होने से है । हर प्रतियोगिता परीक्षाओं के पेपर लीक होने की खबरें आने लगती हैं । पहले भी बिहार में भी बिहार पुलिस परीक्षा, 2023, शिक्षक भर्ती परीक्षा, 2023, सी0एच0ओ0, 2024, पुलिस भर्ती परीक्षा, 2025 ऐसे तमाम परीक्षाओं के पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं महोदय । क्या सरकार एक पारदर्शी, सुरक्षित और जवाबदेह परीक्षा प्रणाली सुनिश्चित नहीं कर सकती है ? क्या सरकार पेपर लीक के दोषियों को सजा देने के लिए...

अध्यक्ष : अब बैठ जाइए ।

श्री सतीश कुमार सिंह यादव : महोदय, बस एक मिनट । सख्त कानून नहीं बना सकती है? महोदय, 22–23 छात्रों ने अपनी जान गंवाई । नैतिकता के आधार पर देश के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए यह मांग है । साथ ही, दोषी पुलिसकर्मी, ऐसे–ऐसे विडियो आए हैं जो बच्चियों के ऊपर लाठियां चार्ज हुई हैं...

अध्यक्ष : बैठ जाइए, बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए ।

श्री सतीश कुमार सिंह यादव : दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई होनी चाहिए । इसके साथ ही...

अध्यक्ष : बैठ जाइए । मैं सदन को...

श्री सतीश कुमार सिंह यादव : इसके साथ ही, जो परिवार के बच्चे मरे हैं उनके परिवार को...

अध्यक्ष : बात आपकी आ गई, प्लीज आप बैठ जाइए ।

श्री सतीश कुमार सिंह यादव : कम से कम एक करोड़ का मुआवजा दिया जाए...

अध्यक्ष : बात सुन ली आपकी, प्लीज बैठ जाइए ।

श्री सतीश कुमार सिंह यादव : महोदय, एक और चीज है...

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण । बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए माननीय सदस्य ।

श्री सतीश कुमार सिंह यादव : महोदय, परीक्षा रद्द होने पर छात्रों को कम से कम मुआवजा...

अध्यक्ष : देखिए बात आपकी आ गई, प्लीज बैठ जाइए ।

श्री सतीश कुमार सिंह यादव : का प्रावधान किया जाए महोदय ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं सदन को एक जानकारी देना चाहता हूं ।

(व्यवधान)

प्लीज बैठिए, बैठिए । मानननीय सदस्यगण, मैं इस सदन को एक जानकारी देना चाहता हूं कि देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी द्वारा पेपर लीक को रोकने के उद्देश्य से फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करने का निदेश संबंधित विभाग को दे दिया गया है । उन्होंने कहा है, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ बर्दास्त नहीं किया जा सकता । माननीय प्रधानमंत्री का सख्त रूख सरकार का युवाओं के प्रति संवेदनशील और जिम्मेदार रवैया दर्शाता है । माननीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन के बाद श्री सोनम वांगचुक ने भी माननीय स्वास्थ्य मंत्री की उपस्थिति में अपना अनशन समाप्त कर दिया है । राज्य सरकार ने भी पेपर लीक को संगठित अपराध की श्रेणी में शामिल करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है । केंद्र और राज्य सरकार दोनों ने पेपर लीक मामले को गंभीरता से लेकर संदेश दिया गया है कि पेपर लीक के दोषी बख्शे नहीं जायेंगे ।

अब गैर सरकारी संकल्प लिये जायेंगे । श्री जिवेश जी, जिवेश जी बोलिए ।

(व्यवधान)

<u>गैर सरकारी संकल्प</u>

<u>क्रमांक–82 : श्री जिवेश कुमार, स0वि0स0</u>

श्री जिवेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह दरभंगा जिला के ऐतिहासिक रामायण सर्किट में वर्णित पर्यटन स्थल

अहिल्यास्थान के निकट ''कमतौल'' तथा जाले विधानसभा का मुख्यालय ''जोगियारा'' रेलवे स्टेशन आज भी पुराने स्वरूप में है । अहिल्यास्थान में देश–विदेश विशेष कर नेपाल से श्रद्धालु आते हैं तथा बिहार सरकार के द्वारा दो राजकीय महोत्सव भी यहां आयोजित किया जाता है । अतः दोनों स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल करने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे।''

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बोलवाते हैं, इनके बाद बोलवाते हैं ।

(व्यवधान)

एन0डी0ए0 के लोगों ने लिखकर मुझे दिया था, इसीलिए बुलवाया गया है ।

(व्यवधान)

माननीय मंत्री ।

श्री दामोदर रावत, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिला के ऐतिहासिक रामायण सर्किट में वर्णित पर्यटन स्थल अहिल्यास्थान के निकट ''कमतौल'' तथा जाले स्टेशन को भारत स्टेशन योजना में शामिल करने हेतु रेल मंत्रालय, भारत सरकार से अनुशंसा करती है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी के सकारात्मक उत्तर के बाद सदन की सहमति से प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्रमांक–73 : श्री उपेन्द्र प्रसाद, स0वि0स0

श्री उपेन्द्र प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूॅ कि

यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह गयाजी जिलान्तर्गत गया–परैया आर.सी.डी. पथ पर गयाजी FCI गोदाम के पास रेल ओवर ब्रिज का निर्माण कराने हेतु भारत सरकार से सिफारिश करे ।''

(व्यवधान)

श्री आलोक कुमार मेहता : अध्यक्ष महोदय, हमलोगों को भी बोलने का मौका दिया जाए ।

अध्यक्ष : देंगे, देंगे, देंगे । माननीय मंत्री, परिवहन विभाग ।

श्री दामोदर रावत, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुजफ्फरपुर जिला के मोतीपुर से साहेबगंज से राजापट्टी रेल मार्ग के निर्माण हेतु रेल मंत्रालय, भारत सरकार से अनुशंसा करती है।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी के सकारात्मक उत्तर के बाद सदन की सहमति से प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्रमांक–01 : श्री देवेशकान्त सिंह, स0वि0स0

श्री देवेशकान्त सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूॅ कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सिवान जिला के लकड़ी नवीगंज प्रखण्ड के लखनौरा पंचायत अंतर्गत ग्राम–मदारपुर बलुआटोला दलित बस्ती के सामने लिंक पथ में गंडकी नदी पर एवं भोपतपुर पंचायत के ग्राम–बाला में घोघारी नदी पर गैया घाटी पाचास में आम जनता के आवगमन हेतु आर.सी.सी. (RCC) पुल का निर्माण करावे ।"

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जिन दो पुलों का माननीय सदस्य ने जिक्र किया है उसमें एक पुल जिला संचालन समिति में सम्मिलित है । दूसरा नहीं है लेकिन प्राथमिकता के तौर पर उसका भी हमलोग मुआयना कराकर सम्मिलित करके और निधि के आधार पर दोनों पुलों का निर्माण करेंगे । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लें ।

श्री देवेशकान्त सिंह : हम अपना संकल्प वापस लेते हैं । बहुत–बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से संकल्प वापस हुआ ।

(व्यवधान)

श्री आलोक कुमार मेहता : अध्यक्ष महोदय, 100 दिन...

अध्यक्ष : आलोक बाबू हम बोलवा रहे हैं आपसे, सिर्फ यही कहना चाहेंगे अभी टिफिन के बाद हमारे पास कुछ सदस्य आए थे कुछ कहने के लिए । आप भी आ गए होते तो यह नौबत नहीं आती । इसीलिए मैं चाहूंगा...

(व्यवधान)

कोई चर्चा नहीं है, बैठिए आप, बैठिए । बैठे–बैठे मत बोलिए ।

श्री आलोक कुमार मेहता : अध्यक्ष महोदय, मैं सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में बने इस सरकार को, जिसके 100 दिन पूरे हो गए, उनको व्यक्तिगत रूप से श्री सम्राट चौधरी जी को और उनके मंत्रिमंडल को मैं बधाई देता हूं और...

(व्यवधान)

सुनिए, सुनिए पहले । पहले सुन तो लीजिए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : सुन लीजिए प्लीज, शांत रहिए । आपकी बात सुनी गई, सुन लीजिए इनकी भी बातों को ।

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, तमाम नाकामियों के बावजूद, तमाम तरह की अव्यवस्था, अराजकता और बिहार की जनता के तबाह होने के बावजूद यह बधाई मैं इसीलिए दे रहा हूं कि...

अध्यक्ष : अब श्री आलोक कुमार सिंह ।

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, मैं एक बात कहकर बैठना चाहता हूं :

"वो चाहते हैं कि खामोश रहे हर जुवां,
मगर किताब से उठी आवाज दबती नहीं ।
लाठियों के दम पर जो हुकूमत चलाते हैं,

उन्हें खबर नहीं कि तख्त ऐसे ही बदलते हैं ।''

अध्यक्ष : श्री आलोक कुमार सिंह, आलोक जी ।

(व्यवधान)

टर्न–8 / यानपति / 24.07.2026

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री आलोक कुमार सिंह।

श्री आलोक कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार के सौ दिन पूरे होने पर आदरणीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी को बधाई देता हूं और उनके संदर्भ में एक बात कहना चाहता हूं कि जिस तरह से सौ दिन में ऐतिहासिक फैसले लिए, सोचना आसान है, करना हिम्मत का काम है और बदलाव सिर्फ उन्हीं के वश में है जो अपनी सोच को ऐक्शन में बदलना जानते हैं, मैं वैसे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को सौ दिन पूरे होने पर बधाई देते हैं और उनके कार्यों के लिए पूरी अपनी पार्टी की तरफ से राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा जी की तरफ से बधाई देता हूं।

अध्यक्ष : आलोक बाबू, गैर सरकारी संकल्प भी आपका है। गैर सरकारी संकल्प पढ़ लीजिए।

क्रमांक–2 : श्री आलोक कुमार सिंह, स0वि0स0

श्री आलोक कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह रोहतास जिला अंतर्गत दिनारा विधान सभा स्थित धनसोइ मोड़ ओवर ब्रिज से दिनारा स्थित ओवर ब्रिज तक नए ओवर ब्रिज का निर्माण करावे।''

श्री कुमार शैलेन्द्र, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिस ओवर ब्रिज की बात की है वह 60 कि0मी0 सड़क है और वह पूर्ण हो चुका है। वहां वी0यू0पी0 यानी व्हीकल अंडर पास भी बन चुका है। केवल सर्विस रोड नहीं बना है, सुगम व्यवस्था, आवाजाही चालू है इसलिए माननीय सदस्य से अनुरोध है कि संकल्प वापस लें।

श्री आलोक कुमार सिंह : माननीय मंत्री महोदय, दिनारा में ये ओवर ब्रिज नहीं बनने की वजह से पिछले एक साल में सरकारी स्कूल से बच्चे जब जाते हैं तो कम से कम 20 एक्सिडेंट की घटना है, इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि वहां पुल बनाने का...

अध्यक्ष : दिखवा लीजिए एक बार, दिखवा लीजिए।

श्री आलोक कुमार सिंह : मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ। माननीय मंत्री, कृषि विभाग।

श्री विजय कुमार सिन्हा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आज बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है कि इस सरकार की, एन0डी0ए0 सरकार के सौ दिन पर सभी दल के माननीय नेताओं ने बधाई और धन्यवाद दिए हैं तो सरकार की ओर से हम आभार भी व्यक्त

करते हैं। महोदय, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है महोदय कि नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष और कल हमने आग्रह किया था महोदय कि सदन जानना चाहता है कि हमारे नेता प्रतिपक्ष सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं कहां हैं, आजतक ये नहीं बता पाए महोदय, और हम व्यक्तिगत माननीय आलोक जी ने कहा व्यक्तिगत नहीं होता, आप पार्टी के नेता के रूप में, उपनेता के रूप में आपने सरकार को बधाई दिया, पर्सनल संबंध घर के अंदर होता है, एक चीज और सुन लें कि लोभ और भय से राजनीति नहीं चलती है। सदन के अंदर पूरी तरह से भयमुक्त होकर माननीय सदस्य अपनी बात को रखते हैं और अपने नेता के विषय में भी हर सदस्य को जानकारी रहनी चाहिए और सदन की गरिमा बढ़ानी चाहिए, यह विषय साधारण नहीं है महोदय, आज अंतिम दिन है और मेरा नेता प्रतिपक्ष गायब हैं कोई बताने की स्थिति में नहीं है, वे कहां है, सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं यह गंभीर विषय है महोदय।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह। आप पढ़िए।

(व्यवधान)

आप रख दिए थे न, हो गया।

क्रमांक– 03 : श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह, स०वि०स०

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह रोहतास जिला अन्तर्गत डेहरी–डालमियानगर से सभी वार्डों में जल जमाव की गंभीर समस्या से वहाँ की अधिकांश जनता आक्रोशित है, इसके समाधान में डेहरीनगर परिषद के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर घोर लापरवाह है, सरकार डेहरी–डालमियानगर की जनता को इस त्राहिमाम स्थिति से यथाशीघ्र मुक्त करावे ।''

श्री नीतीश मिश्रा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि नगर परिषद् डेहरी, डालमियानगर लो लैंड एरिया वाले वार्ड के अतिरिक्त अन्य वार्डों में जल–जमाव की समस्या नहीं है, लो लैंड एरिया के कुछ वार्डों में भारी बारिश के कारण कभी–कभी जल–जमाव की स्थिति होने पर सेक्शन मशीन एवं पंप के द्वारा जल की निकासी कर दी जाती है। एन0एच0ए0आई0 द्वारा नवनिर्मित मुख्य नाला का बेस लेवल समान रूप नहीं होने के कारण वार्ड संख्या 25 के कुछ क्षेत्रों में कभी–कभी जलजमाव की स्थिति उत्पन्न होने पर मशीन, सुपर सोकर मशीन एवं पंप के द्वारा जल की निकासी कर दी जाती है। जल जमाव के स्थायी समाधान के लिए नगर निकाय प्रशासन अपने स्तर से सभी आवश्यक उपाय किया जा रहा है। सरकार आमजन को नागरिक सुविधा उपलब्ध कराने का हरसंभव प्रयास करती है।

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से मैं बताना चाहूंगा कि हमारे यहां डेहरी, डालमियानगर में जो आपके एक्सक्यूटिव ऑफिसर हैं, एक कहानी सुने होंगे कि जब सैंया भयो कोतवाल तो डर काहे को बोलते हैं...

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने स्थिति स्पष्ट कर दी है, क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंहः एक मिनट, मेरा प्रस्ताव सुन लिया जाय, हमारे यहां पांच करोड़ की पेंटिंग होती है लेकिन वहां का न रोड बनता है, न नाला बनता है, हमारे यहां एक तरफ सोन नहर है कभी जलजमाव की समस्याएं, कहीं लो लैंड ही नहीं है, लेकिन उनको बार–बार कहने पर और 50 लाख के भवन में 3 करोड़ का उन्होंने अपना ऑफिस बनाया है लेकिन नगर भवन नहीं बनाया जाता है। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि इसपर थोड़ा निगाह करके, वहां की जनता त्राहिमाम स्थिति में है, आप एक बार भ्रमण करिए और वहां का निदान करें। मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ।

क्रमांक : 04 श्री आबिदुर रहमान स०वि०स०

श्री आबिदुर रहमान : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह अररिया जिला के अररिया कोर्ट रेलवे स्टेशन के पास चन्द्रदेई जाने वाली पथ में रेलवे गुमटी पर ओवर ब्रिज निर्माण हेतु भारत सरकार से सिफारिश करे।''

श्री दामोदर रावत, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, अररिया जिला के अररिया कोर्ट रेलवे स्टेशन के पास चंद्रदेई जानेवाली पथ में रेलवे गुमटी पर ओवर ब्रिज निर्माण कराने हेतु रेल मंत्रालय, भारत सरकार से यह सभा अनुशंसा करती है। माननीय सदस्य, यह स्वीकृत हो गया, वापस लेने की आवश्यकता नहीं है।

अध्यक्ष : जो गया है बाद में उसकी एक कॉपी उपलब्ध करा दीजिए। माननीय मंत्री जी के सकारात्मक उत्तर के बाद सदन की सहमति से प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्रमांक– 05 : श्री अभिषेक रंजन स०वि०स०

श्री अभिषेक रंजन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पश्चिमी चम्पारण जिलान्तर्गत कुमारबाग स्थित वर्षों से बंद पड़ी स्टील प्रोसेसिंग यूनिट को पुनः चालू करावे ।''

सुश्री श्रेयसी सिंह, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत कुमारबाग में वर्षों से बंद पड़ी स्टील प्रोसेसिंग यूनिट, स्टील ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के पत्र दिनांक–27.06.2026 द्वारा सूचित किया गया कि इकाई की तकनीकी एवं वाणिज्यिक कारणों से वर्ष 2022 से बंद तथा जुलाई 2025 में सील बोर्ड द्वारा इकाई को बंद करने का निर्णय संसूचित किया गया है। उक्त

इकाई स्टील ऑथोरिटी ऑफ इंडिया सेल इस्पात मंत्रालय भारत सरकार के अधीन है। अतः मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करती हूं कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें।

श्री अभिषेक रंजन : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बताना चाहूंगा कि यू0पी0ए0 के शासनकाल में स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की कल्पना के तहत हमारे जिले में चनपटिया के कुमारबाग इंडस्ट्रियल एरिया में स्टील प्रोसेसिंग यूनिट का 2007 में नींव डाली गई थी और लगभग 50 एकड़ किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया गया, 127 करोड़ रुपये उसपर इंवेस्ट किए गए और 2012 में इसका ट्रायल रन भी किया गया। लगभग 144 कर्मचारी उसमें अभी भी कार्यरत हैं जिसकी सैलरी का पेमेंट अभी भी उनका किया जाता है।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। क्या अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं।

श्री अभिषेक रंजन : महोदय, मैं अपनी बात को पूरा करते हुए अपना संकल्प वापस लूंगा। महोदय, वहां पर सी0जी0आई0 सीट और आइरन ट्यूब का निर्माण करने का सरकार का यह प्रस्ताव था और मैं बताना चाहूंगा कि नेपाल जैसे...

अध्यक्ष : आप लिखकर दे दीजिए।

श्री अभिषेक रंजन : सीमावर्ती क्षेत्रों में वहां छोटे स्तर पर जो इंडस्ट्रीज हैं, इसी तरह की वह सुचारू रूप से चलाई जा रही हैं और जनता का 127 करोड़ जो रुपया है वह ऐसे ही जाया नहीं होना चाहिए, उसमें संभावनाएं हैं, रोजगार की संभावना है, मैं सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं कि सरकार इसपर पुनर्विचार करे। मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ।

टर्न–9 / मुकुल / 24.07.2026

<u>क्रमांक– 07 श्री अजय कुमार स०वि०स०</u>

श्री अजय कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह टिकारी विधानसभा अन्तर्गत कोंच प्रखण्ड के चबूरा पंचायत के प्राथमिक विद्यालय धोंधीमठ के भवन जर्जर होने के कारण करीब 5 वर्षों से मध्य विद्यालय चबूरा में टैग कर विद्यालय का संचालन किया जा रहा है। बच्चों को हो रही पठन–पाठन में परेशानी को दूर करने हेतु प्राथमिक विद्यालय घोधीमठ का नया भवन निर्माण करावे।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग ।

श्री मिथिलेश तिवारी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि गया जिला के टिकारी विधान सभा अन्तर्गत कोंच प्रखण्ड के चबूरा पंचायत के जर्जर हो चुके

प्राथमिक विद्यालय धोंधीमठ को उर्दू प्राथमिक विद्यालय काजीबिगहा, गया में संबद्ध कर संचालित किया जा रहा है, प्राथमिक विद्यालय धोंधीमठ में कुल 8 शिक्षक एवं 134 बच्चे अध्ययनरत हैं । प्राथमिक विद्यालय धोंधीमठ में 4 वर्ग कक्ष एवं 2 यूनिट शौचालय, पेयजल हेतु बोरिंग, रसोई घर निर्माण हेतु प्राक्कलन तैयार किया गया है, जिसकी प्राक्कलित राशि 55 लाख 63 हजार 900 रुपया है, निधि उपलब्धता की स्थिति में प्राथमिकता के आधार पर उक्त निर्माण कार्य करा लिया जायेगा । अतः माननीय सदस्य से आग्रह है कि ये अपना संकल्प वापस लें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी ने स्थिति स्पष्ट कर दी है । क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ।

श्री अजय कुमार : अध्यक्ष महोदय, हम मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि और भी कई विद्यालय हैं पैसा वहां पर जा चुका है, लेकिन वहां पर कुछ राजनीति के कारण चतुरीबिगहा में अभी तक वहां पर स्कूल का निर्माण नहीं हो सका ।

अध्यक्ष : मंत्री जी इसको दिखवा लीजियेगा ।

श्री अजय कुमार : महोदय, तो हम मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि हम आपसे मिलेंगे, उस पर विशेष ध्यान देकर के कई स्कूल में उसका निर्माण करवाया जाए ।

अध्यक्ष : अजय जी, आप संकल्प वापस ले लीजिए ।

श्री अजय कुमार : महोदय, हम अपना संकल्प वापस लेते हैं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक– 06 श्री माँशरीक मृणाल स०वि०स०</u>

श्री माँशरीक मृणाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बिहार राज्य में शासन व्यवस्था को अधिक प्रभावी, पारदर्शी, त्वरित, डेटा–आधारित एवं जनहितकारी बनाने, विभिन्न क्षेत्रों के विशाल आंकड़ों के वैज्ञानिक द्वारा योजनाओं की निगरानी, लाभुकों की सही पहचान, संसाधनों के प्रभावी उपयोग, जन शिकायतों के त्वरित निष्पादन, युवाओं के कौशल विकास, रोजगार, स्टार्टअप, अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा देने तथा सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने हेतु राज्यहित में ''कृत्रिम बुद्धिमता विभाग का गठन करावे''।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय ।

श्रीमती लेशी सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में कृत्रिम बुद्धिमता से संदर्भित विषय का निष्पादन सूचना प्रावैधिकी विभाग द्वारा सफलतापूर्वक किया जा रहा है, उक्त के आलोक में राज्य सरकार के समक्ष एक पृथक विभाग के रूप में कृत्रिम बुद्धिमता विभाग के गठन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । मैं माननीय सदस्य से आग्रह करूंगी कि ये अपना संकल्प वापस लें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी ने स्थिति स्पष्ट कर दी है, क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ।

श्री मॉंशरीक मृणाल : अध्यक्ष महोदय, जी । विचार करके वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक– 08 श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह स०वि०स०

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) जिला के सबसे बड़े प्रखण्ड क्षेत्र कल्याणपुर में पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना कराकर छात्रों को पठन–पाठन की सुविधा उपलब्ध करावे।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्रीमती शीला कुमारी, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के अधीन वर्तमान में पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत, मोतिहारी अंचल में राजकीय पॉलिटेक्निक, मोतिहारी संचालित है । राजकीय पॉलिटेक्निक, मोतिहारी की प्रवेश क्षमता प्रतिवर्ष 360 है, इस संस्थान में जिले के अन्य विधान सभा क्षेत्र, प्रखंडों के छात्र–छात्राएं भी संयुक्त प्रवेश परीक्षा के आधार पर नामांकन ले सकते हैं । वर्तमान में पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी जिला के कल्याणपुर प्रखंड में नये राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव विभाग के समक्ष विचाराधीन नहीं है । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि ये अपना संकल्प वापस लें ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि पटना के बाद मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण जिला सबसे बड़ा जिला है लगभग आज के दिन में 90 लाख की आबादी का जिला उसमें मात्र एक पॉलिटेक्निक कॉलेज है तो इस पर माननीय मंत्री जी विचार करें और प्रस्ताव तो वापस लेना ही है । मैं पुनः आग्रह करते हुए कि मोतिहारी जिला के कल्याणपुर में आप एक पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलिए, मैं आपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

(इस अवसर पर माननीय सभापति (श्री श्याम रजक) महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

क्रमांक– 09 श्री महेश पासवान स०वि०स०

श्री महेश पासवान : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भोजपुर जिला के संदेश, अगिगॉंव तथा जगदीशपुर विधनसभा को जोड़ने वाली बसौरी पासवान टोला–सदंगी पासवान टोला–बनास नदी होते हुए इचरी पथ पर

बनास नदी पर उच्च स्तरीय पुल तथा आवश्यक पहुँच पथ का निर्माण करावे।''

सभापति (श्री श्याम रजक) : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : सभापति महोदय, प्रासंगिक पुल के अपस्ट्रीम में करीब 1 कि0मी0 एवं डाउन स्ट्रीम में 3 कि0मी0 की दूरी पर आर0सी0सी0 पुल पूर्व से निर्मित है और साथ ही पुल जिला संचालन समिति के अनुशंसित सूची में शामिल नहीं है । पुल के पहुंच पथ में कोई योग्य बसावट नहीं रहने के कारण पथ एवं पुल निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि ये अपने संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

सभापति (श्री श्याम रजक) : माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी ने स्थिति स्पष्ट कर दी है।

श्री महेश पासवान : सभापति महोदय, एक मिनट । माननीय मंत्री योजना विकास भी बैठे हुए हैं, उनका भी क्षेत्र जुड़ता है, ये बोले थे कि आप दीजिएगा हम करायेंगे, इसलिए हम आग्रह करेंगे कि उसे ये बनवा दें, प्रस्ताव करवा दें ।

सभापति (श्री श्याम रजक) : अभी आप प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री महेश पासवान : सभापति महोदय, ठीक है । हम वापस ले रहे हैं ।

सभापति (श्री श्याम रजक) : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक– 10 श्री तारकिशोर प्रसाद स०वि०स०</u>

श्री तारकिशोर प्रसाद : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पथ प्रमण्डल कटिहार अंतर्गत गोविन्दपुर चौक से हसनगंज भाया चाँपी 6.2 किलोमीटर लंबी पथ का सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण करावे।''

सभापति (श्री श्याम रजक) : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री कुमार शैलेन्द्र, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य का संकल्प बहुत ही महत्वपूर्ण है । वस्तुस्थिति यह है कि कटिहार जिलान्तर्गत प्रश्नगत पथ सी0आर0आई0एफ0 योजनान्तर्गत है, जिसके चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण हेतु कुल आकलित राशि 22 करोड़ 57 लाख 44 हजार रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति हेतु विभागीय पत्रांक–2290 (ई) डब्ल्यू0ई0, दिनांक–06.04.2026 द्वारा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार से अनुरोध किया गया है । स्वीकार के उपरान्त पथ के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण की कार्रवाई की जायेगी । अतः माननीय सदस्य से संकल्प वापस लेने का आग्रह करता हूं ।

श्री तारकिशोर प्रसाद : सभापति महोदय, इस संदर्भ में माननीय मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार से हमने मिलकर इस सड़क के संबंध में बातचीत की थी, इस मद में केन्द्र सरकार के पास अभी राशि नहीं है, सारी राशि निर्गत हो चुकी है । इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इसे राज्य योजना मद में आप निश्चित तौर पर लें, क्योंकि

यह कटिहार विधान सभा क्षेत्र, कोढ़ा विधान सभा क्षेत्र को जोड़ते हुए एन0एच0ए0आई0 के द्वारा जो 131 (ए) राष्ट्रीय उच्च पथ का निर्माण कटिहार से पूर्णिया के बीच में हुआ है उससे यह सीधा जुड़ती है और कई कि0मी0 का वह बचत है, उससे सुगम हो जायेगा ।

सभापति (श्री श्याम रजक) : माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी ने स्थिति को स्पष्ट कर दिया है ।

श्री तारकिशोर प्रसाद : उससे रास्त बहुत कम हो जायेगा, इसलिए महोदय आग्रह है कि इसको राज्य योजना मद से करें और इस प्रत्याशा में मैं अपने इस प्रस्ताव को वापस लेता है।

सभापति (श्री श्याम रजक) : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

टर्न–10 / सुरज / 24.07.2026

<u>क्रमांक–11 : श्री रूहेल रंजन, स0वि0स0</u>

श्री रूहेल रंजन : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह राज्य के सभी विभागों, आयोगों एवं भर्ती एजेंसियों में रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया को समयबद्ध एवं पारदर्शी बनाने हेतु प्रत्येक वर्ष ''वार्षिक सरकारी भर्ती कैलेंडर'' जारी किया जाए, जिसमें विज्ञापन, परीक्षा, परिणाम तथा नियुक्ति की निश्चित समय–सीमा निर्धारित हो, साथ ही, रिक्त पदों का नियमित आकलन कर निर्धारित अवधि के भीतर उन्हें भरने की व्यवस्था करावे ।''

श्रीमती लेशी सिंह, मंत्री : सभापति महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय संकल्प सं0–2374, दिनांक–16.07.2007 में बिहार लोक सेवा आयोग एवं बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्रतियोगिता परीक्षाओं के संचालन एवं अनुशंसा करने के निमित एवं चरणबद्ध प्रक्रियों के अनुपालन हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत है, जिसका अनुपालन सभी विभागों एवं चयन एजेंसियों द्वारा किया जा रहा है । इसी प्रकार विभागीय परिपत्र सं0–22047, दिनांक–27.11.2025 द्वारा सभी चयन आयोगों को राज्य में युवाओं को ससमय नौकरी देने के लक्ष्य के अधीन सरकारी नौकरी के रिक्ति को जल्द से जल्द भरने की कार्रवाई हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं । जिसका अनुपालन सभी आयोगों एवं सभी विभागों द्वारा किया जा रहा है । इसी क्रम में बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग एवं केन्द्रीय चयन पर्षद का वर्ष 2026 का वार्षिक कैलेंडर का प्रकाशन भी कर दिया गया है जो आयोगों के बेवसाइट पर प्रदर्शित है । मैं माननीय सदस्य से आग्रह करती हूं कि अपना संकल्प वापस लें ।

सभापति (श्री श्याम रजक) : माननीय मंत्री जी ने स्थिति स्पष्ट कर दी है कृपया आप अपना प्रस्ताव वापस लेना चाहेंगे ?

श्री रूहेल रंजन : महोदय, मेरा एक छोटा सा सुझाव था कि एक कॉमन कैलेंडर बनाएं ताकि जितने भी सरकारी विभाग हैं, उन सबका एक जगह दिखे और उसके सारे समय–सीमा और जितने भी उसके आगे की प्रक्रिया है वह एक जगह दिखे । बस मेरा इतना ही एक छोटा सा सुझाव था । अन्य कई स्टेट भी ऐसा कर रहे हैं तो इससे छात्रों को थोड़ी आसानी होगी ।

सभापति (श्री श्याम रजक) :अपना प्रस्ताव वापस लेना चाहेंगे ?

श्री रूहेल रंजन : जी, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

सभापति (श्री श्याम रजक) :सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

श्री राणा रणधीर : सभापति महोदय, सदन में 93 नये सदस्य हैं...

सभापति (श्री श्याम रजक) :बाद में ।

श्री राणा रणधीर : एक मिनट सर, इसी से जुड़ा हुआ है । मैं खड़ा नहीं होता, यह परंपरा रही है यहां, आपलोगों ने सिखाया है । माननीय संसदीय कार्य मंत्री भी बैठे हैं प्रस्ताव जब पढ़ा जाता है तो ऐसा पढ़ते हैं फॉर्मेट में राजीव जी भी हैं कि मैं प्रस्ताव करता हूं यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है । कई माननीय नये सदस्य हैं जो यह भूल जा रहे हैं तो सदन से आग्रह है कि सदन एक बार उसको बता दे ।

<u>क्रमांक–12 : श्री संजय कुमार पाण्डेय, स0वि0स0</u>

श्री संजय कुमार पाण्डेय : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह आम जनता, विशेषकर ग्रामीण एवं सीमावर्ती क्षेत्रों के गरीब परिवारेां की सहूलियत हेतु राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर आयोजित किए जाने वाले सभी 'सहयोग शिविरों' में आधार में हुई तकनीकी त्रुटियों (नाम, जन्मतिथि, पता, मोबाईल नंबर या बायोमेट्रिक मिसमैच) को ऑन–द–स्पॉट सुधार करावे ।''

सभापति (श्री श्याम रजक) :माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, मंत्री जी अभी उच्च सदन में हैं ।

सभापति (श्री श्याम रजक) :आगे बढ़ते हैं ।

<u>क्रमांक–13 : श्री मुरारी मोहन झा, स0वि0स0</u>

श्री मुरारी मोहन झा : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह दरभंगा जिलान्तर्गत बथोरा के क्यामचक, भोजपट्टी होते हुए दरभंग हवाई अड्डा तक मरने कमला नदी की उड़ाही (गाद सफाई) तथा जगह–जगपर तटबंध / सुरक्षा (Protection) दिवाल का निर्माण करावे ।''

श्री विजय कुमार चौधरी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, अभी दरभंगा एम्स के लिये उस स्थल पर मिट्टी भराई का काम चल रहा है और माननीय सदस्य ने ठीक कहा है कि उसमें मिट्टी भरने के लिये मिट्टी जो हमलोग प्राप्त कर रहे हैं उसमें इस नदी के उड़ाही की भी बात प्रावधानित है । इसलिये माननीय सदस्य से हम अनुरोध करते हैं कि अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

सभापति (श्री श्याम रजक) : माननीय मंत्री जी स्थिति स्पष्ट कर दी है । आप अपना प्रस्ताव वापस लेना चाहेंगे?

श्री मुरारी मोहन झा : महोदय, मैं इसमें क्लियर जानना चाहता हूं कि यह जो कमला मरने नदी है जिसमें क्यामचक और भेजपट्टी के सैकड़ों किसान इससे प्रभावित हैं ।

सभापति (श्री श्याम रजक) : माननीय मंत्री जी स्थिति स्पष्ट कर दी है । कृपया अपना प्रस्ताव वापस लेना चाहेंगे ?

श्री मुरारी मोहन झा : महोदय, प्रस्ताव वापस लेंगे । मगर हमको यह सुनिश्चित करें कि उस साइड में कटेगा या इस साइड में कटेगा । शोभन की तरफ बोल रहे हैं। क्यामचक, भोजपट्टी जो इलाका है उधर के किसान प्रभावित हैं ।

श्री विजय कुमार चौधरी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, इनसे भी पदाधिकारी बात कर लेगा जहां इनको जरूरत होगी, वहां भी काटेगा ।

श्री मुरारी मोहन झा : मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

सभापति (श्री श्याम रजक) : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक–14 : श्री भरत बिन्द, स0वि0स0</u>

श्री भरत बिन्द : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह कैमूर जिलान्तर्गत भभुआ प्रखंड में विश्वविद्यालय का निर्माण करावे ।''

श्री संजय सिंह 'टाईगर', मंत्री : महोदय, राज्य सरकार चाहती है कि बिहार में नये विश्विद्यालय की स्थापना हो और इसी उद्देश्य से बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 में संशोधन प्रस्ताव लाया गया दोनों सदनों में, वह स्वीकृत भी हुआ और बिहार विशिष्ट विश्विद्यालय विधेयक, 2026 इसी सीजन में लाया गया । जब स्वीकृत हुआ दोनों सदनों में स्वीकृत हुआ । हमारी मंशा है परन्तु प्रस्तुत संकल्प के प्रसंग में कहना है कि कैमूर जिलान्तर्गत भभुआ प्रखंड में विश्वविद्यालय स्थापना का कोई भी मामला सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

अतः अनुरोध है कि माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस लें ।

सभापति (श्री श्याम रजक) : माननीय मंत्री जी के सकारात्मक उत्तर के आलोक में आप अपना प्रस्ताव वापस लेना चाहेंगे ।

श्री भरत बिंद : महोदय, बच्चे और बच्चियों को दूर जाकर उच्च शिक्षा ग्रहण करना पड़ता है इसलिये माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि विशविद्यालय की स्थापना जरूर करायी जाए ।

सभापति (श्री श्याम रजक) :क्या तत्काल आप अपना प्रस्ताव वापस लेना चाहेंगे ?

श्री भरत बिंद : महोदय, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

सभापति (श्री श्याम रजक) : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक–15 : श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता, स0वि0स0</u>

श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्वी चम्पारण जिला अनतर्गत चिरैया प्रखंड के पटजिलबा ग्राम में बूढ़ी गंडक नदी के चैनल पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण हेतु एकरारनामा हो चुका है, जल संसाधन विभाग द्वारा अनापत्ति प्रामण पत्र निर्गत करवा कर पुल निर्माण करावे ।''

श्री विजय कुमार चौधरी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, माननीय सदस्य जहां पुल की बात कह रहे हैं वह सही है । वहां पर पथ निर्माण ने मांगा है लेकिन वह जगहा जो छोड़ा हुआ है वह एंटी फलड स्लूईस गेट के लिये है । हमलोग सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र दे रहे हैं कि आप इसमें एंटी फलड स्लूईस गेट के साथ हाई लेवल ब्रिज बना दीजिये । नहीं तो नदी का जो रिहायशी इलाका है उधर भी जल–जमाव हो जायेगा । हमलोग एंटी फलड स्लूईस गेट रहने से पानी निकाल देते हैं । हमलोग सशर्त दे रहे हैं ।

सभापति (श्री श्याम रजक) : माननीय मंत्री जी के सकारात्मक जवाब के आलोक में क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता : मंत्री जी को बहुत–बहुत धनयवाद । इसको करा दिया जाए सर। हम अपना प्रस्ताव वापस लेते हैं ।

सभापति (श्री श्याम रजक) : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक–16 : श्री सुरेन्द्र प्रसाद, स0वि0स0</u>

श्री सुरेन्द्र प्रसाद : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पश्चिमी चम्पारण जिला में टाइगर रिजर्व वाल्मीकिनगर एक प्रमुख अंतराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय पर्यटन स्थल घोषित है, पर्यटक स्थल को और अधिक बढ़ावा और आकर्षण बनाने के लिए गंडक नदी में वाल्मीकिनगर बैराज के किनारे–किनारे पटना की तर्ज पर मरीन ड्राइव निर्माण करावे ।''

टर्न–11 / धिरेन्द्र / 24.07.2026

सभापति (श्री श्याम रजक) : माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, उप मुख्यमंत्री : सभापति महोदय, मरीन ड्राइव का निर्माण जल संसाधन विभाग नहीं कराता है लेकिन माननीय सदस्य ने प्रश्न डाल दिया है तो सरकार इस पर विचार करेगी । फिलहाल माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

सभापति (श्री श्याम रजक) : माननीय सदस्य क्या आप अपना प्रस्ताव वापस लेना चाहेंगे ?

श्री सुरेन्द्र प्रसाद : महोदय, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति (श्री श्याम रजक) : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–17 : डॉ॰ सुनील कुमार, स॰वि॰स॰

डॉ॰ सुनील कुमार : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह नालंदा जिला के बिहारशरीफ शहर के बीचों–बीच से पंचाने नदी बरसात के दिनों में अत्यधिक वर्षा होने पर अचानक नदी का जलस्तर बढ़ जाता है, जिससे बिहारशरीफ में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है । पंचाने नदी के गाद की सफाई नहीं होने से स्थानीय लोगों को बाढ़ की समस्या झेलनी पड़ती है ।

अतः जनहित में देवीसराय से लेकर सोहसराय होते हुए रहुई तक पंचाने नदी के गाद की सफाई कराने तथा पंचाने नदी पर दोसुत में निर्माणाधीन रिवरफ्रंट का विस्तार बिहारशरीफ के बबुरबन्ना मोड़ तक करावें।''

सभापति (श्री श्याम रजक) : माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, उप मुख्यमंत्री : सभापति महोदय, उस नदी का उड़ाहीकरण या उसमें, मुख्य रूप से यह शहर के बीचों–बीच पड़ता है । पूरे शहर का कचरा जो भी साफ–सुथरा कर लोग फैंकते हैं तो इसी में आ जाता है । हमलोग सफाई करा रहे हैं और उड़ाही भी करा देंगे लेकिन रिवरफ्रंट के काम के लिए हमलोग इसको नगर विकास एवं आवास विभाग में रेफर कर देंगे, वहां से बनाने की कार्रवाई की जायेगी । इसलिए माननीय सदस्य से आग्रह है कि वे अपना प्रस्ताव वापस लें ।

डॉ॰ सुनील कुमार : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि नालंदा जिला एक ऐतिहासिक जिला है और सचमुच बिहार के आकर्षण का केन्द्र है और उसका मुख्यालय बिहारशरीफ है । यह बड़ी खूबसूरत बात है कि बिहारशरीफ शहर के बीचों–बीच से पंचाने नदी का प्रवाह है ऐसे में वहां रिवरफ्रंट बन जायेगा तो सचमुच बिहारशरीफ भी एक आकर्षण का केन्द्र बन जायेगा और रिवरफ्रंट का निर्माण हो रहा है लेकिन शहर से छः किलोमीटर बाहर दोसुत में हो रहा है । इसीलिए सरकार से मेरा आग्रह है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी बैठे

हुए हैं दो दिन पूर्व मैंने उनसे चर्चा भी की थी और उन्होंने हामी भी भरी है । उप मुख्यमंत्री जी भी हैं और मुख्यमंत्री जी भी हैं, हमारा आपके माध्यम से आग्रह होगा कि अभी हम प्रस्ताव तो वापस लेंगे ही लेकिन ये सहमति दे दें, सकारात्मक जवाब दे दें ।

श्री नीतीश मिश्रा, मंत्री : सभापति महोदय, नगर विकास विभाग के माध्यम से इसकी फिजिब्लिटी स्टडी करा लेते हैं, उसके पश्चात् डी॰पी॰आर॰ बनवाने की कार्रवाई भी की जायेगी ।

अतः माननीय सदस्य से आग्रह है कि वे अपना संकल्प वापस ले लें।

डॉ॰ सुनील कुमार : महोदय, माननीय मंत्री जी हाँ बोल दीजिये न कि डी॰पी॰आर॰ बना कर बनवा देंगे । हाँ तो बोल दीजिये, इतना तो बोल दीजिये । दोनों, मुख्यमंत्री जी भी हैं और उप मुख्यमंत्री जी भी ।

श्री विजय कुमार चौधरी, उप मुख्यमंत्री : सभापति महोदय, सुनील जी को यह समझना चाहिए कि जल संसाधन मंत्री के रूप में हमने उनकी बातों की जानकारी दी और वे कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी हैं, नगर विकास मंत्री जी हैं । इसीलिए न हम सब लोग मिलकर कह रहे हैं कि आपका सफाई भी होगा, नगर विकास विभाग रिवरफ्रंट भी बना देगा ।

डॉ॰ सुनील कुमार : महोदय, धन्यवाद । मैं अपने प्रस्ताव को वापस लेता हूँ ।

सभापति (श्री श्याम रजक) : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक–18 : श्रीमती मनोरमा देवी, स॰वि॰स॰</u>

श्रीमती मनोरमा देवी : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह गयाजी जिलान्तर्गत पच्चीस हजार की आबादी वाले बेलागंज बाजार/पंचायत को नगरीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु नगर पंचायत बेलागंज सृजित करावे ।''

सभापति (श्री श्याम रजक) : माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग ।

श्री नीतीश मिश्रा, मंत्री : माननीय सभापति महोदय, यह अन्य माननीय सदस्यों के लिए भी महत्वपूर्ण जानकारी है जो मैं साझा कर रहा हूँ ।

वस्तुस्थिति यह है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के गजट अधिसूचना संख्या–514, दिनांक–28.07.2025 द्वारा भारत की जनगणना, 2027 के तहत बिहार राज्य के सभी जिलों, अनुमंडलों, सामुदायिक विकास प्रखंडों, संवैधिक शहरों, ग्राम पंचायतों एवं ग्रामों की प्रशासनिक क्षेत्राधिकार की सीमाओं में दिनांक–31.12.2025 के पश्चात् से भारत की जनगणना, 2027 का कार्य पूर्ण होने की तिथि 31.03.2027 तक किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना निषिद्ध है । संप्रति विभागीय पत्रांक–2548, दिनांक–13.07.2026 द्वारा सभी जिला पदाधिकारी से जनगणना कार्य पूर्ण होने तक राज्य के नगर निकायों में दो या उससे अधिक नगरपालिका क्षेत्रों को एक नगरपालिका क्षेत्र के रूप में गठित

करने, नगरपालिका क्षेत्र से संलग्न किसी ग्रामीण क्षेत्र को उस नगरपालिका क्षेत्र में शामिल करने तथा पुराने नगर निकायों का उत्क्रमण एवं नये नगर निकायों के गठन संबंधी प्रस्ताव दिनांक–30.08.2026 तक उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है ताकि जनगणना का कार्य पूर्ण होने तक प्राप्त प्रस्ताव पर विभाग की ओर से समीक्षा की जा सकेगी ।

अतः माननीय सदस्या से आग्रह है कि वे अपना संकल्प वापस ले लें।

सभापति (श्री श्याम रजक) : माननीय सदस्या, माननीय मंत्री जी ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। कृपया आप अपना संकल्प वापस लेना चाहेंगी ?

श्रीमती मनोरमा देवी : सभापति महोदय, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेती हूँ ।

सभापति (श्री श्याम रजक) : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक–19 : श्रीमती कविता देवी, स॰वि॰स॰</u>

श्रीमती कविता देवी : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह कटिहार जिलान्तर्गत फलका (एस॰एच॰–77) से गेड़ाबाड़ी बाजार (एन॰एच॰–31) तक पथ निर्माण विभाग के अधीन आवागमन एवं व्यापार की दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण 12 किलोमीटर सड़क का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण करावे ।''

सभापति (श्री श्याम रजक) : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री कुमार शैलेन्द्र, मंत्री : सभापति महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि कटिहार जिला अंतर्गत प्रश्नगत पथ कोढ़ा–फलका पथ की कुल लंबाई 12.885 किलोमीटर एवं चौड़ाई 5.5 मीटर है, दोनों ओर एक मीटर अर्थर शोल्डर है । यह पथ ओ॰पी॰आर॰एम॰सी॰ पैकेज–2 के 12ए अंतर्गत माह जून, 2026 तक संधारित था एवं पथ की स्थिति अच्छी है । टेक्निकल फिजिब्लिटी मंगाई जा रही है एवं प्राथमिकता के अनुरूप यह काम करा देंगे ।

अतः माननीय सदस्या से आग्रह है कि वह अपना संकल्प वापस ले लें ।

सभापति (श्री श्याम रजक) : माननीय मंत्री जी ने स्थिति स्पष्ट कर दी है ।

श्रीमती कविता देवी : महोदय, माननीय मंत्री जी से आग्रह होगा कि यह थोड़ा जल्दी हो जाय । उस सड़क पर बहुत ही दवाब रहता है । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेती हूँ ।

सभापति (श्री श्याम रजक) : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक–20 : श्री रमेश ऋषि, स॰वि॰स॰</u>

श्री रमेश ऋषि : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मधेपुरा जिलान्तर्गत कुमारखण्ड प्रखण्ड के रानीपट्टी बेतरनी नहर से रानीपट्टी होते हुए विरपुर जाने वाली नहर पर बनी पक्की सड़क कम चौड़ी है, जिसके कारण आवागमन में कठिनाई हो रही है, उक्त सड़क का चौड़ीकरण करावे ।''

सभापति (श्री श्याम रजक) : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री कुमार शैलेन्द्र, मंत्री : सभापति महोदय, यह आर॰डब्ल्यू॰डी॰ को स्थानांतरित किया गया है।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : महोदय, इस पथ का स्थानांतरण हमने जल संसाधन विभाग को किया है क्योंकि यह सड़क नहर के ऊपर बनी हुई है । अतः हमलोगों ने इसे जल संसाधन विभाग को स्थानांतरित किया है ।

श्री विजय कुमार चौधरी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, सरकार इस पर विचार करेगी । अभी माननीय सदस्य से आग्रह है कि वे अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री रमेश ऋषि : महोदय, यह सड़क 74 किलोमीटर लंबी है और रानीपट्टी से 74 किलोमीटर, यह वीरपुर से नेपाल को भी जोड़ती है और खासकर कोशी ईलाके के जो लोग हैं आँख दिखाने के लिए अधिकतर नेपाल ही जाते हैं तो इसीलिए माननीय मंत्री श्री विजय बाबू जी से हम आग्रह करेंगे कि इस सड़क का चौड़ीकरण करायें और राष्ट्रीय राजमार्ग से हो तो उससे भी कर दिया जाय।

टर्न–12 / अंजली / 24.07.2026

सभापति (श्री श्याम रजक) : माननीय मंत्री जी ने सकारात्मक जवाब दिया है । कृपया आप संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री रमेश ऋषि : महोदय, कहां सकारात्मक जवाब मिला है । महोदय, 74 किलोमीटर लंबी सड़क है और यह जल संसाधन विभाग की ही सड़क है, यह विभाग में इधर से उधर कर दिया गया है । ललन बाबू, उस समय में जल संसाधन मंत्री थे और उसी समय हम गैर सरकारी संकल्प डाले थे, गैर सरकारी संकल्प से ही यह सड़क हुई थी । सभापति महोदय, हम विजय बाबू से आग्रह करेंगे कि जल संसाधन विभाग से ही इसको चौड़ीकरण करा दिया जाए ।

श्री विजय कुमार चौधरी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, हमने कहा है कि सरकार विचार करेगी ।

सभापति (श्री श्याम रजक) : माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि विचार करेंगे, तो इस स्तर जब इन्होंने कहा है, तो आपको प्रस्ताव वापस ले लेना चाहिए ।

श्री रमेश ऋषि : मैं प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति (श्री श्याम रजक) : सदन की सहमति से प्रस्ताव हुआ ।

<u>क्रमांक–21 : श्रीमती करिश्मा, स॰वि॰स॰</u>

श्रीमती करिश्मा : आदरणीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सारण कैनाल जो गोपालगंज जिला से चल कर सिवान जिला होते हुए सारण जिला आती है, गंगा नदी में विलिन हो जाती है । इस कैनाल के किनारे–किनारे सड़क का निर्माण करावे ।''

श्री कुमार शैलेन्द्र, मंत्री : सभापति महोदय, यह संकल्प भी आर0डब्लू0डी0 को हस्तांतरित किया गया है ।

श्री विजय कुमार चौधरी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, हम अधिकारी को भेजकर जो माननीय सदस्या करिश्मा जी कह रही हैं, उसकी संभाव्यता देख लेते हैं और उस पर आगे की कार्रवाई अगर संभाव्य होगा तो जरूर करेंगे । अभी इनसे अनुरोध है कि अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

सभापति (श्री श्याम रजक) : माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने स्थिति स्पष्ट कर दी है, कृपया आप अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्रीमती करिश्मा : माननीय उप मुख्यमंत्री जी के आश्वासन के आलोक में मैं यह प्रस्ताव वापस लेती हूँ ।

सभापति (श्री श्याम रजक) : सदन की सहमति से प्रस्ताव हुआ ।

<u>क्रमांक–22 : श्री विशाल कुमार, स॰वि॰स॰</u>

श्री विशाल कुमार : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत छौड़ादानों प्रखंड स्थित बिन्दु दूरी 186–480 तियर नदी में वर्षों पहले बने क्षतिग्रस्त चैक डैम को नव निर्माण कार्य करावे ।''

डॉ॰ संतोष कुमार सुमन, मंत्री : सभापति महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि संकल्पाधीन योजना का प्रारंभिक सर्वेक्षण कराया गया है । सर्वेक्षण में पाया गया है कि योजना स्थल से कोई भी पईन निरसित नहीं है, तथा नदी की चौड़ाई लगभग 180 मीटर है । इस योजना का अधिकांश कमांड क्षेत्र घोड़ासन शाखा नहर एवं मधुबन उप वितरणी के कमांड क्षेत्र से आच्छादित है । योजना का विस्तृत सर्वेक्षण कराया जाएगा । सर्वेक्षणोपरांत योजना विभागीय मानकों के अनुरूप एवं तकनीकी रूप से संभाव्य पाए जाने पर निधि उपलब्धता एवं विभागीय प्राथमिकता के आधार पर विहित प्रक्रिया के तहत क्रियान्वित की जाएगी ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि इस संकल्प को वापस लें ।

सभापति (श्री श्याम रजक) : क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहेंगे ?

श्री विशाल कुमार : हम मंत्री जी को बताना चाहेंगे कि हजारों एकड़ जमीन इस डैम के नहीं बनने से प्रभावित है । हजारों किसान प्रभावित हैं, तकरीबन दो प्रखंड के लोग इस डैम से सिंचाई का लाभ लेते थे ।

सभापति (श्री श्याम रजक) : उन्होंने स्थिति स्पष्ट कर दी है । क्या आप अपना प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ?

श्री विशाल कुमार : तो आग्रह है मंत्री जी से कि सर्वे तो कह रहे हैं कि हम करवा रहे हैं लेकिन आग्रह है कि यह बना हुआ डैम है । पुनः निर्माण करा देंगे तो बड़ी कृपा होगी । हम इसी आग्रह के साथ अपना प्रस्ताव वापस लेते हैं ।

सभापति (श्री श्याम रजक) : सदन की सहमति से प्रस्ताव हुआ ।

क्रमांक–23 : श्री कर्णजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह, स॰वि॰स॰

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक–24 : श्री सुरेन्द्र मेहता, स॰वि॰स॰

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक–25 : श्री बीरेन्द्र कुमार, स॰वि॰स॰

श्री बीरेन्द्र कुमार : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह समस्तीपुर जिलान्तर्गत रोसड़ा विधान सभा क्षेत्र की घनी आबादी, विशिष्ट भौगोलिक स्थिति एवं स्थानीय छात्र–छात्राओं की उच्च एवं गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, वहां एक नए 'केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना हेतु (केंद्र सरकार शिक्षा मंत्रालय) भारत सरकार से सिफारिश करे ।''

सभापति (श्री श्याम रजक) : माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग ।

श्री मिथिलेश तिवारी, मंत्री : सभापति महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन के कार्यालय ज्ञाप अंतर्गत नए केंद्रीय विद्यालय स्थापित किए जाने का प्रावधान है । इसमें नए केंद्रीय विद्यालय स्थापित किए जाने हेतु जिला को इकाई माना गया है । किसी विधान सभा क्षेत्र को इकाई मानकर नया केंद्रीय विद्यालय स्थापित किए जाने का प्रावधान नहीं है । केंद्रीय विद्यालय संगठन के ज्ञाप के अनुसार असैन्य क्षेत्र में नए केंद्रीय विद्यालय की स्थापना हेतु अनिवार्य प्रावधान अंतर्गत केंद्रीय कर्मियों, सैन्य एवं असैन्य कर्मी, केंद्रीय स्वायत्त संस्था के कर्मी, केंद्रीय लोक उपक्रम, केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थान की न्यूनतम 500 संख्या होनी आवश्यक है । समस्तीपुर जिला अंतर्गत पूर्व से दो केंद्रीय विद्यालय का संचालन हो रहा है । रोसड़ा विधान सभा क्षेत्र में नवीन केंद्रीय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव भेजा जाना विचाराधीन नहीं है ।

अतः माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना संकल्प वापस ले लें ।

सभापति (श्री श्याम रजक) : माननीय मंत्री जी ने स्थिति स्पष्ट कर दी है, कृपया अपना प्रस्ताव वापस लें ।

श्री बीरेन्द्र कुमार : माननीय सभापति महोदय, जिले का पूर्वी भाग है, घनी आबादी वाला क्षेत्र है । वहां पर पूर्वोत्तर भारत का अंतिम चीनी मिल भी है और केंद्रीय

कर्मचारियों की भी संख्या ज्यादा है और अगल–बगल के क्षेत्र को देखते हुए खासकर कमला, बागमती और कोसी...

सभापति (श्री श्याम रजक) : उन्होंने स्थिति स्पष्ट कर दी है । कृपया क्या आप अपना प्रस्ताव वापस लेना चाहेंगे ?

श्री बीरेन्द्र कुमार : सभापति महोदय, भारत सरकार को भेजना है, थोड़ा भिजवा दिया जाए । वह विचार करेगी तो...

सभापति (श्री श्याम रजक) : इन्होंने नियम बताने का काम किया है और सकारात्मक भी अपनी बात कही है । इसलिए हम चाहेंगे कि आप प्रस्ताप वापस ले लें ।

श्री बीरेन्द्र कुमार : केवल भेजना है ।

सभापति (श्री श्याम रजक) : भेजने के लिए बहुत सारे नियम हैं । उन चीजों को होना चाहिए ।

श्री बीरेन्द्र कुमार : सभापति महोदय, मेरा आग्रह है भिजवा दिया जाए ।

सभापति (श्री श्याम रजक) : आप प्रस्ताव वापस लेना चाहेंगे ?

श्री बीरेन्द्र प्रस्ताव : मैं प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति (श्री श्याम रजक) : सदन की सहमति से प्रस्ताव हुआ ।

<u>क्रमांक–26 : श्री उदय कुमार सिंह, स०वि०स०</u>

श्री उदय कुमार सिंह : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह गयाजी जिला के शेरघाटी अनुमंडल भौगोलिक, प्रशासनिक एवं जनसांख्यिकी दृष्टिकोण से जिला बनने की सभी अर्हताएं पूरा करती है, यह जीटी रोड पर झारखंड से सटा हुआ अनुमंडल है, सरकार शेरघाटी अनुमंडल को जिला बनावे ।''

सभापति (श्री श्याम रजक) : माननीय मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग ।

श्रीमती लेशी सिंह, मंत्री : सभापति महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि राज्य में जिला/अनुमंडल/प्रखंड/अंचल के पुनर्गठन हेतु, मंत्रियों के समूह का गठन माननीय उप मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में किया गया है । साथ ही, मंत्रियों के समूह के समक्ष प्रस्ताव रखने हेतु सचिवों की समिति गठित है । सचिवों की समिति द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन हेतु जिला पदाधिकारी तथा प्रमंडलीय आयुक्त के माध्यम से प्राप्त औचित्यपूर्ण प्रस्ताव संलेख के माध्यम से सचिवों की समिति के समक्ष विचारारार्थ रखा जाना है । इस प्रकार शेरघाटी अनुमंडल को जिला बनाने हेतु उक्त विहित रीति से जिला पदाधिकारी एवं प्रमंडलीय आयुक्त से प्रस्ताव प्राप्त नहीं है ।

मैं माननीय सदस्य से आग्रह करना चाहूंगी कि इस संकल्प को वापस लें ।

सभापति (श्री श्याम रजक) : माननीय मंत्री जी ने स्थिति स्पष्ट कर दी है ।

श्री उदय कुमार सिंह : मैं इसी आशा के साथ प्रस्ताव वापस लेता हूं कि जिला से मंगा लिया जाए ।

सभापति (श्री श्याम रजक) : सदन की सहमति से प्रस्ताव हुआ ।

क्रमांक–27 : श्री रोहित पाण्डेय, स०वि०स०

श्री रोहित पाण्डेय : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भागलपुर जिलान्तर्गत भागलपुर शहर में वर्षों से व्याप्त भीषण यातायात एवं जाम की स्थिति के दृष्टिकोण से जनहित में जीरो माईल से तिलकामांझी चौक, घंटा घर चौक, स्टेशन गोलंबर, ततारपुर, टीएनबी कॉलेज होते हुए चंपानाला तक एक सम्यक एवं सुव्यवस्थित एलिवेटेड रोड निर्माण करावे ।''

सभापति (श्री श्याम रजक) : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री कुमार शैलेन्द्र, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि भागलपुर जिलान्तर्गत भागलपुर शहर में जीरो माईल से तिलकामांझी चौक, घंटा घर चौक, स्टेशन गोलंबर, ततारपुर, टीएनबी कॉलेज से होते हुए चंपानाला तक एलिवेटेड रोड का निर्माण हेतु फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार किया गया है । फिजिबिलिटी रिपोर्ट के अनुसार इस एलिवेटेड पथ की संभावित राशि 1800 करोड़ है । एलिवेटेड फ्लाई ओवर निर्माण हेतु डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने की कार्रवाई की जा रही है । संसाधन की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी ।

अतः माननीय सदस्य से आग्रह है कि वे अपना संकल्प वापस ले लें ।

सभापति (श्री श्याम रजक) : माननीय मंत्री जी के सकारात्मक जवाब के आलोक में क्या प्रस्ताव वापस लेने का काम करेंगे ?

श्री रोहित पाण्डेय : महोदय, माननीय मंत्री जी ने इस पर जो अग्रेतर कार्रवाई की है, इसके लिए आभार व्यक्त करते हुए मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति (श्री श्याम रजक) : सदन की सहमति से प्रस्ताव हुआ ।

टर्न–13 / पुलकित / 24.07.2026

क्रमांक–28 : श्री संदीप सौरभ, स०वि०स०

श्री संदीप सौरभ : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पटना जिलान्तर्गत पालीगंज अनुमंडल का मुख्यालय पालीगंज, जो कि 23 पंचायतों और एक नगर पंचायत का प्रखंड है, साथ ही दुल्हिनबाजार प्रखंड, जहाँ कोई सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं है, डिग्री कॉलेज की स्थापना करावे ।''

सभापति (श्री श्याम रजक) : माननीय मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग ।

श्री संजय सिंह 'टाईगर', मंत्री : महोदय, प्रस्तुत संकल्प के प्रसंग में कहना है कि राज्य सरकार द्वारा उन्नत शिक्षा, उज्ज्वल भविष्य, सात निश्चय–3 के तहत डिग्री

महाविद्यालय रहित 211 प्रखंडों में डिग्री महाविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, जिसे किया भी जा चुका है । वस्तुस्थिति यह है कि पटना जिले के पालीगंज प्रखंड में पूर्व से वासुदेव एस0के0टी0 कॉलेज, अकबरपुर, कमता प्रसाद सिन्हा कॉलेज, पालीगंज एवं राम लखन सिंह यादव कॉलेज, पालीगंज पटना, सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालय के रूप में संचालित हो रहा है तथा पटना जिला के दुल्हिनबाजार प्रखंड में पूर्व से पी0एन0के0 कॉलेज, अछुआ सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालय के रूप में संचालित हो रहा है। वर्णित स्थिति में पटना जिला अंतर्गत पालीगंज एवं दुल्हिनबाजार प्रखंड में डिग्री महाविद्यालय खोलने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है। इसलिए मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूँगा कि वह अपना प्रस्ताव वापस लें।

सभापति (श्री श्याम रजक) : माननीय मंत्री महोदय ने स्थिति स्पष्ट कर दी है ।

श्री संदीप सौरभ : सभापति महोदय, एक मिनट, यह मुद्दा हम तीसरी बार गैर–सरकारी संकल्प में लाये हैं । जो कॉलेज का नाम बता रहे हैं, उसमें तो दो कॉलेज अस्तित्व में नहीं है । यह प्राइवेट कॉलेज या वित्त रहित कॉलेज जिसका संचालन सही से नहीं हो रहा है, जहाँ पढ़ाई नहीं होती है और वहां अनुमंडल में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। महोदय, इस पूरे विधानसभा में, मतलब सदन के अंदर एकमात्र ऐसा विधानसभा पालीगंज है जहाँ पर कोई सरकारी कॉलेज नहीं है। सरकार ने पहले आश्वासन दिया कि हम करवायेंगे और वहाँ नहीं करवाया जा रहा है ।

सभापति (श्री श्याम रजक) : क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहेंगे ?

श्री संदीप सौरभ : नहीं महोदय, हम वापस कैसे लेंगे? वापस लेने की बात नहीं है। सारी जगह पर होगा और यहाँ पर क्यों नहीं होगा?

सभापति (श्री श्याम रजक) : क्या आप अपना प्रस्ताव वापस लेना नहीं चाहते हैं ?

श्री संदीप सौरभ : नहीं ।

सभापति (श्री श्याम रजक) : ठीक है, मैं इसे सदन के समक्ष रखता हूँ।

श्री संदीप सौरभ : महोदय, सरकार ने जब आश्वासन दिया तो उसको करना चाहिए था । दोनों ब्लॉक में, अनुमंडल में डिग्री कॉलेज नहीं होगा, यह कहाँ से होगा? सब जगह नियम चल रहा है, यहाँ के लिए अलग नियम बनाया जा रहा है। दो कॉलेज तो उसमें है नहीं...

(व्यवधान)

सभापति (श्री श्याम रजक) : बैठ जाइये । मंत्री जी खड़े हैं ।

श्री संजय सिंह 'टाईगर', मंत्री : माननीय सदस्य ठीक से समझ नहीं पाये थे। सरकार ने कहा था कि हम डिग्री कॉलेज विहीन जो प्रखंड है, वहाँ बनायेंगे। मैंने तो गिनवा दिया कि जिस प्रखंड का इन्होंने उल्लेख किया है, वहाँ पहले से डिग्री कॉलेज है। इसलिए नया बनाने का कोई विचाराधीन प्रस्ताव नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट उत्तर है ।

(व्यवधान)

सभापति (श्री श्याम रजक) : क्या आप अपने प्रस्ताव को वापस लेना चाहेंगे ?

श्री संदीप सौरभ : महोदय, कानून की गलत व्याख्या कर रहे हैं लोग । वित्त रहित कॉलेज को लेकर सरकार का कुछ है नहीं...

सभापति (श्री श्याम रजक) : ठीक है, मैं इसे सदन के समक्ष रखता हूँ।

प्रश्न यह है कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पटना जिलान्तर्गत पालीगंज अनुमंडल का मुख्यालय पालीगंज, जो कि 23 पंचायतों और एक नगर पंचायत का प्रखंड है, साथ ही दुल्हिनबाजार प्रखंड, जहाँ कोई सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं है, डिग्री कॉलेज की स्थापना करावे ।''

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

<u>क्रमांक–29 : श्री विनय कुमार चौधरी, स॰वि॰स॰</u>

श्री विनय कुमार चौधरी : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह राज्य में सफाई कर्मी को कुशल मजदूर की तरह इनको भी मजदूरी दिलावे ।''

सभापति (श्री श्याम रजक) : माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग ।

श्री नीतीश मिश्रा, मंत्री : सभापति महोदय, उल्लेखनीय है कि श्रम संसाधन विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना के आलोक में एजेंसियों द्वारा सफाई कर्मी को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु विभागीय पत्रांक 3333, दिनांक 6 सितंबर, 2025 से सभी नगर निकायों को मार्गदर्शन निर्गत है।

अतः माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना संकल्प वापस ले लें।

श्री विनय कुमार चौधरी : महोदय, मैं यह कहाँ कह रहा हूँ कि उनको पैसा नहीं मिल रहा है । मेरा यह कहना है कि उनको अभी अकुशल मजदूर की भांति पैसा मिलता है। जबकि सफाई कर्मी से ज्यादा कुशल कोई भी मजदूर नहीं हो सकता है । जिस तरह से वह एक या दो दिन अगर स्ट्राइक पर हो जाते हैं तो हम लोगों शहर में चलने लायक स्थिति में नहीं रहते हैं। वह सारी गंदगी को उठाकर के ले जाता है। वैसी स्थिति में मैं मंत्री महोदय से आग्रह करता हूँ कि निश्चित रूप से यह बहुत ही संवेदनशील मामला है। जो व्यक्ति उतनी गंदगी को उठाता है, सारा का सारा कूड़ा–कचरा हम लोगों का, जो हम लोग फेंक देते हैं, वह उसको उठाता है और उसको अगर हम कुशल श्रेणी में नहीं करते और सवेरे–सवेरे अभी सरकार का जो नियम हुआ है सीटी बजा कर कितना ढंग से वह सफाई करता है और डोर–टू–डोर ले जाकर के सफाई करता है। पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के शासनकाल में वह निर्णय हुआ था और अब पूरे ग्रामीण क्षेत्र में भी यह हो रहा है। इसलिए मेरा आग्रह है कि इस पर सरकार निश्चित रूप से विचार करके ये लोग जो हमारा काम सबसे बढ़िया

ढंग से करते हैं, उसको कुशल श्रेणी के मजदूर में उनको मजदूरी मिलनी चाहिए। मेरा यह नहीं कहना है कि उनको मजदूरी नहीं मिलती है, एजेंसी के द्वारा मिलती है। लेकिन एजेंसी उनको कुशल मजदूर के श्रेणी में नहीं मजदूरी दे रही है। यह मेरा आग्रह है।

सभापति (श्री श्याम रजक) : क्या आप अपना प्रस्ताव वापस लेना चाहेंगे ?

श्री विनय कुमार चौधरी : महोदय, प्रस्ताव तो वापस लेंगे । हम लोग सरकारी खेमा में हैं, हम लोग तो वैसे ही प्रस्ताव वापस करेंगे। लेकिन आप भी हमारे इस मुद्दे से निश्चित रूप से संवेदनशील होंगे, इसलिए मेरा आपसे भी आग्रह है कि आप मंत्री जी से आग्रह कर लें कि इस पर विचार करें। मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

सभापति (श्री श्याम रजक) : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक–30 : श्री अरूण कुमार सिंह, स॰वि॰स॰</u>

श्री अरूण कुमार सिंह : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मुजफ्फरपुर जिला के मोतीपुर से साहेबगंज से राजापट्टी तक रेल मार्ग का निर्माण हेतु रेल मंत्रालय भारत सरकार से सिफारिश करे ।''

सभापति (श्री श्याम रजक) : माननीय मंत्री, परिवहन विभाग ।

श्री दामोदर रावत, मंत्री : सभापति महोदय, मुजफ्फरपुर जिला के मोतीपुर से साहेबगंज से राजापट्टी तक रेल मार्ग का निर्माण हेतु रेल मंत्रालय, भारत सरकार से यह सभा अनुशंसा करती है।

सभापति (श्री श्याम रजक) : माननीय मंत्री जी के सकारात्मक उत्तर के बाद सदन की सहमति से प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अरूण कुमार सिंह : बहुत–बहुत धन्यवाद ।

<u>क्रमांक–31 : श्री अखतरूल ईमान, स॰वि॰स॰</u>

श्री अखतरूल ईमान : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह किशनगंज शहर में एकमात्र मैदान रुईधासा का मैदान है, जहां राजनीतिक, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक सभाओं का आयोजन होता रहा है । इसी एक मैदान में शहर के बच्चों के खेल–कूद तथा महिलाओं एवं बुजुर्गों के (Morning walk) का स्थल है, किंतु यह मैदान अब भारतीय सेना के अधीन है और इस समय उक्त मैदान में सेना की गतिविधि से आम नागरिकों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया है।

अतः इस मैदान के बदले जिला के अन्दर किसी दूसरे स्थान पर सेना को इतनी भूमि उपलब्ध कराने हेतु सरकार उचित पहल करावे ।''

सभापति (श्री श्याम रजक) : माननीय मंत्री, गृह विभाग।

डॉ0 दिलीप कुमार जायसवाल, मंत्री : सभापति महोदय, गृह विभाग को स्थानांतरित किया गया है।

सभापति (श्री श्याम रजक) : ठीक है, अभी माननीय मंत्री जी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इसको पेंडिंग रखते हैं।

श्री अखतरूल ईमान : सभापति महोदय, अभी डबल इंजन की नहीं ट्रिपल इंजन की सरकार है । राजस्व मंत्री जो हमारे हैं, वह किशनगंज से हैं और यह मैदान समझिए वह सांस की नली है। गांधी मैदान की स्थिति है किशनगंज के लिए, एकमात्र मैदान जिला में हमारा है।

सभापति (श्री श्याम रजक) : माननीय गृह मंत्री को यह गैर सरकारी संकल्प हस्तांतरित है। गृह मंत्री जी अभी सदन में नहीं है इसलिए इसको पेंडिंग रखा जाता है ।

श्री अखतरूल ईमान : महोदय, सक्षम सरकार तो किसी को भी जवाब दे सकती है । हमारे दो–दो उप मुख्यमंत्री यहाँ पर हैं। सर, वह कराया जाये, यह बहुत अहम मामला है । किशनगंज, पूरा शहर सांस नहीं ले पायेगा । इसका उत्तर दिलवा दिया जाये ।

सभापति (श्री श्याम रजक) : बाद में इसको रखा जाएगा । आपको जवाब मिल जाएगा ।

श्री अखतरूल ईमान : महोदय, राजस्व मंत्री यहां है ।

श्री विजय कुमार चौधरी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, सरकार जिला पदाधिकारी को निर्देश देगी। माननीय सदस्य से बात करके वहाँ आम लोगों को अगर कोई कठिनाई हो रही है तो उसके निदान की व्यवस्था करेगी। इसलिए अभी माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना प्रस्ताव वापस लें।

श्री अखतरूल ईमान : महोदय, मैं एक बात सिर्फ कहूंगा मंत्री जी से । मैं अपना प्रस्ताव वापस ले लूँगा । आपके निदेश का पालन करूंगा । महोदय, एक गंभीर मसला है ।

(क्रमशः)

टर्न–14 / हेमन्त / 24.07.2026

श्री अखतरूल ईमान : सभापति महोदय, मसला यह है कि हमारा इलाका सामरिक दृष्टिकोण से बड़ा संवेदनशील है। जो वहां गतिविधि है, उसको हम डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे हैं।

सभापति (श्री श्याम रजक) : माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट उत्तर दिया है।

श्री अखतरूल ईमान : उतनी जमीन दूसरी जगह दिलवा दी जाय और भूमि सुधार मंत्री हमारे वहां के हैं। इसलिए वह दिला सकते हैं, यह करवा दिया जाय।

सभापति (श्री श्याम रजक) : क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहेंगे ?

श्री अखतरूल ईमान : जी सर।

सभापति (श्री श्याम रजक) : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ।

क्रमांक–32 : श्री कुमार सर्वजीत, स0वि0स0

श्री कुमार सर्वजीत : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह गयाजी जिला के फतेहपुर प्रखण्ड में ग्राम पंचायत चरोखरी अन्तर्गत तेतरीया गणीपिपरा पथ से बन्दरा सड़क में आमजनों की सुविधा हेतु पुल का निर्माण करावे।''

सभापति (श्री श्याम रजक) : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि फतेहपुर प्रखंड के अंतर्गत ग्राम बनरा के सामने पैमार नदी पर पुल का निर्माण के नाम से बोधगया विधान सभा के क्रमांक–11 पर अंकित है। इस पुल के निर्माण हेतु अग्रेतर कार्रवाई निधि की उपलब्धता, प्राथमिकता के तौर पर हम लोग करेंगे।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस ले लें।

श्री कुमार सर्वजीत : हुजूर, सिर्फ एक आग्रह करेंगे कि यहां पर दो पुल थे। दुन्दू बगई एक पुल है और एक यह पुल है। बिहार में वही एक जगह है, जहां पर बिरहौर जाति के लोग रहते हैं। महोदय, यह आदिवासी जाति है, बिरहौर जाति। कुमार रवि वहां कलेक्टर थे, उस समय माननीय पूर्व मुख्यमंत्री ने आदेश दिया था कि बिरहौर जाति को बचाने के लिए हर हालत में इन दो नदियों पर पुल बनना चाहिए। महोदय, अभी एक तारांकित प्रश्न किये थे, उसमें से एक ब्रिज का...

सभापति (श्री श्याम रजक) : संक्षिप्त कीजिए।

श्री कुमार सर्वजीत : महोदय, एक मिनट। महोदय, उसमें से एक ब्रिज का टेंडर हो गया था, लेकिन तारांकित में जवाब मिला, टेंडर होने के बाद, जो हमने रखा था कि वह टेंडर कैंसिल हो गया है, टेंडर होने के बाद भी उसमें यही लिखा गया कि राशि की उपलब्धता। इसमें भी यही लिखा गया है राशि की उपलब्धता। महोदय, बिरहौर जाति विलुप्त हो गयी है, बिहार में सिर्फ उसी जगह पर बची है। तो हम आग्रह करेंगे कि इसकी जानकारी लेकर, समीक्षा करके, महोदय, छोटा सा यह पुल है, कोई 10 करोड़ का यह ब्रिज नहीं है, 70–80 लाख में, 1 करोड़ के अंदर यह ब्रिज बन जायेगा। हम आग्रह करेंगे कि इनको बनवा दिया जाय। मैं प्रस्ताव वापस लेता हूं।

सभापति (श्री श्याम रजक) : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ।

क्रमांक–33 : श्रीमती मीना कुमारी, स0वि0स0

श्रीमती मीना कुमारी : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मधुबनी जिला के बाबूबरही प्रखण्ड के कमला बलान एवं सोनी नदी के त्रिवेणी संगम के पिपरा घाट को पर्यटन स्थल के रूप में आधुनिक सारी सुविधाओं के साथ विकसित करावे।''

सभापति (श्री श्याम रजक) : माननीय मंत्री, पर्यटन।

श्री केदार प्रसाद गुप्ता, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि जिला पदाधिकारी मधुबनी के पत्रांक 959, दिनांक 21.07.2026 के द्वारा विहित प्रपत्र के उत्तर प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है, परंतु विहित प्रपत्र में पर्यटकों की संख्या अंकित नहीं की गयी है और न ही यह स्पष्ट किया गया है कि उक्त मेला वर्ष में एक बार लगता है या कई बार। साथ ही, जो भी भूमि की विवरणी दी गयी है, अधिकांशतः रैयती प्रकृति की भूमि है। अतः जिलाधिकारी, मधुबनी से पुनः विहित प्रपत्र में स्पष्ट प्रतिवेदन मंतव्य के साथ मांगा गया है। प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात निधि की उपलब्धता के आधार पर अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

अतः माननीय सदस्या से अनुरोध है कि संकल्प को वापस लेने की कृपा की जाय।

श्रीमती मीना कुमारी : माननीय सभापति महोदय, दिनांक 24.10.2024 को, उस समय के माननीय तत्कालीन पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा जी थे। उनके द्वारा भी...

सभापति (श्री श्याम रजक) : माननीय मंत्री जी ने स्थिति स्पष्ट कर दी है।

श्रीमती मीना कुमारी : महोदय, हमको दो लाइन बोल लेने दीजिए, उसके बाद तो वापस लेना ही है। तो उस समय भी मंत्री जी आग्रह किये थे, वह हमारे जिला के ही हैं। वहां पर कार्तिक पूर्णिमा के समय मेला लगता है और लाखों की संख्या में वहां श्रद्धालु रहते हैं। वहां स्नान, मुंडन और आदि संस्कारों के लिए लोग आते हैं। इसलिए आग्रह होगा कि उसको गंभीरता से लेकर विभाग को आदेश दे और इसी के साथ मैं अपना संकल्प वापस लेती हूं।

सभापति (श्री श्याम रजक) : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ।

क्रमांक–34 : श्री रजनीश कुमार, स0वि0स0

श्री रजनीश कुमार : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बेगूसराय जिला अन्तर्गत सिमरीया में गंगा नदी पर बने सिक्स लेन ऐलिवेटेड पुल का नामकरण राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के नाम से राष्ट्रकवि दिनकर सेतु करने की सिफारिश केन्द्र सरकार से करे।''

सभापति (श्री श्याम रजक) : माननीय मंत्री, पथ निर्माण।

श्री कुमार शैलेन्द्र, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत सिमरिया में गंगा नदी पर बने 6 लेन एलिवेटेड पुल औंटा सिमरिया सेतु है। जिसका निर्माण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया गया है। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हृदय से आभार व्यक्त करते हैं महोदय। प्रश्नगत पुल का नामकरण राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के नाम से राष्ट्रकवि दिनकर सेतु करने हेतु परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई बेगूसराय के पत्रांक 1048, दिनांक 20.07.2026 द्वारा क्षेत्रीय पदाधिकारी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को अग्रेतर कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

अतः माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना प्रस्ताव वापस लें।

श्री रजनीश कुमार : सभापति महोदय, मेरा प्रस्ताव यह है राज्य सरकार केंद्र सरकार से प्रस्ताव करे, सिफारिश भेजे। यह विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना, यह विभाग क्या किया है, मुझे नहीं पता महोदय, माननीय मंत्री जी बता रहे हैं। लेकिन मेरा प्रस्ताव है कि राज्य सरकार राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के नाम पर इस पुल को करने के लिए प्रस्ताव राज्य की ओर से जाना चाहिए। यह राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का, जो नाम है, यह बिहार के लिए गौरव का विषय होगा कि उस पुल का नामकरण, चूंकि उस पुल का एक भाग उनके गांव, उनकी जन्मभूमि में पड़ता है। इसलिए यह मेरा प्रस्ताव है कि राज्य सरकार इस प्रस्ताव को केंद्र को भेजे।

सभापति (श्री श्याम रजक) : माननीय मंत्री जी ने सकारात्मक जवाब दिया है।

श्री रजनीश कुमार : महोदय, माननीय मंत्री जी इस पर कुछ कहें। महोदय, यह कहें कि राज्य सरकार की तरफ से जाना चाहिए अभिस्ताव। यह तो उसकी केंद्रीय एजेंसी है।

श्री कुमार शैलेन्द्र, मंत्री : महोदय, मैं सदस्य की भावना से अवगत हूं और हम लोग समीक्षोपरांत यह प्रस्ताव भेज देंगे।

सभापति (श्री श्याम रजक) : माननीय मंत्री जी के सकारात्मक उत्तर के बाद सदन की सहमति से प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री रजनीश कुमार : महोदय, एक मिनट। महोदय, अच्छी बात तो यह होती माननीय मंत्री बोलते...

सभापति (श्री श्याम रजक) : माननीय सदस्य श्री प्रमोद कुमार सिंह।

श्री रजनीश कुमार : महोदय, मैंने वापस नहीं लिया है।

सभापति (श्री श्याम रजक) : वापस नहीं हुआ, यह स्वीकृत हो गया है।

श्री रजनीश कुमार : नहीं, महोदय, मुझे एक मिनट चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छी बात यह होती...

सभापति (श्री श्याम रजक) : प्रस्ताव स्वीकृत हो गया है।

श्री रजनीश कुमार : कि माननीय मंत्री इसे स्वीकार करते कि हम सिफारिश करेंगे।

सभापति (श्री श्याम रजक) : यह स्वीकृत हो चुका है।

श्री रजनीश कुमार : और रामधारी सिंह दिनकर के नाम पर यह ब्रिज होना है महोदय।

सभापति (श्री श्याम रजक) : माननीय सदस्य श्री प्रमोद कुमार सिंह।

श्री रजनीश कुमार : सरकार यह कह दे कि हम इसकी सिफारिश करेंगे। महोदय, हम तो यही आग्रह कर रहे हैं। इसमें समीक्षा करने का क्या विषय है।

सभापति (श्री श्याम रजक) : माननीय श्री प्रमोद कुमार सिंह।

क्रमांक–35 : श्री प्रमोद कुमार सिंह, स0वि0स0

श्री प्रमोद कुमार सिंह : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह औरंगाबाद जिलान्तर्गत रफीगंज–ओबरा मुख्य मार्ग पर स्थित अब्दुलपुर रेलवे अंडरपास की ऊँचाई और चौड़ाई अपर्याप्त रहने के कारण आवागमन में हो रहे कठिनाइयों के मद्देजनर उच्चीकरण एवं चौड़ीकरण हेतु रेलवे मंत्रालय भारत सरकार से सिफारिश करावे।''

सभापति (श्री श्याम रजक) : माननीय मंत्री पथ निर्माण।

श्री कुमार शैलेन्द्र, मंत्री : महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि औरंगाबाद जिला अंतर्गत रफीगंज ओबरा मुख्य मार्ग पर स्थित अब्दुलपुर रेलवे अंडरपास की ऊंचाई एवं चौड़ाई अपर्याप्त रहने के मद्देनजर, ऊंचीकरण एवं चौड़ीकरण विभागीय पत्रांक 4927 एस. डब्ल्यू. ई., दिनांक 18.7.2026 द्वारा पूर्व मध्य रेलवे से अनुरोध किया गया महोदय।

अतः माननीय सदस्य आग्रह है कि वे अपना संकल्प वापस लें।

सभापति (श्री श्याम रजक) : माननीय सदस्य क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहेंगे ?

श्री प्रमोद कुमार सिंह : जी, मैं वापस लेता हूं।

सभापति (श्री श्याम रजक) : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ।

क्रमांक–36 : श्री विनोद नारायण झा, स0वि0स0

श्री विनोद नारायण झा : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मधुबनी जिला अवस्थित बेनीपट्टी प्रखण्ड के ब्रह्मपुरा पंचायत अन्तर्गत ओकली ग्राम के किसानों को कृषि कार्य सहित अन्य कार्यों हेतु बरसात के कारण साल के तीन महीने ज्यादा दूरी तय कर नदी के पार करने के कारण इनके हितों को ध्यान में रखते हुए ओकेली में बछराजा नदी पर एक पुल का निर्माण करावे।''

टर्न–15 / संगीता / 24.07.2026

सभापति (श्री श्याम रजक) : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि जहां पर पुल मांगा जा रहा है, वहां एक उच्च स्तर के अपस्ट्रीम में 850 मीटर पर एक पुल पूर्व से निर्धारित है और जिला संचालन समिति की प्राथमिकता सूची में यह शामिल भी नहीं है । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लें और प्राथमिकता की सूची में अगर आप भिजवाते हैं संचालन समिति से तो उस पर जरूर विचार करेंगे । फिलहाल आप इसे वापस लेने की कृपा करेंगे ।

सभापति (श्री श्याम रजक) : माननीय मंत्री जी ने स्थिति स्पष्ट कर दी है । क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री विनोद नारायण झा : सभापति महोदय, इतनी बेरूखी क्यों है ? लोग सालों भर चचरी बनाकर जन सहयोग से करते हैं और...

श्री सुनील कुमार, मंत्री : ये सूची में भेजें हमने तो कहा ही है ।

श्री विनोद नारायण झा : इन्होंने कहा है कि मैं प्रस्ताव भिजवा दूंगा । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

सभापति (श्री श्याम रजक) : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–37 श्री गोपाल कुमार अग्रवाल, स0वि0स0

श्री गोपाल कुमार अग्रवाल : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि ''वह बिहार प्रदेश के सीमांचल के चार जिले किशनगंज, अररिया, पूर्णिया एवं कटिहार में बसने वाले आर्थिक एवं शैक्षणिक तौर पर पिछड़े सुरजापुरी मुस्लिम समाज को अत्यंत पिछड़ा वर्ग की सूचि में शामिल करते हुये आरक्षण प्रदान करे'' ।

सभापति (श्री श्याम रजक) : माननीय मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग ।

श्रीमती लेशी सिंह, मंत्री : सभापति महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि बिहार राज्य हेतु परिचारित पिछड़े वर्गों की सूची, अनुसूचि–2 के क्रमांक–43 पर सुरजापुरी मुस्लिम दर्ज है । किशनगंज, अररिया, पूर्णिया एवं कटिहार जिलों के सुरजापुरी मुस्लिम को उनके सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर ही पिछड़ा वर्ग अनुसूचि–2 के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है । जिसके अधीन अनुसूचि–2 के अन्य जातियों के समान इन्हें राज्याधीन सेवाओं में 12 प्रतिशत आरक्षण के अंतर्गत आरक्षण एवं अन्य सुविधाएं अनुमान्य हैं । जहां तक सुरजापुरी मुस्लिम जाति को अति पिछड़े वर्गों की सूची अनुसूचि–1 में शामिल करने का प्रश्न है तो इस संबंध में उल्लेखनीय है कि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक संख्या–14218, दिनांक–06.09.2024, विभागीय पत्रांक–5314, दिनांक–24.03.2025, एवं विभागीय स्मार पत्र संख्या–24228 दिनांक– 31.012.2025 द्वारा सुरजापुरी मुस्लिम जाति को अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची, अनुसूचि–1 में शामिल करने हेतु मार्गदर्शन उपलब्ध कराने का अनुरोध अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना से अनुरोध किया गया है । जिसके आलोक में अति पिछड़े वर्गों के राज्य आयोग, बिहार, पटना के पत्रांक–11, दिनांक–07.01.2026 द्वारा माननीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में दिनांक–11.12.2025 को आयोजित बैठक में राज्य के सीमांचल में सुरजापुरी मुसलमानों को पिछड़ा वर्ग से अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची अनुसूचि–1 में शामिल करने के मामले में आयोग स्तर के सर्वेक्षण एवं अध्ययन के उपरांत कार्रवाई किए जाने का निर्णय लिये जाने के संबंध में सूचना प्रेषित की गई है । उक्त संबंध में सुस्पष्ट मंतव्य सहित प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार

कार्रवाई की जाएगी । मैं माननीय सदस्य से आग्रह करना चाहूंगी कि वे अपना संकल्प वापस लें ।

सभापति (श्री श्याम रजक) : क्या माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री गोपाल कुमार अग्रवाल : सभापति महोदय, यह समाज सीमांचल में सिर्फ शैक्षणिक ही पिछड़ा नहीं है...

सभापति (श्री श्याम रजक) : क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री गोपाल कुमार अग्रवाल : सभापति महोदय, एक मिनट । और ये जो है आर्थिक दृष्टिकोण से भी पिछड़ा है । पूरी सरकारी नौकरी में प्वाइंट 2 परसेंट भी इसकी भागीदारी नहीं है । इसके 20 पुस्त उसी मिट्टी में मिले हैं और विडंबना यह है कि पिछली सरकार ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए जो लोग 30 साल–20 साल पहले...

सभापति (श्री श्याम रजक) : क्या आप अपना प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ?

श्री गोपाल कुमार अग्रवाल : सभापति महोदय, बस एक मिनट सभापति महोदय । जो लोग 20 साल और 30 साल पहले मालदा–मुर्शिदाबाद के नाम पर आकर बसे हैं उनको आरक्षण दे दिया है ई0बी0सी0 के दर्जा में, लेकिन जिनका हक था, नतीजा क्या है जो बाहर से लोग आए हैं उनके बच्चे आज सरकारी नौकरी पा रहे हैं आरक्षण कोटा से, बेटा भी, बेटी भी...

सभापति (श्री श्याम रजक) : आप अपना प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ? इसको लंबा मत कीजिए ।

श्री गोपाल कुमार अग्रवाल : मैं खत्म कर रहा हूं सर । ये समाज ग्रैजुएशन करके दिल्ली में जाकर बैरा का काम कर रहा है और वह फोकानिया का डिग्री लेकर मास्टर का काम कर रहा है । इनकी नौकरी गई, इनके पंचायती राज का पद गया...

सभापति (श्री श्याम रजक) : क्या आप अपना प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ?

श्री गोपाल कुमार अग्रवाल : मेरा आग्रह है कि प्रस्ताव जल्दी से जल्दी मंगाकर और इसको जल्दी से इनको आरक्षण देने का अति पिछड़ा में शामिल करने का काम करें, यह मेरा आग्रह है । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

सभापति (श्री श्याम रजक) : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस किया जाता है ।

(व्यवधान)

श्री अखतरूल ईमान : सभापति महोदय, सुरजापुर की हालत बहुत खराब है...

(व्यवधान)

सभापति (श्री श्याम रजक) : नहीं, नहीं, यह डिबेट नहीं हैं । आपने प्रस्ताव दिया सहमति, न सहमति की बात है ।

क्रमांक–38 श्री बैद्यनाथ प्रसाद, स0वि0स0

श्री बैद्यनाथ प्रसाद : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह रीगा विधानसभा क्षेत्र में पदस्थापित केंद्रीय कर्मियों के बच्चों सहित स्थानीय बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए केंद्र सरकार से सिफारिश करे'' ।

सभापति (श्री श्याम रजक) : माननीय मंत्री ।

श्री मिथिलेश तिवारी, मंत्री : सभापति महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन के कार्यालय ज्ञाप अंतर्गत नए केंद्रीय विद्यालय स्थापित किए जाने का प्रावधान है । इसमें नए केंद्रीय विद्यालय स्थापित किए जाने हेतु जिला को इकाई माना गया है । इसी विधान सभा क्षेत्र को इकाई मानकर नया केंद्रीय विद्यालय स्थापित किए जाने का प्रावधान नहीं है । केंद्रीय विद्यालय संगठन के ज्ञाप के अनुसार असैन्य क्षेत्र में नए केंद्रीय विद्यालय की स्थापना हेतु अनिवार्य प्रावधान अंतर्गत केंद्रीय कर्मियों, सैन्य एवं असैन्य कर्मी केंद्रीय स्वायत्त संस्था के कर्मी, केंद्रीय लोक उपक्रम, केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थान के न्यूनतम 500 संख्या होना आवश्यक है । सीतामढ़ी जिला अंतर्गत जवाहर नगर में पूर्व से एक केंद्रीय विद्यालय का संचालन हो रहा है । वर्ष 2025 में एस0एस0बी0, सीतामढ़ी के अंतर्गत एक नवीन केंद्रीय विद्यालय की स्थापना की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई है । रीगा विधान सभा क्षेत्र में नवीन केंद्रीय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव भेजा जाना विचाराधीन नहीं है । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना प्रस्ताव वापस लें ।

श्री बैद्यनाथ प्रसाद : माननीय सभापति महोदय, अगर प्रस्ताव विचाराधीन रहता तो मुझे यहां लाना नहीं पड़ता नंबर एक, नंबर दो माननीय मंत्री जी जब इस मोहल्ले में थे तब तो उदारता का परिचय देते थे...

सभापति (श्री श्याम रजक) : क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहेंगे ?

श्री बैद्यनाथ प्रसाद : महोदय, मुझे तर्कपूर्ण बात कहना है । महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के द्वारा जिन शर्तों की बात की गई है, सारी अहर्ता को पूरा करने वाले क्षेत्र का प्रस्ताव दिया हूं नंबर एक, नंबर दो रीगा, सुप्पी, मेजरगंज, बैरगनिया तमाम क्षेत्र में एस0एस0बी0 के लोग हैं, रेलवे के लोग हैं, कस्टम के लोग हैं, एक्साइज के लोग हैं, इस तरह से केंद्रीय कर्मियों का पर्याप्त संख्या जो 500 से अधिक है...

सभापति (श्री श्याम रजक) : क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहेंगे ?

श्री बैद्यनाथ प्रसाद : महोदय, संकल्प तो वापस लूंगा ही...

सभापति (श्री श्याम रजक) : क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री बैद्यनाथ प्रसाद : महोदय, एक बात कही जाती है लेना–देना कुछ नहीं, मोहब्बत एक चीज है । इसमें सरकार को करना क्या है ? सिंपली इतना कागज पर अनुशंसा कर देना है । इतना कर दें । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

सभापति (श्री श्याम रजक) : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–39 श्री रणविजय साहू, स0वि0स0

श्री रणविजय साहू : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि ''वह ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से पूर्व में संबद्ध इंदिरा गांधी राम जी राय महाविद्यालय मोरवा जिला समस्तीपुर को संबद्धता दिलावे''।

सभापति (श्री श्याम रजक) : माननीय मंत्री ।

श्री संजय सिंह टाईगर, मंत्री : सभापति महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि इंदिरा गांधी राम जी राय महाविद्यालय मोरवा जिला–समस्तीपुर को संबद्धता प्राप्त किए जाने संबंधी प्रस्ताव ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से प्राप्त नहीं है । अतः उक्त महाविद्यालय को संबद्धता प्रदान किए जाने हेतु विभाग स्तर पर मामला विचाराधीन नहीं है । इसलिए मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं कि वे अपना प्रस्ताव वापस लें ।

टर्न–16 / यानपति / 24.07.2026

श्री रणविजय साहू : सभापति महोदय, हम तो इतना ही अनुरोध कर रहे हैं कि सरकार का संकल्प है, प्रत्येक प्रखंड में डिग्री कॉलेज स्थापित हो।

सभापति (श्री श्याम रजक) : माननीय मंत्री जी ने साफ बात कही है।

श्री रणविजय साहू : महोदय, 18 पंचायत का यह प्रखंड है और अपेक्षित है महोदय।

सभापति (श्री श्याम रजक) : ठीक है, माननीय मंत्री जी ने अपनी स्थिति स्पष्ट की है।

श्री रणविजय साहू : माननीय मंत्री जी से तो हम यही अनुरोध कर रहे हैं कि सरकार का जब संकल्प है तो मंत्री जी क्यों नहीं बनाना चाहते हैं इसको।

सभापति (श्री श्याम रजक) : क्या आप अपना प्रस्ताव वापस लेना चाहेंगे ?

श्री रणविजय साहू : महोदय, हम प्रस्ताव तो वापस लेंगे ही लेकिन इसको स्वीकार किया जाय।

सभापति (श्री श्याम रजक) : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ।

क्रमांक–40 : श्री कृष्ण कुमार ऋषि, स0वि0स0

श्री कृष्ण कुमार ऋषि : अध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बनमनखी प्रखण्ड अंतर्गत, हरिमुढ़ी पंचायत के रसाढ़ से बोतल टोला को जोड़ने वाली पथ बोतल टोला घाट पर एवं गंगापुर पंचायत के मेहता टोला से भित्ता टोला को

जोड़ने वाली पथ कोशी क्रांति नदी पर सुगम आवागमन हेतु पुल का निर्माण करावे।''

श्री सुनील कुमार, मंत्री : महोदय, उक्त स्थल पर पुल मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना अंतर्गत जिला संचालन समिति द्वारा अनुशंसित पुलों की प्राथमिकता सूची के क्रमांक–41 पर अंकित है और निधि की उपलब्धता के आधार पर इसे हमलोग प्राथमिकता के तौर पर निर्माण करायेंगे। अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपने संकल्प को वापस लेने की कृपा करें।

श्री कृष्ण कुमार ऋषि : सभापति महोदय, कुछ बोलने नहीं दीजिएगा, वापस।

सभापति (श्री श्याम रजक) : यह डिबेट का विषय नहीं है।

श्री कृष्ण कुमार ऋषि : एक सेकंड तो बोलने दीजिए। अब इतना कह रहे हैं कि...

सभापति (श्री श्याम रजक) : क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री कृष्ण कुमार ऋषि : कल उपमुख्यमंत्री जी बोले हैं, कल वित्त मंत्री जी बोले कि पैसे की कमी नहीं है, अब मंत्री जी बोल रहे हैं कि निधि की उपलब्धता के कारण, कल ही बोले हैं।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : नहीं, तरीका यही है और जैसे–जैसे आएगा, आगे–पीछे करके तो होता ही है।

श्री कृष्ण कुमार ऋषि : तरीका हम भी जानते हैं मंत्री जी लेकिन आप निधि उपलब्धता बता रहे हैं, सरकार को आप ही मैसेज दे रहे हैं कि पैसा नहीं है, वापस तो लेना ही है।

सभापति (श्री श्याम रजक) : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ।

क्रमांक–41 : मो0 सरवर आलम, स0वि0स0

मो0 सरवर आलम : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह किशनगंज जिला के कोचाधामन विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत महीनगांव पंचायत के फुलवारी, दौला पंचायत के मनझोक, बलिया पंचायत के कदमगाछी, मजकुरी, पंचायत के वार्ड नंबर–9,10 एवं कैरीबीरपुर पंचायत के चैनपुर में महानंदा नदी एवं कनकई नदी के भीषण कटाव जारी रहने के कारण गांव का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है।

अतः वर्णित स्थानों पर मजबूत तटबंध (बाँध) अथवा जिओ बैग का निर्माण कार्य करावे'' ।

श्री विजय कुमार चौधरी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, वैसे तो जो सूचना आई है उसमें है कि कोई उस तरह का कटाव का नहीं है, नदी का जलस्तर ऊपर–नीचे होने के कारण किनारों का क्षरण हुआ है लेकिन माननीय सदस्य कह रहे हैं तो हम अधिकारी को भेज देंगे, इनसे भी बात कर लेगा, कटाव अगर हो रहा है तो उसके लिए जो आवश्यक कार्रवाई होगी वह की जायेगी, इसलिए माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना प्रस्ताव वापस लें।

मो0 सरवर आलम : माननीय मंत्री जी ने तो जवाब स्पष्ट कर दिया है...

सभापति (श्री श्याम रजक) : आप अपना प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ?

मो0 सरवर आलम : मंत्री जी को सिर्फ इतना कहना चाहता हूं दो वर्ड में कि महिनगांव में महानंदा नदी है वो कटाव करके उस गांव के लगभग पचासों एकड़ जमीन को खत्म कर दिया गया और जो बाढ़ आई थी उसमें कई घर, आदिवासी सड़कों पर निवास कर रहे हैं, उसका जरा दिखवा लिया जाय। मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं।

सभापति (श्री श्याम रजक) : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ।

क्रमांक–42 : श्री रामानन्द मंडल, स0वि0स0

श्री रामानन्द मंडल : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह लखीसराय जिला के सूर्यगढ़ा प्रखंड अन्तर्गत गोन्दरी पुल मानुचक से रसुलपुर बॉर्डर तक सड़क का निर्माण करावे।''

श्री सुनील कुमार, मंत्री : महोदय, रैनपुरा डाला तक के पथ की लंबाई 12.500 कि0मी0 का प्राक्कलन सुलभ संपर्कता योजना अंतर्गत तैयार कर लिया गया है, तदनुसार निधि की उपलब्धता के आधार पर इस सड़क की अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी। अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें।

श्री रामानन्द मंडल : माननीय मंत्री जी का बहुत–बहुत आभार। हम अपना प्रस्ताव वापस लेते हैं।

सभापति (श्री श्याम रजक) : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ।

क्रमांक–43 : श्री राहुल कुमार, स0वि0स0

श्री राहुल कुमार : मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह जहानाबाद जिले के रतनीफरीदपुर प्रखण्ड में एक 132/33 KVA GSS के निर्माण से जहानाबाद, अरवल और गयाजी जिले के विभिन्न क्षेत्र लाभान्वित होगें ।

अतः सरकार जहानाबाद जिले के रतनीफरीदपुर प्रखण्ड में एक 132/33 KVA GSS का निर्माण करावे।''

श्री शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल, मंत्री : सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य श्री राहुल कुमार जी को धन्यवाद देता हूं कि आप जहानाबाद, अरवल और गयाजी जिले के उपभोक्ता के सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक ग्रिड सब स्टेशन का डिमांड करने का काम किया है गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से। माननीय सदस्य की भावनाएं अपनी जगह बिल्कुल सही हैं लेकिन हमलोगों के विद्वान मंत्री आदरणीय विजय कुमार चौधरी जी लगातार हमलोगों को भी समझाते रहते हैं कि सरकार भावनाओं से नहीं चलती है बल्कि वह डाटा जो डाटा होता है, डाटा और आर्थिक उपयोगिता के आधार पर...

(इस अवसर पर माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

सरकार उसपर निर्णय लेने का काम करती है और जहांतक आपके जी0एस0एस0 की बात है उसमें स्पष्ट मैं आपको जानकारी दे देना चाहता हूं कि जो जहानाबाद ग्रिड उपकेंद्र से जो निर्बाध बिजली आपके क्षेत्र को दी जा रही है, उसमें 120 मेगावाट, दो 50 का और एक 20 एम0वी0ए0 का लगा हुआ है, और आपके क्षेत्र में इसकी जो खपत है वह मात्र 87 मेगावाट है। मतलब जितनी क्षमता है उसका मात्र 72 परसेंट ही आपकी खपत है, 27 परसेंट हमारी सरप्लस क्षमता उपलब्ध है। इसलिए चूंकि हमारे पास वर्तमान ग्रिड में ही पर्याप्त क्षमता बची है इसलिए करोड़ों रुपये खर्च करके तत्काल एक नया ग्रिड बनाना आर्थिक रूप से उचित नहीं होगा, वर्तमान ग्रिड से ही गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति हो रही है लेकिन महोदय, हमारी सरकार दूरदर्शी है, वह आज की बात नहीं कर रही है, हमारी सरकार 20 वर्ष, 30 वर्ष आगे की बात सोचते रहती है। चूंकि जो ऊर्जा विभाग है वह लगातार ये खपते बढ़ती जा रही हैं इसलिए लगातार चूंकि उस बढ़ते हुए खपत को देखते हुए चूंकि जो 20 मेगावाट का आपके यहां ट्रांसफॉर्मर है उसको हमलोग भविष्य में आपकी बढ़ती हुई उपभोक्ता का उसपर, उसको हमलोग 50 मेगावाट का करने का प्रस्ताव भी उसको दिए हुए हैं, इसलिए मैं चाहूंगा कि इनको तकनीकी तथ्यों के साथ मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि आप यह गैर सरकारी संकल्प वापस ले लेने की कृपा करें।

श्री राहुल कुमार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी को तो पहले 50 मेगावाट का एडिशनल ट्रांसफॉर्मर है, ग्रिड में उसको बढ़ाने के लिए जो उन्होंने अनुशंसा की है उसके लिए धन्यवाद, लेकिन महोदय, जी0एस0एस0 का निर्माण संचरण व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए होता है और आप जब जी0एस0एस0 बनायेंगे तो आम रूप से वहां पर जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ जाता है। अतः महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इसपर आगे निर्णय जरूर लें...

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी ने स्थिति स्पष्ट कर दी है।

श्री राहुल कुमार : इसपर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें।

उपाध्यक्ष : आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री राहुल कुमार : महोदय, मैं सिर्फ कह रहा हूं कि इसपर माननीय मंत्री जी एक बार विभाग में कह दें कि इसपर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे...

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। आप अपना संकल्प वापस ले लें।

श्री राहुल कुमार : महोदय, सिर्फ एक बार माननीय मंत्री जी कहें कि हमलोग इसपर विचार करेंगे। जो जरूरत है उसी हिसाब से करना है और कुछ नहीं महोदय, हम बस इतना ही चाहते हैं कि माननीय मंत्री जी आगे, जब इनको आवश्यकता पड़ेगी, विचार करेंगे। मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ।

क्रमांक–44 : मो0 कमरूल होदा, स0वि0स0

मो0 कमरूल होदा : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बिहार राज्य के सबसे कम साक्षरता दर वाले प्रखण्ड–पोठिया (जिला–किशनगंज) में सरकारी डिग्री कॉलेज का स्थापना करावे''।

श्री संजय सिंह ''टाइगर'', मंत्री : महोदय, प्रस्तुत संकल्प के प्रसंग में कहना है कि राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 के बजट अभिभाषण एवं सात निश्चय–3 के अंतर्गत राज्य के वैसे प्रखंड जहां पूर्व से महाविद्यालय संचालित नहीं है उन प्रखंडों में महाविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया है और स्थापित हो भी गए हैं महोदय।

(क्रमशः)

टर्न–17 / मुकुल / 24.07.2026

(क्रमशः)

श्री संजय सिंह 'टाईगर', मंत्री : और स्थापित हो भी गये हैं महोदय । वस्तुस्थिति यह है कि किशनगंज जिले के पोठिया प्रखंड में पूर्व से महात्मा गांधी मेमोरियल डिग्री कॉलेज, पोठिया एक संबद्धता प्राप्त महाविद्यालय के रूप में संचालित हो रहा है । वर्णित स्थिति में पोठिया प्रखंड में डिग्री महाविद्यालय खोलने का कोई भी मामला सरकार के विचाराधीन नहीं है । इसलिए मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वे अपना संकल्प वापस लें ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी ने स्थिति स्पष्ट कर दी है, आप अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री मो0 कमरूल होदा : उपाध्यक्ष महोदय, पूरे राज्य में साक्षरता में सबसे पिछड़ा जिला किशनगंज है और किशनगंज जिला के अंतर्गत सबसे पिछड़ा प्रखंड पोठिया है ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपना संकल्प वापस ले लीजिए ।

श्री मो0 कमरूल होदा : महोदय, 22 पंचायत हैं उसमें ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, सारी बातें माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट कर दी हैं ।

श्री मो0 कमरूल होदा : महोदय, एक बात सुना जाए । वह जो डिग्री कॉलेज वहां पर चल रही है वह पटना के एक डॉक्टर हैं, जो वहां पर जाकर के चाय बागान लगाये हुए हैं, सैकड़ों एकड़ में चाय बागान लगाये हुए हैं, आप वहां पर एक कोने में टेम्पोरेरी डिग्री कॉलेज चला रहे हैं महोदय, उसकी वजह से अगर वहां पर डिग्री कॉलेज...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : क्या आप अपना संकल्प वापस ले रहे हैं ?

श्री मो0 कमरूल होदा : मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक– 45 : श्री मोहम्मद मुर्शिद आलम, स०वि०स०

श्री मोहम्मद मुर्शिद आलम : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह अररिया जिलान्तर्गत NH-327 E से गलगलिया राष्ट्रीय उच्च पथ में जोकीहाट चौक के निकट फ्लाईओवर का निर्माण करावे।''

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री कुमार शैलेन्द्र, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अररिया जिलान्तर्गत एन0एच0–327ई अररिया से गलगलिया का हिस्सा है । अररिया से गलगलिया पथ का निर्माण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा वर्ष–2024 में पूर्ण किया जा चुका है एवं वाहनों का आवागमन सुचारू ढंग से चल रहा है । एन0एच0–327ई पर अवस्थित जोकिहाट के निकट फ्लाई ओवर निर्माण हेतु उपभागीय पत्रांक–651, दिनांक– 19.02.2026 के द्वारा क्षेत्रीय पदाधिकारी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, बिहार, पटना से अनुरोध किया जा चुका है । महोदय, मैं माननीय सदस्य से प्रस्ताव वापस लेने का आग्रह करता हूं ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी ने स्थिति स्पष्ट कर दी है । आप अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री मोहम्मद मुर्शिद आलम : उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ उच्च विद्यालय पी0एम0 श्री है, दूसरी तरफ कस्तुरबा है....

उपाध्यक्ष : मंत्री जी ने सारी बातें कह डाली हैं ।

श्री मोहम्मद मुर्शिद आलम : 13 जानें अब तक जा चुकी हैं और बड़ी परेशानी है, ठीक है दोबारा से रिमाइंडर कर दिया जाए । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक– 46 : श्री फैसल रहमान, स०वि०स०

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक– 47 : श्री विनय बिहारी, स०वि०स०

श्री विनय बिहारी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सेन्ट्रल रोड फण्ड भारत सरकार के माध्यम से बनने वाली बेतिया, मनुआपुल भाया योगापट्टी–नवलपुर–रत्वल पथ का निर्माण कार्य अधूरा है। लगभग 39 कि.मी. सड़क में 22 कि.मी. का निर्माण हो चुका है । लगभग 17 कि.मी. का निर्माण नहीं होने से यह सड़क उत्तर प्रदेश की सीमा से नहीं जुड़ पा रही है,

भारत सरकार ने पत्र दिया है कि उक्त अधूरी सड़क का निर्माण बिहार सरकार अपने स्तर से इस वित्तीय वर्ष में निर्माण करावे।''

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री विनय बिहारी : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त है । मैं समय को देखते हुए सीधा अपनी बात कह देता हूं –

''दिल दिया एतबार की हद थी, जान दिया तेरे प्यार की हद थी
मर गये हम खुली रही आंखें, ये तेरे इंतजार की हद थी ।''

उपाध्यक्ष महोदय, लोहिया जी ने कहा कि जिंदा कौम पांच साल का इंतजार नहीं करती, लेकिन ऊपर–नीचे अपनी सरकार है, फिर भी यह हाल हो गया।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप बैठ जाएं, मंत्री जी जवाब देंगे ।

श्री विनय बिहारी : उपाध्यक्ष महोदय,

''ऊपर–नीचे अपनी सरकार है फिर भी यह हाल हो गया,
और याचना करते–करते मुझे 14 साल हो गया है ।''
ऐसा कोई दर हुआ नहीं, जिस दर को मैंने छुआ नहीं

इसलिए आपके माध्यम से मंत्री जी से यह आग्रह करता हूं कि

''अपनी सहमति इस प्रस्ताव पर जता दीजिए,
और यह सड़क कब तक बनायेंगे यह बता दीजिए।''

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री कुमार शैलेन्द्र, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने उत्तर में स्पष्ट किया है और माननीय सदस्य पढ़ें भी हैं ये नवलपुर–रतवल चौक के कार्य को स्टैंडअलॉन योजना के अन्तर्गत स्वीकृति हेतु आंतरिक संसाधन की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर की जायेगी । महोदय, स्थिति एकदम स्पष्ट कर दी है । माननीय सदस्य को पूरा विस्तार से मैंने बताया है और जो आपकी भावना है वह मेरी भी भावना है, मैं आपका काम कर दूंगा आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा । मैं पहले भी कह चुका हूं, इसलिए आपसे आग्रह है कि अपना संकल्प वापस लें ।

श्री विनय बिहारी : मैं मंत्री जी को धन्यवाद देते हैं इसके लिए भी कि पहली बार किसी मंत्री के माध्यम से गैर सरकारी संकल्प का उत्तर भी मिला है । महोदय, मैं 16 साल से विधायक हूं लेकिन इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं और साथ ही साथ मैं आग्रह करता हूं कि जल्दी मेरा काम हो जाए । यह सड़क बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है । मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से संकल्प वापस हुआ ।

माननीय सदस्यगण, आज के लिए निर्धारित कार्यों के समापन होने तक सदन की सहमति से बैठक की अवधि विस्तारित की जाती है ।

क्रमांक– 48, श्री गौतम कृष्ण, स०वि०स०

श्री गौतम कृष्ण : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सहरसा जिला के महिषी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पंचगछिया रेलवे स्टेशन महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है, जहाँ से प्रतिदिन हजारों यात्री पटना एवं राज्य के अन्य भागों की यात्रा करते हैं। वर्तमान में 15509 राज्यरानी एक्सप्रेस (ललितग्राम–पटना) का पंचगछिया रेलवे स्टेशन पर ठहराव नहीं होने के कारण क्षेत्र के विद्यार्थियों नौकरीपेशा के लोगों, व्यवसायियों, मरीजों एवं आम यात्रियों को अत्यधिक कठिनाइयों का निदान हेतु प्राथमिकता के आधार पर 15509 राज्यरानी एक्सप्रेस (ललितग्राम–पटना) को सहरसा जिला के पंचगछिया रेलवे स्टेशन पर नियमित ठहराव हेतु रेल मंत्रालय से सिफारिश करे।''

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, परिवहन विभाग ।

श्री दामोदर रावत, मंत्री : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्यरानी एक्सप्रेस (ललितग्राम–पटना) का सहरसा जिला के महिषी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत पंचगछिया रेलवे स्टेशन पर नियमित ठहराव कराने हेतु रेल मंत्रालय, भारत सरकार से यह सभा अनुशंसा करती है।

श्री गौतम कृष्ण : मंत्री जी को बहुत–बहुत धन्यवाद क्योंकि लाखों लोगों का इससे कल्याण है इससे बहुत लोगों को सुविधा होगी । बहुत–बहुत धन्यवाद ।

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी के सकारात्मक उत्तर के बाद आप अपना प्रस्ताव वापस लें ।

श्री गौतम कृष्ण : मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से संकल्प स्वीकृत हुआ ।

क्रमांक– 49, श्री मो0 तौसीफ आलम, स०वि०स०

श्री मो0 तौसीफ आलम : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह किशनगंज जिलान्तर्गत बहादुरगंज टेढागाच्छ एंव दिघलबैंक प्रखण्ड में बिजली की आपूर्ति 24 घंटे में मात्र 7 या 8 घंटे तक हो रहा है, भीषण गर्मी को देखते हुए उक्त जिला एवं प्रखण्डों में 22 में 20 घंटे बिजली की आपूर्ति करावे।''

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, ऊर्जा विभाग ।

श्री शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य श्री मो० तौसीफ आलम जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने किशनगंज जिले के बहादुरगंज टेढागाच्छ एवं दिघलबैंक प्रखंडों की जनता का और भीषण गर्मी में उनकी सुविधा से जुड़े संकल्प का काम सदन में किया है । उपाध्यक्ष महोदय, पूरे सम्मान के साथ मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि 24 घंटे में मात्र 7 या 8 घंटे बिजली मिलने की बात तथ्यपरक रूप से सही नहीं है । हो सकता है कि किसी स्थानीय फॉल्ट जैसे आंधी, तूफान या तार गिरना या लोकल ब्रेक डाउन

के कारण किसी विशेष दिन या किसी विशेष मुहल्ले में इस तरह की आपूर्ति बाधित रही हो मैं इसे मानता लेकिन पूरे प्रखंड की औसत आपूर्ति बिजली 7 या 8 घंटे नहीं मानी जा सकती है ।

(क्रमशः)

टर्न–18 / सुरज / 24.07.2026

(क्रमशः)

श्री शैलेश कुमार उर्फ बूलो मंडल, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो मांग किये हैं 20 से 22 घंटा बिजली रहनी चाहिये । मुझे यह बताते हुये बहुत खुशी हो रही है कि हमारी सरकार ने उस लक्ष्य को बहुत पहले ही प्राप्त कर लिया है ।

वस्तुस्थिति यह है कि किशनगंज जिले के बहादुरगंज टेढागाच्छ, दिघलबैंक प्रखंड क्षेत्र में वर्तमान में औसतन 20 से 22 घंटे प्रतिदिन विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है । हमारी सरकार भीषण गर्मी में आम जन–मानस को निर्बाध बिजली देने के लिये पूरी तरह प्रतिबद्ध है और हम बिना किसी भेदभाव के पूरे राज्य में समान रूप से रोस्टर का पालन कर रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि माननीय सदस्य द्वारा संकल्प में की गयी मांग 20 से 22 घंटा बिजली अपूर्ति विभाग द्वारा धरातल पर पहले से ही पूरी कर ली गयी है इसलिये इस संकल्प का कोई औचित्य नहीं रह जाता ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वह अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री मो0 तौसीफ आलम : महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा संयोग से माननीय मंत्री जी हमारे प्रभारी मंत्री किशनगंज के हैं । क्या लो वाल्टेज की समस्या नहीं है ?

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय ने सारी बातें स्पष्ट कर दी है ।

श्री मो0 तौसीफ आलम : माननीय मंत्री जी असत्य बोल रहे हैं । पदाधिकारी का जवाब गलत है ।

उपाध्यक्ष : क्या आप अपना प्रस्ताव वापस लेंगे ?

श्री मो0 तौसीफ आलम : महोदय, मैं वहां का एम0एल0ए0 हूं । तीन लाख पब्लिक चुना है तब मैं आया हूं । मैं पांचवी बार चुनकर आया हूं...

उपाध्यक्ष : मंत्री जी ने वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी है ।

श्री मो0 तौसीफ आलम : वहां लो वोल्टेज की समस्या हो रही है । थोड़ा सा भी पानी हो रहा है बिजली खत्म ।

उपाध्यक्ष : मंत्री जी उस पर ध्यान देंगे ।

श्री मो0 तौसीफ आलम : महोदय, मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जांच करा लें ।

उपाध्यक्ष : आप अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री मो0 तौसीफ आलम : मैं प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–50 : श्री जितेन्द्र कुमार राय, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक–51 : श्रीमती शालिनी मिश्रा, स0वि0स0

श्रीमती शालिनी मिश्रा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह किसानों की हजारो एकड़ भूमि को खेती योग्य बनाने हेतु पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत केसरिया विधान सभा क्षेत्र के दिलावरपुर पंचायत के भगवानपुर चंवर, रघुनाथपुर पंचायत के लाइला चंवर, पश्चिमी मधुबनी पंचायत के पंचभिरवा प्राथमिक विद्यालय के पीछे धुत्ताहा चंवर के चमरदहिया चंवर, पटवा चंवर, सरोतर से सुंदरापुर तक को जलजमाव से मुक्त कराने हेतु जल निकासी करावे।''

श्री विजय कुमार चौधरी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, हमने इसका सर्वेक्षण कराया है और एक रगवा नाला है इसमें से अधिकतर चौर उससे कनेक्टेड है । उसके उड़ाही का काम, सफाई का काम हमलोग प्राथमिकता पर ले रहे हैं । उससे बहुत हद तक इस समस्या का समाधान हो जायेगा । बाकी हम पदाधिकारी को कहेंगे माननीय सदस्या से भी संपर्क कर लेगा इसलिये अभी अनुरोध है कि अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय...

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय ने सारी बातें स्पष्ट कर दी है । आप अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : महोदय, बस दो लाईन । गरवा नाले की उड़ाही की मांग पिछले छः वर्षों से मैं कर रही हूं । माननीय मंत्री जी का सकारात्मक उत्तर है, पहले भी रहा है और मुझे पूरी आशा है कि यह काम हो जायेगा तथा और भी चंवर की निकासी की व्यवस्था होगी । इसी विश्वास के साथ मैं अपना संकल्प वापस लेती हूं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–52 : डॉ0 कुमार पुष्पंजय, स0वि0स0

डॉ0 कुमार पुष्पंजय : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि ''वह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री और आधुनिक बिहार के निर्माता डॉ. श्रीकृष्ण सिंह को 'बिहार केसरी' की उपाधि से

सम्मानित किया गया है। उन्हें भारत सरकार द्वारा उनके जीवनकाल में कोई अधिकारिक नागरिक सम्मान प्रदान नहीं किया गया है, उनके अभूतपूर्व योगदान को देखते हुए राज्य सरकार उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न देने के लिए भारत सरकार से सिफारिश करे।''

श्रीमती लेशी सिंह, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रालय भारत सरकार से प्राप्त निदेश के आलोक में प्रति वर्ष पद्म पुरूस्कारों की अनुशंसा के साथ भारत रत्न पुरूस्कार की भी अनुशंसा केन्द्र सरकार को भेजी जाती है । बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री स्वर्गीय डॉ. श्रीकृष्ण सिंह जी को वर्ष 2027 के लिये भारत रत्न की अनुशंसा हेतु गठित राज्य स्तरीय अनुशंसा समिति के समक्ष रखी जानी है । समिति की अनुशंसा प्राप्त होने के उपरांत इस संबंध में नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी । माननीय सदस्य से आग्रह है कि संकल्प वापस ले लें ।

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदया ने स्थिति स्पष्ट कर दी है । आप अपना संकल्प वापस ले लें ?

डॉ0 कुमार पुष्पंजय : महोदय, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–53 : श्री कुंदन कुमार, स0वि0स0

श्री कुंदन कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि ''वह राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की पावन जन्मभूमि बेगूसराय को उनकी अमर साहित्यिक विरासत के अनुरूप एक विशिष्ट शैक्षणिक पहचान प्रदान करने, जिले के विद्यार्थियों की वर्षों पुरानी आकांक्षाओं को साकार करने तथा उच्च शिक्षा के विस्तार हेतु बेगूसराय में दिनकर विश्वविद्यालय की स्थापना करावे।''

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक सूचना भी देना चाहता हूं कि चार दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा की है । हमारे उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी जी भी वहां थे, यहां संजय जी बैठे हुये हैं गन्ना मंत्री, सब लोग वहां थे ।

श्री संजय सिंह 'टाईगर', मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य ने खुद स्वीकार किया । वस्तुस्थिति यह है कि माननीय मुख्यमंत्री, बिहार द्वारा दिनांक–19.07.2026 को बेगूसराय जिले में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर विश्वविद्यालय की स्थापना करने की घोषणा की जा चुकी है इसलिये इस संकल्प का कोई औचित्य नहीं है । मैं माननीय सदस्य से आग्रह करूंग कि संकल्प वापस ले लें ।

श्री कुंदन कुमार : अध्यक्ष महोदय, संकल्प पहले दिया गया था और यह घोषणा चार दिन बाद हुई है । इसलिये औचित्य नहीं है ऐसा नहीं कहिये ।

उपाध्यक्ष : आपकी बातें तो मान ली गयी ।

श्री संजय सिंह 'टाईगर', मंत्री : मैं अभी की बात कह रहा हूं इसका कोई औचित्य नहीं है ।

श्री कुंदन कुमार : तो माननीय मंत्री जी कहिये कि स्वीकृत हो गया ।

उपाध्यक्ष : स्वीकृत मान ही लिये हैं मंत्री जी ।

<u>क्रमांक–54 : श्री शुभानंद मुकेश, स0वि0स0</u>

श्री शुभानंद मुकेश : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि ''वह भागलपुर जिलान्तर्गत गौराडीह में सुगम यातायात एवं जनहित को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक अंतरराज्यीय बस टर्मिनस (Inter State Bus Terminus) ISBT का निर्माण करावे।'

श्री नीतीश मिश्रा, मंत्री : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि भागलपुर जिला क्षेत्रान्तर्गत गौराडीह अंचल में माननीय मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा से संबंधित भागलपुर जिला अंतर्गत गौराडीह अंचल में नव अंतर्राज्यीय बस पड़ाव के निर्माण हेतु चिन्हित 15 एकड़ 05 डिसमिल भूमि के अधिग्रहण हेतु अनुमानित व्यय की राशि 14 करोड़ 81 लाख 20 हजार रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुये वित्तीय वर्ष 2024–25 में 14 करोड़ 81 लाख 20 हजार रुपये मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति विभागीय राज्यादेश सं0–302, दिनांक 31 जनवरी, 2025 द्वारा दी गयी है । जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, भागलपुर द्वारा भू–अर्जन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि कृपया संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य माननीय मंत्री महोदय ने सारी बातें स्पष्ट कर दी है । अपना प्रस्ताव आप वापस ले लीजिये ।

श्री शुभानंद मुकेश : मैं सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुये अपना संकल्प वापस लेता हूं।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

टर्न–19 / धिरेन्द्र / 24.07.2026

<u>क्रमांक–55 : श्री अजीत कुमार, स॰वि॰स॰</u>

श्री अजीत कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत कांटी एन॰टी॰पी॰सी॰ में प्रथम फेज के दो यूनिट को डिस्मेंटल किया

गया है नई यूनिट लगाने के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध है । उपलब्ध जगह में राज्यहित में 800 मेगावाट का नया यूनिट लगाने के लिए केन्द्र सरकार से सिफारिश करे ।''

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, ऊर्जा विभाग ।

श्री शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल, मंत्री : महोदय, मैं माननीय सदस्य श्री अजीत कुमार जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुजफ्फरपुर के कांटी एन॰टी॰पी॰सी॰ में राज्यहित को ध्यान में रखते हुए 800 मेगावाट के नये यूनिट की स्थापना का यह गैर सरकारी संकल्प सदन के समक्ष रखा है । माननीय सदस्य श्री अजीत कुमार जी का यह सोच भी स्वागत योग्य है कि खाली जमीन का उपयोग हो ।

उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकार (सी॰ई॰ए॰) की रिपोर्ट के अनुसार आज से दस साल बाद यानी वर्ष 2035–36 तक बिहार राज्य को कुल 12,622 मेगावॉट थर्मल क्षमता जो कोयला से आधारित है की आवश्यकता होगी । हम भविष्य की इस मांग को लेकर पूरी तरह सजग भी हैं । वर्तमान में राज्य के पोर्टफोलियो में 7,743 मेगावॉट थर्मल क्षमता पहले से उपलब्ध है। अभी हमलोगों के पास 7,743 मेगावॉट थर्मल पॉवर की क्षमता है, इसके अतिरिक्त भविष्य की जरूरत को देखते हुए हमारी सरकार ने 4,401 मेगावॉट की अतिरिक्त क्षमता के लिए पहले ही एग्रीमेंट कर लिया है यानी हम अपनी जरूरत 12,622 मेगावॉट के बराबर क्षमता सुरक्षित कर चुके हैं जो कि 2035–36 में जरूरत पड़ेगी । यदि हम अभी आवश्यकता न होते हुए भी कांटी में 800 मेगावॉट का नया कोयला प्लांट लगाने की सिफारिश करते हैं तो बिजली की मांग न होने पर भी राज्य को करोड़ों रुपया का फिक्स्ड चार्ज देना पड़ेगा जो एग्रीमेंट, एम॰ओ॰यू॰ होता है, उसमें आप बिजली नहीं भी लीजियेगा तो जो फिक्स्ड चार्ज है वह देना होगा, जिसका सीधा आर्थिक बोझ हमारे उपभोक्ताओं पर पड़ेगा । इसके अलावा हमारी सरकार का लक्ष्य अब शून्य कार्बन जो ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रही है । प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी का सीधा कॉन्सेप्ट है कि अब आप ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ने का काम करें तो उसके तरफ भी हमें बढ़ना है, जिसके लिए हम सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा को बढ़ावा दे रहे हैं । उपाध्यक्ष महोदय, स्पष्ट आंकड़े और रिसोर्स ऐडक्वेसी प्लान के तहत बिहार को वर्तमान में किसी नयी अतिरिक्त कोल प्लांट की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है । हमारी ऊर्जा सुरक्षा पूरी तरह से सुदृढ़ है।

अतः इन्हीं तकनीकी और आर्थिक तथ्यों के आलोक में मैं माननीय सदस्य श्री अजीत बाबू से कहना चाहूंगा कि आप इस गैर सरकारी संकल्प को वापस ले लें ।

श्री अजीत कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री बड़ा स्पष्ट जवाब दिये हैं लेकिन क्या इस राज्य में अब नये थर्मल पॉवर की जरूरत नहीं है ? यह तो माननीय मंत्री

का हमको समझ में नहीं आ रहा है । महोदय, आपको समझ में आ गया हो तो बता दिया जाय । कम–से–कम हम जो विषय उठाये हैं, वह हमारे समझ में आना चाहिए न ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय मंत्री महोदय ने स्थिति स्पष्ट कर दी है । आप अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल, मंत्री : महोदय, 2035–36 में 12 हजार मेगावॉट की जरूरत है तो हम उसका एग्रीमेंट कर चुके हैं । 2035–36 के बाद इस पर सोचेंगे ।

श्री अजीत कुमार : महोदय, हम जमीन दे रहे हैं, इन्हें उदारता दिखाने में क्या है । हम इनको जमीन उपलब्ध करा रहे हैं । बहुत सारा हमारा प्रोजेक्ट जमीन नहीं रहने के कारण नहीं बन पाता है और हम जमीन उपलब्ध करा रहे हैं ।

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी है । कृपया आप अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री अजीत कुमार : महोदय, आप हमारे कस्टोडियन हैं और जब हम जमीन दे रहे हैं तो सौर ऊर्जा का यूनिट लगाइये, उसमें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ है ।

<u>क्रमांक–56 : सुश्री मैथिली ठाकुर, स॰वि॰स॰</u>

(माननीय सदस्या अनुपस्थित)

<u>क्रमांक–57 : श्रीमती निशा सिंह, स॰वि॰स॰</u>

श्रीमती निशा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह कटिहार जिलान्तर्गत प्राणपुर विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2024 एवं उससे पूर्व शिलान्यास किए गए मदनसाही, बिसारे, राजपुतिया, शोशाधार आदि निर्माणाधीन पुलों के तकनीकी कमी को दूर कर निर्माण कार्य पूरा करावे ।''

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, अभिस्तावित पुल पी॰एम॰जी॰एस॰वाई॰ योजनांतर्गत टी02 से बिसारे के नाम से स्वीकृत है । इस पुल के निर्माण कार्य में नेशनल क्वालिटी मॉनिटर द्वारा जाँच के क्रम में कुछ कमियां पायी गयी । इसी वजह से यह विलंब हुआ है और संबंधित कार्यपालक अभियंता तथा मुख्यालय इसकी सुधार कर रहा है । तदानुसार पुल का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करा लिया जायेगा । इसमें कुछ त्रुटि रह गई थी जिसका संधारण हमलोग कर रहे हैं क्वालिटी कंट्रोल की वजह से । इसको हम निकट भविष्य में पूरा करेंगे ।

अतः माननीय सदस्या से अनुरोध है कि इस संकल्प को वापस लेने कृपा करें ।

श्रीमती निशा सिंह : माननीय मंत्री जी, आपने एक ही पुल के बारे में बताया है । राजपुतिया, मदनसाही जो वर्ष 1987 में ही पुल टूटा है और बार–बार हमारे निवेदन के बाद उस पुल का शिलान्यास हुआ और आज तक नहीं बन पाया है । कहां विभाग पीछे रह गया कि यह काम नहीं हो पा रहा है ?

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : जिन दो पुलों का आपने जिक्र किया है, इन दोनों पुलों के बारे में हमलोगों ने क्वालिटी कंट्रोल से, और जो भी प्राक्कलन बना था उसमें कमियां थी तो उन कमियों को दूर करने के लिए जो नया सेल बना है, उसको मजबूती के साथ हमलोग करेंगे, कुछ वक्त लगेगा । इसलिए मैं माननीय सदस्या से अनुरोध करता हूँ कि वे अपना संकल्प वापस ले लें ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या आप अपना प्रस्ताव वापस लें ।

श्रीमती निशा सिंह : महोदय, आपसे आग्रह है कि विभाग के लोगों पर थोड़ा कड़ा कार्रवाई करवाइये । हम अपना संकल्प वापस लेते हैं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–58 : श्री सुभाष सिंह, स॰वि॰स॰

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक–59 : श्री सिद्धार्थ पटेल, स॰वि॰स॰

श्री सिद्धार्थ पटेल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह वैशाली जिलान्तर्गत वैशाली प्रखण्ड स्थित ऐतिहासिक एवं महत्वपूर्ण बौना पोखर के मध्य में राजगीर स्थित घोड़ा–कटोरा झील राजगीर की तर्ज पर भगवान महावीर की प्रतिमा की स्थापना कराते हुए बौना पोखर का सौन्दर्यीकरण करावे।''

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, पर्यटन विभाग ।

श्री केदार प्रसाद गुप्ता, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि जिला पदाधिकारी, वैशाली के पत्रांक–162, दिनांक–17.07.2026 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वैशाली प्रखंड अवस्थित बौना पोखर ऐतिहासिक एवं पौराणिक महत्व का पोखर है । यह जैन धर्मावलंबियों के साथ–साथ स्थानीय लोगों के बीच आस्था का केन्द्र एवं महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है । प्रत्येक वर्ष भगवान महावीर के जन्म दिवस पर प्रसिद्ध वैशाली महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसमें भगवान महावीर की शोभायात्रा का आरंभ बौना पोखर से होता है । भगवान महावीर की जन्मस्थली बासोकुण्ड भी बौना पोखर से लगभग 07 किलोमीटर की दूरी पर

अवस्थित है । जिला पदाधिकारी, वैशाली से उक्त पोखर को सौंदर्यीकरण कराने हेतु विभागीय पत्रांक–2095, दिनांक–20.07.2026 द्वारा विहित प्रपत्र से स्पष्ट प्रतिवेदन की मांग की गयी है । प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् निधि की उपलब्धता के आधार पर अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपने संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय मंत्री महोदय ने स्थिति स्पष्ट की है और सकारात्मक जवाब दिया है ।

श्री सिद्धार्थ पटेल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा अनुरोध था कि वहां राजगीर के घोड़ा–कटोरा के तर्ज पर, क्योंकि माननीय मंत्री जी ने अपने संबोधन में अभी कहा भी है कि वहां पर प्रतिवर्ष वैशाली महोत्सव होता है, वहां से प्रोसेशन निकलता है । वह भगवान महावीर का ननीहाल भी है और इसी वजह से वहां से प्रोसेशन निकलता है ।

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय ने आपकी बातें सुन ली है और स्थिति स्पष्ट भी किया है ।

श्री सिद्धार्थ पटेल : महोदय, मेरा अनुरोध होगा कि कृपया वहां पर भगवान महावीर की प्रतिमा मध्य में स्थापित करायें । धन्यवाद ।

उपाध्यक्ष : आप अपना संकल्प वापस लीजिये ।

श्री सिद्धार्थ पटेल : मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

टर्न–20/अंजली/24.07.2026

क्रमांक–60 : श्री पंकज कुमार मिश्र, स॰वि॰स॰

श्री पंकज कुमार मिश्र : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह गाँधीवादी विचारधारा पर आधारित 391 राजकीय बुनियादी विद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित है, कक्षा 01 से 08 तक पढ़ाई होती है । ग्रामीण क्षेत्रों के इन विद्यालयों का मूल उद्देश्य विद्यार्थियों को व्यवहारिक ज्ञान, आत्मनिर्भरता एवं कौशल विकाश युक्त शिक्षा प्रदान कराना था । प्रत्येक विद्यालय में आवासीय परिसर, तालाब, वृक्षारोपण, बागवानी एवं कृषि तकनीकी ज्ञान दी जाती थी ।

अतः राज्य सरकार इन राजकीय बुनियादी विद्यालयों का मूल्यांकन कर उन्हें आदर्श विद्यालयों के रूप में विकसित करने तथा कौशल विकास आधारित विशेष पाठ्यक्रम को पुनः प्रभावी रूप से संचालित करावे ।''

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, उच्च सदन में हैं । आपका जवाब बाद में होगा ।

माननीय सदस्य श्री अरूण कुमार जी । अपना संकल्प प्रस्तुत करें ।

क्रमांक–61 : श्री अरूण कुमार, स॰वि॰स॰

श्री अरूण कुमार : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पटना जिलान्तर्गत बख्तियारपुर प्रखण्ड के ग्यासपुर में गंगा नदी पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए स्थायी पक्का पुल का निर्माण करावे ।''

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री कुमार शैलेन्द्र, मंत्री : महोदय, मैंने बहुत ही स्पष्ट उत्तर उनके हाथों में दिया है, सदन का समय बचाने के लिए दिया था । पीपा पुल के जगह पर इन्होंने कहा है कि आर0सी0सी0 पुल बनाया जाए, लेकिन अपस्ट्रीम में 30 किलोमीटर की दूरी पर कच्ची दरगाह बिदुपुर के बीच 6 लेन पुल एवं डाउन स्ट्रीम में लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर बख्तियारपुर ताजपुर के बीच 4 लेन पुल निर्माणाधीन है ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आप बैठ जाएं ।

श्री कुमार शैलेन्द्र, मंत्री : महोदय, ग्यासपुर में काला दियारा नदी के बीच पर अस्थायी पीपा पुल के स्थान पर स्थायी पुल निर्माण हेतु बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा टेक्निकल फिजिबिलिटी की जांच के आधार पर इनको बनाने के लिए, हमलोगों ने कहा है कि जांच करके इसकी प्राथमिकता के आधार पर बनाया जाएगा । यह मैंने उत्तर भी दिया है महोदय । इसलिए माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना संकप्ल वापस ले लें ।

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय ने सकारात्मक जवाब दिया है । इसलिए आप अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री अरूण कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, हमें पूरा विश्वास है कि हमारी डबल इंजन की सरकार है, हमें पूरा विश्वास है कि यह बन जाएगा और मैं मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि इस पर पूरा जोर लगा देंगे । धन्यवाद । मैं अपना संकल्प वापस लेता हूँ ।

उपाध्यक्ष : बहुत–बहुत धन्यवाद आपको । सदन की सहमति से संकल्प वापस हुआ ।

क्रमांक–62 : श्री रोमित कुमार, स॰वि॰स॰

श्री रोमित कुमार : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह गयाजी जिला के अतरी विधान सभा के अतरी प्रखंडन्तर्गत मौला नगर क्षेत्र के आसपास दर्जनों गांवों का प्रमुख बाजार है । यहां प्रतिदिन बड़े एवं भारी वाहनों के आवागमन के कारण लगातार जाम की गंभीर स्थिति बनी रहती है, जिससे आमजनों, छात्र–छात्राओं, मरीजों एवं व्यापारियों को भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है ।

अतः जनहित एवं सुगम यातायात व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए सरकार मौला नगर में बाईपास सड़क का निर्माण करावे ।''

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री कुमार शैलेन्द्र, मंत्री : महोदय, इनको भी मैंने स्पष्ट उत्तर दिया है और इन्होंने बाईपास निर्माण की बात कही है । इस पथ के एलानमेंट में लगभग 100 मीटर चौड़ाई की एक नदी भी पड़ती है, जिस पर पुल की आवश्यकता है । प्रस्तावित बाईपास सड़क की कुल लंबाई लगभग 2 किलोमीटर होती है । इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की जा रही है ।

अतः माननीय सदस्य से आग्रह है कि वे अपना संकल्प वापस लें ।

श्री रोमित कुमार : महोदय, जब तक नहीं हो रहा है तब तक कम से कम, 6–6 घंटे तक जाम रहता है, एंबुलेंस फंसी रहती है, वहां पर कम से कम एक पुलिस की व्यवस्था की जाए, नहीं तो कम से कम दिन में बड़े भारी वाहनों का आवागमन रोका जाए ।

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी इसको देख लेंगे । कृपया आप अपना संकल्प वापस लें ।

श्री रोमित कुमार : मैं सदन से मांग से करता हूँ कि इसको किया जाए और इसी आशय के साथ मैं अपने प्रस्ताव को वापस लेता हूँ ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से संकल्प वापस हुआ ।

<u>क्रमांक–63 : श्री जनक सिंह, स॰वि॰स॰</u>

श्री जनक सिंह : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह राज्य के आर्थिक हित को ध्यान में रखते हुए लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में ग्लोबल टेंडर निकाले जाने की चल रही प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए बिहार प्रदेश के संवेदकों को टेंडर आवंटन में प्राथमिकता दिलावे ।''

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ।

श्री संजय कुमार सिंह, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रयण विभाग की निविदाएं, राज्य सरकार के द्वारा स्वीकृत मानक निविदा दस्तावेज एस0बी0डी0...

उपाध्यक्ष : माईक ठीक कराइए ।

श्री संजय कुमार सिंह, मंत्री : अधिसूचना, अधिनियम एवं सक्षम प्राधिकार द्वारा समय–समय पर निर्गत निर्देशों के अनुरूप आवंटित एवं निष्पादित की जाती है । राज्य मंत्री परिषद के द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में पथ निर्माण विभाग, बिहार के संकल्प संख्या–3103, दिनांक–06.05.2026 के आलोक में अधिकतम 50 करोड़ रुपए तक के लागत वाले रात दिन सिविल कार्यों के लिए राज्य स्तरीय संवेदकों की निविदा में अधिमान्यता दिया जाना है । पथ निर्माण विभाग द्वारा निर्गत संकल्प की प्रति सभी क्षेत्रीय अभियंताओं को अनुपालनार्थ भेजी गई है । संकल्प का आशय यह कदापि नहीं है कि मात्र 50 करोड़ रुपए तक की

निविदा किया जाना है । निविदा निस्तारण के क्रम में मंत्री परिषद के उपरोक्त निर्णय का अनुपालन किए जाने हेतु विभाग कृतसंकल्पित है । महोदय, उल्लेखनीय है कि विभाग के द्वारा कार्य का तकनीकी प्रकृति, कार्यक्षेत्र का विस्तार, आवश्यक गुणवत्ता सुनिश्चित करने एवं कार्य पूर्णता की समय–सीमा को देखते हुए आवश्यकतानुसार कार्य हित में विभिन्न श्रेणियों की निविदा आमंत्रित की जाती है । लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की योजनाएं प्रमंडलवार मंत्री परिषद से अनुमोदित है । तदालोक में योजनाओं की निविदा प्रमंडलवार आमंत्रित की गई है । ज्ञात हो कि विभाग के अंतर्गत 49 अर्द्धसैनिक कार्य प्रमंडल है । इन प्रमंडलों द्वारा निर्मित जलापूर्ति योजनाओं का परिचालन रख–रखाव अवधि मार्च, 2026 के पूर्व समाप्त हो चुकी है, जोकि अगले पांच वर्ष तक परिचालन एवं रख–रखाव हेतु निविदा के लिए आमंत्रित किया गया था । हम माननीय सदस्य से आग्रह करेंगे कि अपने संकल्प को वापस लें ।

श्री जनक सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, संवेदक राज्य और देश का एक मजबूत स्तंभ होता है और सारे विकास तो उन्हीं को करना है, तो मेरा यह कहना है कि अपने राज्य के संवेदकों को मजबूत कीजिए ।

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने सारी वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी है ।

श्री जनक सिंह : इसलिए मैं इस आशय के साथ कि अपने संवेदकों पर राज्य सरकार ख्याल करेगी, मैं अपना संकल्प वापस लेता हूँ ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से संकल्प वापस हुआ ।

श्री पंकज कुमार मिश्र : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग आ गए हैं, मेरा भी जवाब करा दीजिए ।

उपाध्यक्ष : इसके बाद होगा ।

<u>क्रमांक–64 : श्री सियाराम सिंह, स०वि०स०</u>

श्री सियाराम सिंह : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह जनहित में पटना जिला के बाढ़ रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस (22347/22340) एंव राज्य रानी एक्सप्रेस (15503, 15504/15509,15510) का ठहराव किये जाने के लिए रेल मंत्रालय, भारत सरकार से सिफारिश करे ।''

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, परिवहन विभाग ।

श्री दामोदर रावत, मंत्री : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जनहित में पटना जिला के बाढ़ रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस 22347/22348 एवं राज्य रानी एक्सप्रेस 15503/15504 का ठहराव किए जाने हेतु रेल मंत्री, भारत सरकार से यह सभा अनुशंसा करती है ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय मंत्री महोदय के सकारात्मक उत्तर के बाद सदन की सहमति से यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री सियाराम सिंह : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, जब वंदे भारत का परिचालन स्टार्ट हुआ था पटना जंक्शन से...

उपाध्यक्ष : आपका प्रस्ताव तो स्वीकृत हो गया ।

श्री सियाराम सिंह : महोदय, एक मिनट । तो जमुई में भी इसका कार्यक्रम हुआ था और बाढ़ में भी कार्यक्रम हुआ था, तो जमुई में रुका है, लेकिन यहां नहीं रुका है ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या श्रीमती कोमल सिंह जी ।

टर्न–21 / पुलकित / 24.07.2026

<u>क्रमांक–65 : श्रीमती कोमल सिंह, स0वि0स0</u>

श्रीमती कोमल सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मुजफ्फरपुर जिला के गायघाट विधानसभा क्षेत्र के बंदरा प्रखंड में बूढ़ी गंडक नदी में रतवार टोली घाट पर कटरा प्रखंड के सोनपुर पंचायत के सिसवाड़ा सियारी नदी में पासवान टोला में पुल का निर्माण करावे।''

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, बंदरा प्रखंड में जिस पुल की मांग की जा रही है उसकी जिला संचालन समिति द्वारा अनुशंसा की गई है और प्राथमिकता सूची के क्रमांक 3 पर अंकित है। उसी तरह कटरा प्रखंड में जिस पुल की मांग की गई है वह मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना अंतर्गत जिला संचालन समिति द्वारा अनुशंसित प्राथमिकता सूची के क्रमांक 26 पर अंकित है।

माननीय सदस्या को मैं आश्वस्त करना चाहूँगा कि इस वर्ष उसका हम लोग निर्माण पूरा करेंगे । अतः उनसे अनुरोध है कि संकल्प को वापस लेने की कृपा करें।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या से अनुरोध हैं आप अपना संकल्प वापस लें। माननीय मंत्री जी ने स्थिति स्पष्ट कर दी है ।

श्रीमती कोमल सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत–बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी माननीय मंत्री जी को और मैं अपना प्रस्ताव वापस लेती हूँ। लेकिन साथ में मैं बस एक और अनुरोध करना चाहती हूँ, गायघाट विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत गायघाट प्रखंड में भी रजवा घाट पुल है, बागमती नदी पर एक रजवा घाट पुल है जो 2012 से लंबित है। उसका कार्य शुरू हुआ था 2012 में और अभी 14 साल से वहाँ के लोग उस पुल की राह ताक रहे हैं। मैं चाहूँगी कि मंत्री जी उस पर भी अपना ध्यान आकृष्ट करके उस पुल का भी निर्माण करावे। मैं अपना संकल्प वापस लेती हूं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से संकल्प वापस हुआ ।

(इस अवसर पर सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) ने आसन ग्रहण किया)

क्रमांक–66 : श्री अजय कुमार, स0वि0स0

श्री अजय कुमार : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह समस्तीपुर जिला के विभूतिपुर प्रखंडान्तर्गत 29 पंचायतें है, जिसमें 31 विद्यालयों में 10+2 की पढ़ाई होती है, जिसके लिए मात्र एक डिग्री कॉलेज, डी0बी0के0एन0नरहन है, जिसमें सिर्फ हिन्दी में पी0जी0 की पढ़ाई होती है, छात्रों के हित में उक्त कॉलेज में सभी विषयों में पी0जी0 की पढ़ाई एवं अतिरिक्त डिग्री कॉलेज का निर्माण करावे।''

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : माननीय मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग ।

श्री संजय सिंह 'टाईगर', मंत्री : सभापति महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि डी.बी.के.एन. नरहन महाविद्यालय में सभी विषयों में पी0जी0 की पढ़ाई आरंभ करने संबंधी कोई प्रस्ताव उच्च शिक्षा विभाग में लंबित नहीं है। विभूतिपुर प्रखंड अंतर्गत पूर्व से डी.बी.के.एन.नरहन महाविद्यालय संचालित है, इसके अतिरिक्त डिग्री महाविद्यालय का निर्माण कराने का प्रस्ताव विभाग के समक्ष विचाराधीन नहीं है। इसलिए मैं माननीय सदस्य से आग्रह करता हूँ कि अपना प्रस्ताव वापस लें।

श्री अजय कुमार : सभापति महोदय, मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, यह एक नीतिगत निर्णय विभाग को करना है। किसी प्रखंड में 6 पंचायत हैं वहाँ आप एक डिग्री कॉलेज खोलने का निर्णय लिए। किसी प्रखंड में 29 पंचायत हैं वहाँ एक डिग्री कॉलेज है। 29 पंचायत में प्लस टू की पढ़ाई होती है, अगर ड्रॉप रेट को रोकना चाहते हैं तो यह डिग्री कॉलेज जब तक दो नहीं कीजिएगा, तब तक ड्रॉप रेट रुकेगा नहीं। इसीलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस पर आप सहानुभूतिपूर्वक नीतिगत निर्णय लेने में विचार कीजिए। मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं ।

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : सदन की सहमति से संकल्प वापस हुआ ।

क्रमांक–67 : श्री संजीव चौरसिया, स0वि0स0

श्री संजीव चौरसिया : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पद्म अवार्डियों को भारत के अन्य राज्यों में पेंशन दिया जाता है जिससे पद्म आवार्डियों को सामाजिक कार्य में लगे रहने से आर्थिक आधार मिल सकें जबकि बिहार में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। साथ ही बिहार के सरकारी गेस्ट हाउस और परिसदन एवं अन्य राज्यों में बिहार के सरकारी गेस्ट हाउस में इनके आवासन सुविधा उपलब्ध हो और सरकारी कार्यक्रमों (गणतंत्र दिवस एंव स्वतंत्रता दिवस) में पद्म आवार्डियों को आमंत्रण आना चहिए साथ ही इन्हें पहचान पत्र भी सरकार के द्वारा निर्गत होना चाहिए ।

अतः बिहार के पद्म अवार्डियों का पेंशन, सरकारी गेस्ट हाउस में आवासन, सरकारी कार्यक्रमों में आमंत्रण हेतु पहचान पत्र निर्गत करावे''।

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : माननीय मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग ।

श्रीमती लेशी सिंह, मंत्री : सभापति महोदय, पद्म अवार्डियों को पेंशन, बिहार के सरकारी गेस्ट हाउस और परिसदन एवं अन्य राज्यों में बिहार के सरकारी गेस्ट हाउस में इनके आवासन सुविधा एवं सरकारी कार्यक्रमों, गणतंत्र दिवस एवं स्वतंत्रता दिवस में आमंत्रण के संबंध में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

अतः मैं माननीय सदस्य से आग्रह करना चाहूँगी कि यह संकल्प वापस लें।

श्री संजीव चौरसिया : माननीय सभापति महोदय, संज्ञान में यह होना चाहिए कि हरियाणा से लेकर ओडिशा में सभी जगह पेंशन मिलती है और इस प्रकार से उनके किए हुए कार्य को चिन्हित होकर तभी पद्म भूषण, पद्म श्री जैसे सब अवार्ड से सम्मानित होते हैं। इसलिए माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करते हैं कि इस पर सरकार की जरूर चिंता होना चाहिए ।

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : माननीय मंत्री जी ने उत्तर में स्पष्ट कर दिया है । आप अपना संकल्प वापस ले लीजिए ।

श्री संजीव चौरसिया : और इस पर चिंतन करते हुए वैसे लोगों को जिनसे सामाजिक कार्य में प्रेरणा करने का काम मिलता है, वह लगातार काम करते हैं उनके बारे में जरूर विचार करना चाहिए। मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं ।

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : सदन की सहमति से संकल्प वापस हुआ ।

<u>क्रमांक–68 : श्री नितेश कुमार सिंह, स0वि0स0</u>

श्री नितेश कुमार सिंह : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के 100 दिन पूरे होने पर उनको बधाई देता हूँ और कसबा की जनता की ओर से जो सारे प्रखंडों में डिग्री कॉलेज की व्यवस्था की गई है, इसके लिए भी दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूँ।

हमने उच्च शिक्षा दी, अब हमारा संकल्प है रोजगार देने के लिए।

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : आप अपना प्रस्ताव पढ़िये ।

श्री नितेश कुमार सिंह : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्णियाँ जिलान्तर्गत कसबा विधान सभा के कसबा प्रखंड में Special Economic Zone का निर्माण को क्रियान्वित करावे।''

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : माननीय मंत्री, उद्योग विभाग ।

सुश्री श्रेयसी सिंह, मंत्री : सभापति महोदय, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की घोषणा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की जाती है। इसका प्रस्ताव राज्य

सरकार द्वारा केंद्र सरकार को भेजा जाता है तथा इसके उपरांत स्वीकृति हेतु विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 की धारा–4 की उप धारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर विशेष आर्थिक जोन का भारत के राजपत्र यानी गजट ऑफ इंडिया में अधिसूचना जारी की जाती है ।

वर्तमान में बिहार राज्य में औद्योगिक क्षेत्रों में नवानगर, बक्सर में उपस्थित एवं कुमारबाग जो पश्चिमी चंपारण में उपस्थित है को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा क्रमवर्ष निर्गत अधिसूचना संख्या–4604, दिनांक 19.11.2024 एवं अधिसूचना संख्या–4439, दिनांक 05.11.2024 के माध्यम से विशेष आर्थिक क्षेत्र की घोषणा की गई है तथा इसे बियाडा द्वारा विकसित किया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि पूर्णिया जिला अंतर्गत कसबा प्रखंड में विशेष आर्थिक क्षेत्र के संबंध में वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं है। मैं विनम्र आग्रह माननीय सदस्य से करती हूँ कि वे अपना यह संकल्प वापस ले लें।

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री नितेश कुमार सिंह : सर, यह रिक्वेस्ट लेटर आगे भिजवाएँ। कम से कम इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का क्योंकि सीमांचल 2 करोड़ पापुलेशन का है ।

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : माननीय मंत्री जी ने प्रक्रिया को स्पष्ट किया है।

श्री नितेश कुमार सिंह : महोदय, भारत सरकार के पास प्रपोजल भेजें, नहीं तो कम से कम जो बियाडा के हिसाब से इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का प्रस्ताव करें। मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं ।

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : सदन की सहमति से संकल्प वापस हुआ ।

क्रमांक–60 : श्री पंकज कुमार मिश्र, स0वि0स0

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : माननीय सदस्य की सूचना पढ़ी हुई है । माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग ।

श्री मिथिलेश तिवारी, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य के सुझाव पर सरकार अमल करेगी और इसी आशा के साथ आग्रह है कि माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव वापस लें।

श्री पंकज कुमार मिश्र : सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि यह गांधी जी के विचार का मामला है, कौशल विकास का मामला है और उस पर भी अगर माननीय मंत्री...

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : ठीक है, माननीय मंत्री जी ने स्थिति स्पष्ट कर दी है।

श्री पंकज कुमार मिश्र : नहीं, नहीं ।

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : आपकी बातों को माननीय मंत्री जी ने संज्ञान में ले लिया है । आप अपना संकल्प वापस लेते हैं ?

श्री पंकज कुमार मिश्र : महोदय, माननीय मंत्री जी से मेरा आग्रह है, निवेदन है कि यह गांधी जी का मामला है, कौशल विकास का मामला है । मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं ।

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–69 : श्री विनय कुमार सिंह, स0वि0स0

श्री विनय कुमार सिंह : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सारण जिला के सोनपुर प्रखंड में खेल प्रतिभाओं के विकास हेतु आधुनिक सुविधायुक्त इंडोर स्टेडियम का निर्माण करावे ।''

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : माननीय मंत्री, खेल विभाग ।

सुश्री श्रेयसी सिंह, मंत्री : माननीय सभापति महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि मुख्यमंत्री खेल विकास योजना अंतर्गत वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा प्रखंड स्तर पर इंडोर स्टेडियम के निर्माण के लिए कोई योजना संचालित नहीं है।

प्रखंड स्तर पर आउटडोर स्टेडियम के निर्माण की योजना है। विदित हो कि सारण जिला में जिला मुख्यालय अंतर्गत राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय, छपरा के परिसर में 4 करोड़ 55 लाख 335 रुपये की मात्र लागत से मल्टीपरपज इंडोर हॉल का निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 24.11.2026 है।

अतः मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करती हूँ कि अपना संकल्प वापस लें।

टर्न–22 / हेमन्त / 24.07.2026

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : माननीय सदस्य, स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

श्री विनय कुमार सिंह : महोदय, मैं सोनपुर की बात कर रहा हूं और छपरा की बात चली गयी। महोदय, सोनपुर अनुमंडल कार्यालय है।

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : माननीय मंत्री ने कहा कि अभी कोई योजना नहीं है।

श्री विनय कुमार सिंह : महोदय, बाबा हरिहर नाथ है।

सुश्री श्रेयसी सिंह, मंत्री : महोदय, मैं स्पष्ट कर दूं कि माननीय सदस्य द्वारा जो अभिस्ताव आया था, वह सोनपुर प्रखंड का है, यह सच बात है। मैंने इसमें जिला मुख्यालय की बात या विषय इसीलिए लिखा, क्योंकि जिस मुख्यमंत्री खेल विकास योजना अंतर्गत, जो खेल मैदान बनता है, वह वर्तमान में सिर्फ आउटडोर स्टेडियम के लिए है। अभी इंडोर स्टेडियम बनाये जाने की कोई योजना नहीं है।

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : अभी योजना नहीं है।

सुश्री श्रेयसी सिंह, मंत्री : फिर भी, माननीय सदस्य सुन लिया जाए, इनके जिला मुख्यालय में 4 करोड़ 55 लाख 335 रुपये की लागत से इंडोर स्टेडियम, जो मल्टीपर्पस हॉल है, वह बन रहा है। यानी कि जिला मुख्यालय में बनना, सभापति महोदय, वहां के खिलाड़ी और खेल प्रेमियों के लिए एक उच्च स्तरीय खेल की...

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : प्रखंड में प्रावधान अभी नहीं है।

सुश्री श्रेयसी सिंह, मंत्री : जी।

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : आपने अपना निवेदन मंत्री जी से कर दिया है। भविष्य में होगा, तो मंत्री जी दिखवा लेंगे।

सुश्री श्रेयसी सिंह, मंत्री : महोदय, मैं पुनः अनुरोध करती हूं कि माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस ले लें।

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ।

क्रमांक–70 : श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक–71 : श्री राजेश कुमार सिंह, स0वि0स0

श्री राजेश कुमार सिंह : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह समस्तीपुर जिला अन्तर्गत मोहिउदीननगर प्रखण्ड के भांसिंगपुर थौक से बोचहा गाँव होते हुए खनुआ घाट NH122B तक तथा प्रखण्ड मोहनपुर के डुमरी दियारा मोड़ NH122B से जौनापुर RCD पथ तक दोनों अतिमहत्वपूर्ण पथों को RWD से RCD में सम्मिलित कर सड़क का निर्माण करावे।''

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : सभापति महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रासंगिक पथ दो पथों के निर्माण के संबंध में है। मोहिउदीननगर प्रखण्ड अधीन पथ की आर.सी.डी. में जाने की मांग की गयी है वह नई अनुरक्षण नीति 2018 अंतर्गत आता है और जिसकी कुल लंबाई 5.1 किलोमीटर है। यह पथ पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि के पंचम वर्ष में है। उसी तरह, मोहनपुर प्रखंड अधीन, जिस सड़क का उन्होंने जिक्र किया है, इसकी लंबाई 4.6 किलोमीटर है और पथ पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि के चतुर्थ वर्ष में है। यहां कहना प्रासंगिक होगा कि पथ निर्माण विभाग की जो अधिसूचना है, उसके अनुसार विशेष परिस्थिति या अत्यंत विशिष्ट महत्व के पथों का ही पथ निर्माण विभाग में स्थानांतरण का प्रस्ताव है। वर्तमान में पथ निर्माण विभाग से स्थानांतरण हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण, पथों का स्थानांतरण विचाराधीन नहीं है। वैसे ग्रामीण कार्य विभाग ने, जैसा हमने कहा कि अनुरक्षण नीति में दोनों पथ आते हैं, उसके लिए जो भी कार्रवाई आगे की होगी, उसको हम लोग पूरा करेंगे।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लें।

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : माननीय सदस्य स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

श्री राजेश कुमार सिंह : पथ निर्माण मंत्री भी बाजू में ही बैठे हुए हैं और यह सड़क भी बहुत महत्वपूर्ण है। विद्यापति नगर, माननीय उप मुख्यमंत्री भी हमारे सामने ही बैठे हुए हैं, इनको जानकारी है। महोदय, आप भी उस क्षेत्र में टहलते रहते हैं। आग्रह करेंगे कि इस पर जरूर गंभीरता से विचार करें।

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट किया और दो विभागों का मामला है। आगे पॉलिसी अगर बनेगी, तो उस पर विचार करेंगे माननीय मंत्री।

श्री राजेश कुमार सिंह : मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं।

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ।

<u>क्रमांक–72 : श्री प्रमोद कुमार सिन्हा, स0वि0स0</u>

श्री प्रमोद कुमार सिन्हा : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्वी चम्पारण के आदापुर प्रखंड मुख्यालय स्थित ऐतिहासिक ''आदापुर पोखरा'' को जलकुंभी मुक्त करने, तटबंध सुदृढ़ करने तथा श्यामपुर, औरेया और सिरिसिया कला पंचायतों के हित में वहां भव्य छठ घाट निर्माण व सौंदर्गीकरण की स्वीकृति प्रदान करे।''

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : माननीय मंत्री पंचायती राज विभाग।

श्री दीपक प्रकाश, मंत्री : महोदय, पूर्व में आदापुर पोखर में छठ घाट का निर्माण किया गया था। ग्राम पंचायत के माध्यम से लगभग 70 फीट लंबाई का छठ घाट का निर्माण किया गया है और जलकुंभी की सफाई का भी काम किया गया था पूर्व में। चूंकि तट काफी लंबा है, लगभग 5000 फीट उसकी लंबाई है। तो आने वाले समय में इसको पंचायत समिति या जिला परिषद् के माध्यम से, योजना अगर पारित होती है, तो फिर उसको वार्षिक योजना में शामिल कराते हुए इसको करवाया जाएगा।

श्री प्रमोद कुमार सिन्हा : महोदय, यह 52 एकड़ में प्राचीन पोखरा है। इस पर विशेष ध्यान देते हुए इस कार्य को जल्दी पूर्ण करायें।

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी ने स्थिति स्पष्ट कर दी है।

श्री प्रमोद कुमार सिन्हा : मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं।

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ।

<u>क्रमांक–74 : श्री नरेन्द्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह, स0वि0स0</u>

श्री नरेन्द्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बेगुसराय जिले के गुप्ता लखमिनियां बाँध एवं सोनापुर पंचायत में ग्रामीण कार्य विभाग की सड़क के किनारे गंगा कटाव से विस्थापित व भूमिहीन परिवार, जो झोपड़ी बनाकर जीवन यापन कर रहे है, उक्त परिवार को पर्चा दिलावे।''

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।

डॉ0 दिलीप कुमार जायसवाल, मंत्री : महोदय, सोनापुर और लखमिनिया बांध पर एवं बलैयपुर पंचायत के कटाव ग्रस्त 324 परिवार भूमिहीन चिन्हित किए गए हैं। जिसमें 96 परिवारों को हम लोगों ने 18 अगस्त 2025 को पर्चा वितरण किया। 22 परिवारों को हम लोगों ने पर्चा वितरण करने के लिए सारी तैयारी कर ली है और 15 अगस्त को उन लोगों को पर्चा हम लोग उपलब्ध कराएंगे। बचे हुए 206 परिवार के लिए भूमि वहां पर हम लोग खोज रहे हैं और 3 महीने के अंदर उनको भूमि उपलब्ध होते ही अभिलेखीय कार्रवाई के पश्चात् सभी परिवार को पुनर्वासित करा दिया जाएगा।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लें।

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : मंत्री जी ने स्पष्ट कह दिया, आपकी बातों को मान लिया। अब सदन की सहमति से आपका प्रस्ताव वापस हुआ।

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

श्री नरेन्द्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी का हम ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं। जो 20 वर्षों से हम हाउस में समाज के अंतिम व्यक्ति, दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, जो बाढ़ प्रभावित हैं और गुप्ता लखमिनिया बांध, ग्रामीण कार्य विभाग के सीफिल में झोपड़ी बनाकर बसे हुए हैं और सरकार का 20 वर्षों से जवाब आ रहा है, हम कर रहे हैं, चिन्हित कर रहे हैं। मेरा दावा है, हजार परिवार इस तरह से झोपड़ी बनाकर जीवन यापन कर रहे हैं। हम माननीय मंत्री जी से आग्रह करते हैं कि आप स्पेशल जांच करा कर, चिन्हित करा कर जिस भी शादीशुदा व्यक्ति के पास 3 डिसमिल जमीन नहीं है, युद्धस्तर पर उन्हें तीन महीना के अंदर पर्चा देने का कार्य करें।

डॉ0 दिलीप कुमार जायसवाल, मंत्री : अगर वहां पर 10 हजार परिवार भी होगा, हम उसकी जाँच कराकर, अगर वह भूमिहीन होगा, तो उसको हम जमीन देंगे।

अध्यक्ष : और माननीय मंत्री ऐलान किया है कि 15 अगस्त को 30 हजार बेघर लोगों को जमीन देने जा रहे हैं। धन्यवाद तो दे दीजिए कम से कम।

श्री नरेन्द्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह : नहीं, हम तीन महीना बोले हैं।

अध्यक्ष : क्या अपना संकल्प वापस लेते हैं ?

श्री नरेन्द्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह : वापस ले लिया है।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ।

<u>क्रमांक–75 : श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता, स0वि0स0</u>

श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह BPSC 70वीं सिविल सेवा की परीक्षा में कुल अनारक्षित 549 सीटों में से लगभग 60 प्रतिशत पर बाहरी राज्यों के छात्रों का चयन होने से बिहार राज्य के अभ्यर्थियों के साथ हुए नुकसान को रोकने हेतु भर्ती परीक्षा में डोमीसाईल (Domicile) नीति लागू करावे।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग।

श्रीमती लेशी सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि राज्य की सेवाओं में राज्य के मूल निवासी को ही आरक्षण की सुविधा प्रदान करने की नीति पूर्व से ही प्रभावी है। इसके तहत कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग संप्रति सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार पटना के पत्र संख्या 70, दिनांक 11.06.1996 द्वारा सरकार का निम्नांकित निर्णय बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को संसूचित है। राज्य की सेवाओं की सभी श्रेणियों में आरक्षण की सुविधा उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगी जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है। अर्थात जो बिहार के मूल वासी है। बिहार अधिनियम–15, 2003 द्वारा उक्त प्रावधान को अधिनियमित करते हुए निम्न व्यवस्था की गई है। परंतु बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी इस अधिनियम के अधीन आरक्षण के लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे। राज्य अधीन सेवाओं में सीधी भर्ती के द्वारा भरे जाने वाले पदों को निम्न रूप में विनियमित किया गया है।

(क्रमशः)

टर्न–23 / संगीता / 24.07.2026

श्रीमती लेशी सिंह, मंत्री (क्रमशः) : गैर आरक्षित वर्ग, खुली गुणानन कोटि से 40 प्रतिशत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 10 प्रतिशत, आरक्षित कोटि से 50 प्रतिशत, खुली गुणानन कोटि के आधार पर किसी भी वर्ग के अभ्यर्थी चयनित हो सकते हैं । बावजूद इसके सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–8962, दिनांक–21.05.2025 द्वारा राज्य अधीन सेवाओं की नियुक्ति एवं उच्च शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन हेतु राज्य के मूल निवासी बेंचमार्क दिव्यांगजन मात्र को ही क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य कराया गया है । सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–12575, दिनांक–09.07.2025 द्वारा बिहार राज्य की सभी सरकारी सेवाओं, संवर्गों के सभी स्तर के एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्ति में राज्य की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को ही 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य कराया गया है । राज्य स्तरीय सभी प्रकार की नियुक्तियों में डोमिसाइल नीति लागू करने का कोई भी प्रस्ताव सम्प्रति सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है । अतः मैं माननीय सदस्य से आग्रह करना चाहूंगी कि वे अपना संकल्प वापस लें ।

श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि सरकार जनरल कैटेगरी के बच्चों को डोमिसाइल की नीति में कवर करे, उनको हटाए डोमिसाइल और बच्चे जनरल कैटेगरी को उससे आच्छादित हों, उनको लाभ मिले ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने स्थिति स्पष्ट की है ।

श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता : इसी आशय के साथ मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–76 श्री अवधेश सिंह, स0वि0स0

श्री अवधेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह हाजीपुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र के कई पंचायतों यथा दौलतपुर चांदी–अररा–पहेंतिया–इस्माईलपुर–थाथन बुजुर्ग– शुभई में वर्षा के जल निकासी हेतु परम्परागत अहर–पईन–नहर तथा पुल–पुलिया बन्द हो जाने से हो रहे जलजमाव का निकासी की व्यवस्था करावे''।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री संतोष कुमार सुमन, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि हाजीपुर विधान सभा अंतर्गत हाजीपुर प्रखंड के दौलतपुर चांदी एवं थाथन बुजुर्ग पईन का जीर्णोद्धार कार्य वर्ष 2023–24 में कराया गया है । अररा पईन एवं इस्माईलपुर, पहेंतिया तथा शुभई पंचायत के आहर पईनों का विस्तृत सर्वेक्षण कराया जाएगा । योजना विभाग मानकों के अनुरूप एवं तकनीकी दृष्टिकोण से संभाव्य पाए जाने पर निधि की उपलब्धता में विभागीय प्राथमिकता के आधार पर विहित प्रक्रिया के तहत अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी । नहर तथा पुल–पुलिया का जीर्णोद्धार का कार्य लघु जल संसाधन विभाग द्वारा नहीं कराया जाता है । अतः माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना प्रस्ताव वापस लें ।

श्री अवधेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा कभी जल संसाधन विभाग से या लघु जल संसाधन विभाग से यह सवाल नहीं था । हमने ग्रामीण विकास विभाग को लिखा था और चूंकि अब ग्रामीण क्षेत्र में भी जल–जमाव एक बड़ी समस्या हो गई है, 3–4 महीने पानी लगा रहता है, किसान को काफी कठिनाई होती है और यह एक विभाग का विषय नहीं है, ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य, लघु जल संसाधन सहित...

अध्यक्ष : सरकार देख लेगी ।

श्री अवधेश सिंह : सर, जो आर0सी0डी0 या जो रेल है...

अध्यक्ष : सरकार देख लेगी, प्लीज बैठ जाएं । प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री अवधेश सिंह : कुछ विभागों को मिलाकर ही इसका समाधान संभव है इसलिए हम आग्रह करेंगे कि एक समन्वय करके...

अध्यक्ष : जरूर, जरूर ।

श्री अवधेश सिंह : इसके जल निकासी की व्यवस्था करे । यह एक बड़ी समस्या ग्रामीण क्षेत्र की है ।

अध्यक्ष : आप अपना संकल्प वापस ले लीजिए ।

श्री अवधेश सिंह : मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–77 श्री जितेंद्र कुमार, स0वि0स0

श्री जितेंद्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह अस्थावां विधानसभा के अंतर्गत राजकीय पोलिटेक्निक कॉलेज, अस्थावां में बालक–बालिका छात्रावास का निर्माण निर्धारित मानक के आलोक में गुणवत्तापूर्ण करावे''।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्रीमती शीला कुमारी, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि विज्ञान प्रावैद्यिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के अधीन वर्तमान में नालंदा जिला अंतर्गत अस्थावां अंचल में राजकीय पोलिटेक्निक अस्थावां संचालित है । विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–5690, दिनांक–27.12.2024 द्वारा राजकीय पोलिटेक्निक अस्थावां नालंदा के छात्र–छात्राओं के आवासन के लिए अतिरिक्त हॉस्टल यथा–300 बेडेड गर्ल्स छात्रावास, जी प्लस फाईव तथा 300 बेडेड ब्यॉइज छात्रावास, जी प्लस फाईव के निर्माण कार्य हेतु कुल 50 करोड़ 85 लाख 11 हजार रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है । छात्रावास का निर्माण कार्य भवन निर्माण विभाग, पटना के द्वारा की जा रही है । भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–6842, दिनांक–22.07.2026 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि नालंदा जिला अंतर्गत अस्थावां विधान सभा के अंतर्गत राजकीय पोलिटेक्निक कॉलेज अस्थावां में बालक–बालिका छात्रावास का निर्माण निर्धारित मानक के आलोक में गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता की देखरेख में कराया जाता है । तथा निरीक्षण के क्रम में उपयोग होने वाले सामग्री एवं कार्य की गुणवत्ता की जांच स्थल पर स्थापित प्रयोगशाला, कार्यपालक अभियंता, अधीक्षण अभियंता, निर्देशक गुणवत्ता अनुश्रवण मध्य नालंदा उड़नदस्ता जांच दल गुणवत्ता एवं राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय द्वारा किया जाता है । संबंधित प्रतिवेदन सुलभ प्रसंग हेतु संलग्न है । अतः माननीय सदस्य से आग्रह है कि वे अपना संकल्प वापस लें ।

श्री जितेंद्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, स्थल पर हम हमेशा जाते रहते हैं, हमारा विधान सभा क्षेत्र है, निर्माण कार्य प्राक्कलन के मुताबिक नहीं हो रहा है । जिससे कि असंतोष व्याप्त है और यह मामला छात्र–छात्राओं के लिए है तो उनके हित में जांच करवाते हुए पुनः उच्चस्तरीय पदाधिकारियों से जांच करवाते हुए...

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी जांच करवा दीजिए ।

श्री जितेन्द्र कुमार : प्राक्कलन के मुताबिक निर्माण कार्य कराया जाए ।

अध्यक्ष : जांच हो जाएगी । अपना प्रस्ताव वापस ले लीजिए ।

श्री जितेन्द्र कुमार : मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–78 श्री राणा रणधीर, स0वि0स0

श्री राणा रणधीर : अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्वी चम्पारण जिला अन्तर्गत पकड़ीदयाल प्रखंड के सिसहनी पंचायत में लक्ष्मी नारायण घाट पर बने पुल के दोनों तरफ पथ का निर्माण करावे"।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पुल का निर्माण राज्य योजना नाबार्ड अंतर्गत किया गया है । इसके एक तरफ मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना अंतर्गत पताही बैला बैजू पथ से बैला बैजू सिसहनी पथ लंबाई 1.700 किलोमीटर है तथा दूसरी तरफ 50 मीटर पहुंच पथ के उपरांत 350 मीटर बृकसोलिंग पथ है जिसका निर्माण हेतु पुनरीक्षित प्राक्कलन विशिष्ट राज्य योजनातंर्गत तैयार किया जा रहा है । माननीय सदस्य को मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि दोनों तरफ के पहुंच पथ का निर्माण हमलोग शीघ्र करायेंगे, उसका प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है । अतः माननीय सदस्य से आग्रह है कि वे अपना प्रस्ताव वापस लें ।

श्री राणा रणधीर : माननीय मंत्री जी के आश्वासन के आलोक में उनको धन्यवाद देते हुए मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–79 श्री आनन्द मिश्र, स0वि0स0

श्री आनन्द मिश्र : अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह विश्वभर में लगभग 10 करोड़ से अधिक लोगों की मातृभाषा, अपनी विशिष्ट कैथी लिपि और अत्यंत समृद्ध साहित्यिक एवं सांस्कृतिक इतिहास रखने वाली भोजपुरी भाषा को भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करावे"।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्रीमती लेशी सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, कैथी लिपि को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करने संबंधी प्रस्ताव सम्प्रति राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है । राज्य सरकार द्वारा भोजपुरी भाषा को भारतीय संविधान की अष्टम अनुसूचि में शामिल करने हेतु पूर्व में पत्रांक–334, दिनांक–12.01.2026 द्वारा गृह मंत्रालय, भारत सरकार से अनुशंसा की गई है । मैं माननीय सदस्य से आग्रह करती हूं कि वे अपना संकल्प वापस लें ।

श्री आनन्द मिश्र : अनुशंसा के लिए माननीय मंत्री जी को बहुत–बहुत धन्यवाद । मैं इस संकल्प को वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–80 श्री रामेश्वर कुमार महतो, स0वि0स0
(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

टर्न–24 / यानपति / 24.07.2026

क्रमांक–81 : श्री अनिल सिंह, स0वि0स0

श्री अनिल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को न्याय दिये जाने हेतु बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये) आरक्षण अधिनियम, 2019 के विपरीत जारी किये गये पत्रांक–5622, दिनांक–24.03.2026 के प्रश्न 17 एवं 23 को विलोपित करावे।''

श्रीमती लेशी सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापांक संख्या–36039, 1/2019 दिनांक–19.01.2019 के आलोक में बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में आरक्षण अधिनियम, 2019 लागू की गई है, जिसकी धारा–10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण उपलब्ध करने एवं उक्त अधिनियम के संबंधों को कार्यान्वित किये जाने से संबंधित मानदंडों की विस्तृत दिशा–निर्देश विभागीय अधिसूचना संख्या–2622, दिनांक–26.02.2019 द्वारा परिचारित किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र संख्या–5622, दिनांक–24.03.2026 द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण का लाभ प्राप्त करने में सुगमता के उद्देश्य से अधिसूचित नियमावली के नियम को स्पष्ट करने एवं जनसाधारण को होनेवाली दुविधा, अस्पष्टता के निराकरण हेतु अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों को परिचारित किया गया है जिसके प्रश्न संख्या 16 में परिवार को परिभाषित करते हुए प्रश्न संख्या 17, 17 (1), 17 (2) में क्रमशः विवाहित पुरुष एवं विवाहित महिला के पक्ष में आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र की गणना किए जाने के संबंध में स्थिति स्पष्ट की गई है। उक्त कंडिकाओं में अभ्यर्थियों के पिता के स्थायी मूल निवास को उल्लेख या निर्धारित करने के लिए किया गया है कि अभ्यर्थी के पिता बिहार के मूल निवासी हैं अथवा नहीं, क्योंकि राज्य अधीन सेवाओं की नियुक्ति में आरक्षण का लाभ बिहार के मूल निवासियों को ही देय है। जहांतक प्रश्न संख्या 23 का प्रश्न है तो यह रिक्तियों की गणना से संबंधित है, इस संबंध में उल्लेखनीय है कि बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण

अधिनियम 2/2019 की कंडिका–4(1) में यह प्रावधान है कि किसी स्थापना में सेवाओं और पदों की सभी नियुक्तियों में जो सीधी भर्ती द्वारा भरी जानेवाली हों, 10 प्रतिशत रिक्तियां आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित रहेगी, अर्थात् किसी स्थापना में कुल स्वीकृत बल का 10 प्रतिशत यदि पूर्व से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कर्मी कार्यरत हों, तो रोस्टर गठन के क्रम में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को अलग से कोई पद अनुमान्य नहीं कराया जायेगा। उल्लेखनीय है कि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र संख्या–5622, दिनांक–24.03.2026 द्वारा परिचारित की कंडिका 17 एवं 23 को विलोपित किए जाने का कोई कारण स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। अतः माननीय सदस्य से मैं आग्रह करूंगी कि संकल्प वापस लें।

श्री अनिल सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदया ने बहुत विस्तार से जवाब दिया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी ने समाज के सामान्य वर्ग के गरीब बच्चों के लिए ये व्यवस्था दी है और उस व्यवस्था के तहत महोदय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है प्रश्न संख्या–17 में उसमें परेशानी बस ये आ रही है कि जो बच्चे माता–पिता के यहां से उनका आय, आवासीय और ये सर्टिफिकेट लिया जा रहा है उसके साथ–साथ फिर यदि विवाहित बच्ची हो गई तो फिर उनके पिता का भी उनका सर्टिफिकेट लिया जाना है इससे दो अंचलों में उन्हें चक्कर लगाना पड़ रहा है महोदय तो हमने...

अध्यक्ष : सभी बातों को सरकार देख लेगी। आप अपना संकल्प वापस लीजिए।

श्री अनिल सिंह : महोदय, दो–दो जगह चक्कर लगाना पड़ रहा है...

अध्यक्ष : वह नौबत नहीं आयेगी, विश्वास कीजिए सरकार पर।

श्री अनिल सिंह : आरक्षित वर्गों की बात है, जिस तरह से आय, आवासीय और अन्य प्रमाण पत्र दिये जाते हैं, मेरा बस यही आग्रह है कि इसमें भी वही प्रभावी हो, इसलिए मैंने विलोपित करने की मांग की है। जहांतक 22 और 23 की बात है महोदय, उसमें किसी भी आरक्षित वर्ग में संख्या गणना करने का किसी में भी प्रावधान नहीं है।

अध्यक्ष : अनिल बाबू, सारी बात आ गई।

श्री अनिल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं...

अध्यक्ष : आग्रह कर लीजिए।

श्री अनिल सिंह : आरक्षित वर्ग के अन्य लोगों की भांति ई0डब्लू0एस0 में भी आरक्षित वर्ग का 10 प्रतिशत का जो प्रावधान है उसको उसी तरह से प्रभावी तरीके से लागू किया जाय। इसीलिए मैंने 23 और 17 को...

अध्यक्ष : आप वापस ले लीजिए।

श्री अनिल सिंह : विलोपित करने का आग्रह किया है और इसी आग्रह के साथ मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ।

माननीय सदस्यगण, शेष गैर सरकारी संकल्प की सूचनाओं को पढ़ा हुआ मानते हुए उन्हें गैर सरकारी संकल्प समिति के विचारार्थ सुपुर्द किया जाता है।

शेष गैर सरकारी संकल्प की सूचनाओं को पढ़ा हुआ माना गया

82.	18/3/1	श्री जिवेश कुमार क्षेत्र संख्या–87	यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि "वह दरभंगा जिला के ऐतिहासिक रामायण सर्किट में वर्णित पर्यटन स्थल अहिल्यास्थान के निकट "कमतौल" तथा जाले विधानसभा का मुख्यालय "जोगियारा" रेलवे स्टेशन आज भी पुराने स्वरूप में है। अहिल्यास्थान में देश–विदेश विशेष कर नेपाल से श्रद्धालु आते हैं तथा बिहार सरकार के द्वारा दो राजकीय महोत्सव भी यहां आयोजित किया जाता है । अतः दोनो स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल करने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे"।	परिवहन
83.	7899	श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव क्षेत्र संख्या–17	यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि "वह पूर्वी चम्पारण जिला के चकिया प्रखंड अंतर्गत सागर स्थित ऐतिहासिक सागर गढ़ एवं बावन बीघा तलाब का सौंदर्यीकरण कराते हुए पर्यटकीय दृष्टिकोण से विकास कार्य करावे" ।	पर्यटन
84.	7914	श्रीमती अश्वमेध देवी क्षेत्र संख्या-133	यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि "वह उत्तर बिहार को जोड़ने वाली समस्तीपुर जिलान्तर्गत समस्तीपुर प्रखण्ड में स्थित R.O.B के समानांतर एक और R.O.B का निर्माण करावे" ।	पथ निर्माण
85.	7747	श्री अमरेन्द्र कुमार क्षेत्र संख्या–219	यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि "वह औरंगाबाद जिलान्र्गत गोह प्रखण्ड के हमीदनगर में 10 वर्ष पूर्व निर्मित पुनपुन बराज से किसानों के हजारों एकड़ कृषि भूमि को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करावे"।	जल संसाधन
86.	7820	श्री विजय कुमार खेमका क्षेत्र संख्या–62	यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि "वह जे0पी0 आंदोलन के ऐसे सेनानीयों, जो भूमिगत रहकर आंदोलन में शरीक हुए, उन्हें जे0पी0 आंदोलन सैनानी का दर्जा देने तथा लगभग 21 हजार ऐसे जे0पी0 सेनानीयों जिनका आवेदन सलाहकार पर्षद की अनुशंसा के लिये लंबित है, उनके पेंशन योजना स्वीकृत करावे" ।	सामान्य प्रशासन
87.	7835	श्री रत्नेश कुमार क्षेत्र संख्या–184	यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि "वह गुरू श्री सिद्ध बाबा जी संत पुरण दासजी महाराज उदासीन अखाड़ा, पटना सिटी तथा श्री चैतन्य मंदिर, गायघाट, गुलजारबाग, पटना सहित बिहार के विभिन्न जिलों में स्थित अनेक मठ एवं मंदिरों, जो बिहार के धार्मिक न्यास बोर्ड से निबंधित है, को अतिक्रमण से मुक्त कराकर घेराबंदी करावे" ।	पर्यटन
88.	7923	श्री विमल राजवंशी क्षेत्र संख्या-235	यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि "वह कोडरमा-तिलैया-रजौली रेलवे परियोजना में वन भूमि के कथित अवैध उपयोग, पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन, निर्माण सामग्री की गुणवत्ता एवं वैध श्रोत, टनल निर्माण से प्राप्त खनिजों के उपयोग तथा परियोजना में संभावित अनियमिताओं की रेलवे, वन, पर्यावरण एवं खनन विभाग के संयुक्त दल अथवा किसी स्वतंत्र उच्चस्तरीय एजेंसी से समयबद्ध जांच कराकर दोषी अधिकारियों एवं संवेदकों के विरूद्ध विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए जांच पूर्ण होने तक विवादित एवं कथित अवैध कार्यों पर रोक लगावे" ।	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन

89.	7903	श्री प्रकाश चन्द्र क्षेत्र संख्या–220	यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि "वह औरंगाबाद जिलान्तर्गत दाउदनगर एवं इसके राष्ट्रीय राजमार्ग–139 पर होने वाले स्थायी जलजमाव की समस्या के स्थायी समाधान सुनिश्चित करने हेतु समुचित जल निकासी (ड्रेनेज) प्रणाली, सिवरेज एवं अन्य संबद्ध अवसंरचनात्मक कार्यों की परियोजना तैयार कर समयबद्ध ढंग से क्रियान्वित करावे" ।	पथ निर्माण
90.	7922	श्री राज कुमार राय क्षेत्र संख्या–140	यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि "वह समस्तीपुर जिलान्तर्गत हसनपुर विधान सभा में छात्रों के हित में तकनिकी शिक्षा हेतु सरकारी पारा मेडिकल कॉलेज खोलने की स्वीकृति प्रदान करें" ।	स्वास्थ्य
91.	7927	श्रीमती गायत्री देवी क्षेत्र संख्या–25	यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि "वह सीतामढ़ी जिला के कुम्मा बेला पथ को चौथे कि०मी० पर अंग्रेज के जमाने के पुल की जगह पर आर०सी०सी० पुल का निर्माण करावे" ।	पथ निर्माण
92.	7734	श्रीमती संगीता कुमारी क्षेत्र संख्या–204	यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि "वह कैमूर जिलान्तर्गत मोहनियां नगर के करमरही और भरखर के बीच सैकड़ों गाँव के आवगमन में कठिनाई के कारण करमरही और भरखर के बीच रेलवे लाईन पर आर0 ओ0 बी0 का निर्माण करने की अनुशंसा भारत सरकार से करें"।	पथ निर्माण
93.	7738	श्री अरूण सिंह क्षेत्र संख्या–213	यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि "वह रोहतास जिलान्तर्गत बिक्रमगंज नगर परिषद् से होकर केसठ राजवाहा–1 गुजरती है, जिससे सैकड़ों हेक्टेयर खरीफ, रबी एवं सब्जी इत्यादि की खेती बड़े पैमाने पर किया जाता है । उक्त नगर परिषद् अंतर्गत केसठ राजवाहा–1 में कचरा/गाद आदि भर जाने के कारण पानी का बहाव बाधित हो जाता है। अतएव, नगर परिषद् बिक्रमगंज के क्षेत्राधीन राजवाहा पर पी0सी0सी0 स्लैब निर्माण करावे"।	नगर विकास एवं आवास
94.	7889	श्री भाई विरेंद्र क्षेत्र संख्या–187	यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि "वह पटना जिलान्तर्गत मनेर प्रखंड स्थित ग्राम–हल्दी छपरा के निकट गंगा, सोन एवं सरयुग नदियों का संगम को पर्यटक स्थल घोषित करते हुए सौंदर्यीकरण करावे"।	पर्यटन
95.	18/3/11	श्री रितुराज कुमार क्षेत्र संख्या–217	यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि "वह राज्य के सभी सरकारी प्राथमिक,मध्य, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों की सुरक्षा, विद्यालय परिसरों को अतिक्रमण एवं असामाजिक गतिविधियों से मुक्त रखने तथा बेहतर शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चरणबद्ध एवं समयबद्ध योजना बनाकर चहारदीवारी का निर्माण कराया जाए, साथ ही जिन विद्यालयों में चहारदीवारी क्षतिग्रस्त अथवा अपूर्ण है, वहां उसकी मरम्मत एवं पूर्ण निर्माण करावे"।	शिक्षा
96.	7645	श्री राजेश कुमार उर्फ बब्लू गुप्ता क्षेत्र संख्या–11	यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि "वह विधान सभा क्षेत्र–सुगौली जिला–पूर्वी चम्पारण अन्तर्गत प्रखंड–रामगढ़वा में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन निर्माण करावे"।	स्वास्थ्य

97.	18/3/2	श्री राधाचरण साह क्षेत्र संख्या–192	यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि "वह भोजपुर जिलान्तर्गत दानापुर–पी.डि.डी.यु रेल खंड पर स्थित करीसाथ रेलवे स्टेशन से पश्चिम नवादा बेन ग्राम के सामने स्थित अन्डर पास में जलजमाव कि समस्या के शीघ्र निराकरण करने एवं इस स्थान पर एक नया रेल ओवर ब्रिज के निर्माण हेतु भारत सरकार के रेल मंत्रालय से सिफारिश करे"।	*पथ निर्माण*
98.	*7767*	श्री साम्रीद वर्मा क्षेत्र संख्या–09	यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि "वह बिहार के प्रमुख बागवानी जिलों में मखाना, अमरूद, लीची, और केला के सुरक्षित रख–रखाव के लिए वर्तमान कोल्ड स्टोरेज क्षमता का एक त्वरित प्रशासनिक आकलन **(Assesment)** कराया जाए। इसके आधार पर, नए औद्योगिक पैकेज के वित्तीय प्रोत्साहन का लाभ उठाते हुए, पीपीपी (PPP) मॉडल पर सौर उर्जा संचालित **(solar-powered)** कोल्ड स्टोरेज लॉजिस्टिक्स कनेक्ट' ग्रिड की स्थापना करावे"।	कृषि
99.	*7840*	श्री मंजीत कुमार सिंह क्षेत्र संख्या–100	यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि "वह गोपालगंज जिला में उत्तर–पूर्वी रेलवे जोन और वाराणसी रेल मण्डल अंतर्गत थावे जं०– मशरख जं० रेलखण्ड में रतनसराय और शेर रेलवे स्टेशनों के बीच बरहोगा–बरौली संदली (वार्ड–23) सरकारी सड़क के पास एवं बघेजी ढाला नं.–40C के पास तथा रतनसराय–माँझा रेलवे स्टेशनों के बीच नवादा ढाला नं.–50, भटवलिया ढाला नं.–52 एवं इमिलिया ढाला नं.–53AC के पास रेलवे लाइन को क्रॉस करने के लिये आर.ओ.बी/अंडर पास का निर्माण करावे"।	*पथ निर्माण*
100.	7740	श्री रामविलास कामत क्षेत्र संख्या–42	यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि "वह सुपौल जिला के सुपौल प्रखंड अन्तर्गत सहरसा–सुपौल रेल खण्ड में सुन्दरपुर वार्ड सं0–01 पंडित टोला के निकट भूमिगत पुल **(Under pass)** निर्माण की सिफारिश भारत सरकार से करे"।	पथ निर्माण

समापन भाषण

माननीय सदस्यगण, अष्टादश बिहार विधान सभा का तृतीय सत्र दिनांक–20.07.2026 से प्रारंभ होकर आज दिनांक–24.07.2026 को समाप्त हो रहा है। इस सत्र में कुल–05 (पाँच) बैठकें हुईं।

अष्टादश बिहार विधान सभा के तृतीय सत्र में सभी माननीय सदस्यों ने बिहार के विकास के लिए अपनी–अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

इस सत्र में वर्ष 2026–27 में जो खर्च होने की संभावना है, उसके संबंध में प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण को स्वीकृति मिली।

इस सत्र में कुल 21 (इक्कीस) राजकीय विधेयकों को स्वीकृति मिली।

सत्र के दौरान कुल 1038 प्रश्न प्राप्त हुए, जिनमें 971 प्रश्न स्वीकृत हुए। इन स्वीकृत 971 प्रश्नों में से 74 अल्पसूचित प्रश्न थे, जिनमें 70 प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हुए। कुल 721 तारांकित प्रश्न स्वीकृत हुए, जिनमें 697 प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हुए। साथ ही 176 प्रश्न अतारांकित हुए। सरकार की संवेदनशीलता से लगभग सभी विभागों ने प्रश्नों का शत–प्रतिशत उत्तर देने का काम किया है।

इस सत्र में कुल 206 ध्यानाकर्षण सूचनाएँ प्राप्त हुईं, जिनमें 08 वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुए, 180 सूचनाएँ लिखित उत्तर हेतु संबंधित विभागों को भेजे गये तथा 18 अमान्य हुए।

इस सत्र में कुल 193 निवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 186 स्वीकृत हुए एवं 07 अस्वीकृत हुए। कुल 119 याचिकाएँ प्राप्त हुईं, जिसमें 106 स्वीकृत एवं 13 अस्वीकृत हुईं। इस सत्र में कुल 100 (सौ) गैर सरकारी संकल्प की सूचना पर सदन में चर्चा हुई।

इस सत्र के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा शून्यकाल के माध्यम से जनहित के कतिपय मामले उठाये गये एवं विभिन्न विभागों के प्रतिवेदन, अधिसूचना की प्रति तथा बिहार विधान सभा के विभिन्न समितियों के प्रतिवेदन सदन पटल पर रखे गये।

दिनांक–23 जुलाई, 2026 को प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अनुसरण में भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष 2023–24 के निष्पादन एवं अनुपालन लेखापरीक्षा, वर्ष 2017–18 से 2022–23 के ''निष्पादन लेखापरीक्षा–सिविल'' तथा वर्ष 2024–25 के ''राज्य के वित्त'' प्रतिवेदनों को माननीय राज्यपाल की अनुमति के आलोक में सभा पटल पर रखा गया। साथ ही इन प्रतिवेदनों को बिहार विधान सभा के लोक लेखा समिति द्वारा विचार किये जाने एवं जनता में बिक्री के लिए प्राप्य होने का प्रस्ताव सदन द्वारा स्वीकृ त हुआ। इसके अलावा अन्य विभागों के भी प्रतिवेदन रखे गये।

इस सत्र में कुल 08 जननायकों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

माननीय सदस्यगण, सत्र के संचालन में सहयोग के लिए माननीय मुख्यमंत्रीजी को, माननीय उप मुख्यमंत्री जी को, माननीय मंत्रीगण को, अन्य दलीय नेताओं के साथ ही पक्ष–प्रतिपक्ष के आप सभी माननीय सदस्यों का मैं आभारी हूँ।

''विचारों से जग आलोकित हो, वाणी में हो सत्य का मान,
जन–सेवा हो धर्म हमारा, यही लोकतंत्र की सही पहचान,
सदन चले मर्यादा लेकर, बढ़े विकास का सदा अभियान,
बिहार बने भारत का गौरव, यही रहे हम सबका संकल्प महान।''

समाचार प्रेषण में पत्र प्रतिनिधियों, समाचार एजेंसी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया (डिजिटल मीडिया) ने जनमानस के बीच सदन की कार्यवाही सफलतापूर्वक ले जाने का कार्य किया है, इस हेतु उन्हें भी साधुवाद देता हूँ।

''लोकतंत्र के सजग प्रहरी, कलम आपकी है शान,
सच की ज्योति लेकर चलना, भारत की है पहचान,
कलम–कैमरों की हर एक नजर में, जन–जन का विश्वास रहे,
शब्दों की हर एक धारा में, सत्य और इतिहास रहे।
प्रिंट हो या इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया का विस्तृत संसार,
जनता तक सदन की गरिमा पहुँचे, यही रहे सतत विचार,
तथ्य, सत्य और राजनीतिक संतुलन से सजा लोकतंत्र का परिवार।''

(क्रमशः)

टर्न–25 / सुरज / 24.07.2026

(क्रमशः)

अध्यक्ष : सभा के कार्य संचालन में सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा बिहार सरकार के पदाधिकारियों / कर्मचारियों सहित पुलिस बल के जवानों ने तत्परता, लगन और निष्ठा से अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन किया है, इसके लिए वे सभी धन्यवाद के पात्र हैं ।

''जो मौन रहकर कर्म करे, वही सफलता के आधार,
आपके श्रम से ही सजता है, लोकतंत्र का यह दरबार ।'

'सचिवालय के कर्मयोगी, अनुशासन है जिनकी पहचान,
दिर–रात समर्पित होकर, बढ़ाते हैं सदन की आन–बान–शान ।'

'बिहार सरकार के अधिकारी, कर्मचारी सब हैं कर्मवीर,
जनसेवा का व्रत निभाते, बनते विकास के पथ–धीर ।

'मेरे सभी सहयोगी साथी, हर पल बने रहे सबल,

आपके श्रम, निष्ठा, सहयोग से हुआ यह यज्ञ सफल ।'

'न कोई श्रेय, न कोई अपना अभिमान,
आपके संयुक्त पुरूषार्थ से, विधान सभा का बढ़ता मान ।''

माननीय सदस्यगण, आपने जिस गंभीरता, अनुशासन और उत्तरदायित्व के साथ सदन की कार्यवाही में भाग लिया, वह लोकतांत्रिक परंपराओं को सुदृढ़ करने वाला है । सार्थक बहस, रचनात्मक सुझाव और जनहित के मुद्दों पर आपकी सक्रिय सहभागिता ने इस सत्र को प्रभावी और परिणामोन्मुखी बनाया है ।

''परहित सरिस धरम नहिं भाई, पर पीड़ा सम नहिं अधमाई ।

''सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संतु निरामयाः

जय–जय श्रीराम, जय हिंद, जय–जय बिहार ।

माननीय सदस्यगण, अब बिहार गीत होगा कृपया आप सब अपने–अपने स्थान पर खड़े हो जाएं ।

(बिहार गीत)

अब सदन की बैठक अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित की जाती है ।